सत्यमेव जयते

वन विभाग, राजस्थान

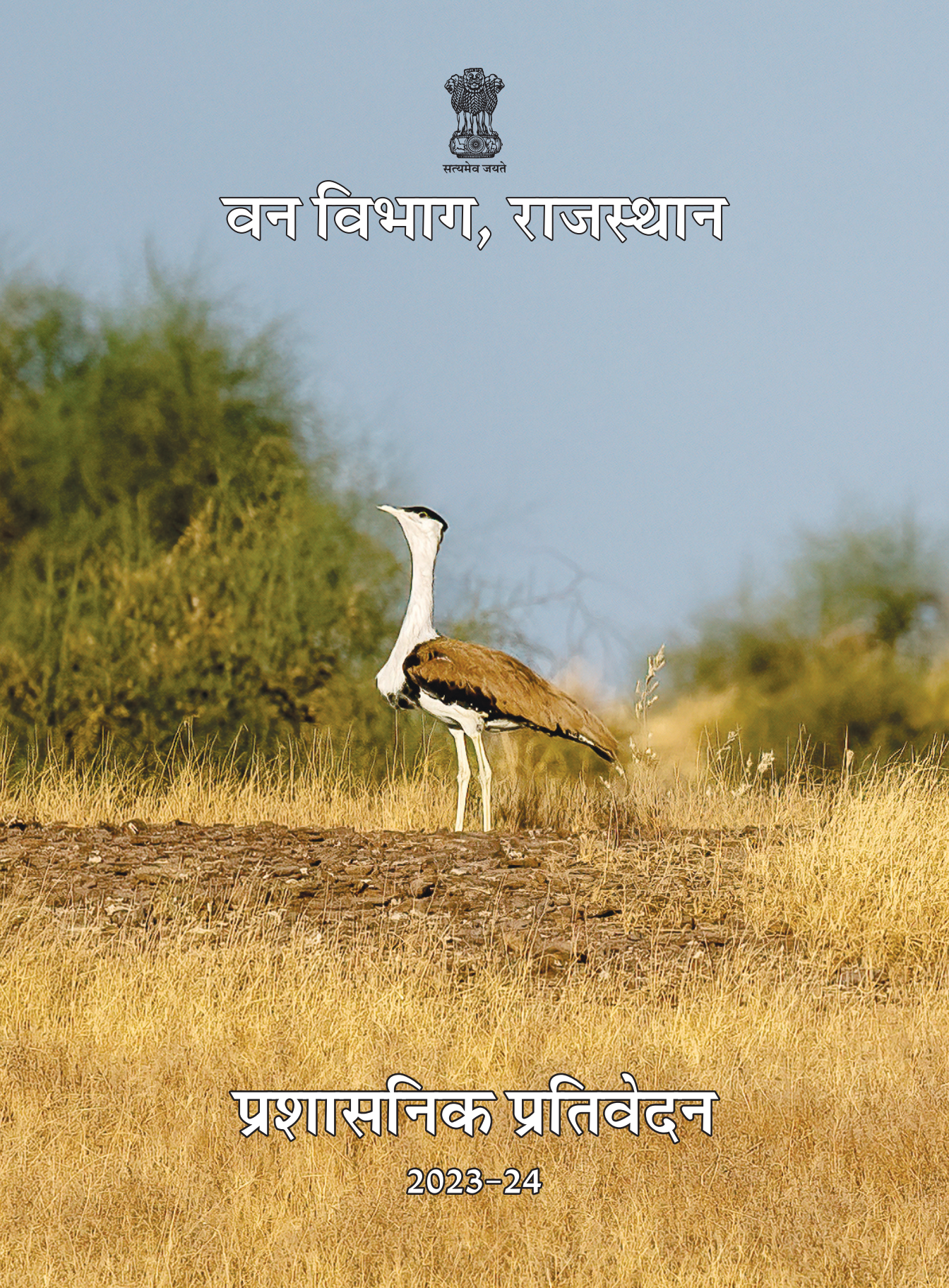

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2023–24

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2023-24

वन विभाग, राजस्थान

www.forest.rajasthan.gov.in

मुख्य पृष्ठ : गोडावण, **(Great Indian Bustard)** • छाया : अरिजीत बनर्जी **IFS**

सत्यमेव जयते

श्री मुनीश कुमार गर्ग IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान अरण्य भवन,
झालाना संस्थानिक क्षेत्र,जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

राजस्थान प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से विविध एवं समृद्ध है। प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढ़ते जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए बदलते वैश्विक परिदृश्य में वन विभाग द्वारा भी परंपरागत रूप से अपनायी जा रही कार्य शैली में समसामयिक रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं। वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में वृद्धि, पारिस्थितिकी पयर्टन तथा वानिकी विकास हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग करने की दिशा में निरंतर कार्य हुये हैं। राज्य वन नीति 2023 के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उक्त प्रयासों के फलस्वरूप ही वनक्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि, संरक्षित क्षेत्र एवं वन्यजीवों की संख्या में बढ़ोतरी तथा बाघ परियोजनाओं के साथ–साथ चम्बल घड़ियाल क्षेत्र में संरक्षण व पारिस्थितिकी पयर्टन के सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे हैं। इस दिशा मे ड्रोन द्वारा विषम वन क्षेत्रों में किया गया बीजारोपण भी एक सफल प्रयास है।

भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार गत रिपोर्ट 2019 के सापेक्ष वनावरण व वृक्षावरण में कुल 646.45 वर्ग कि.मी. की वृद्धि वन संर्वधन हेतु किये गये सार्थक प्रयासों का द्योतक है। वन विभाग पिछले अनेक वर्षो से प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस वर्ष भी प्रदेश में माह दिसम्बर 2023 तक 109798.10 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 374.55 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में Rajasthan Greening and Rewilding Mission के तहत वनस्पति आवरण को बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में पाँच करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरूद्ध माह दिसम्बर, 2023 तक 345 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग दो–दो करोड़ रूपये की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक–एक इको–टूरिज्म लव–कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा का विस्तार करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में तैंतीस जिलों में एक–एक और लव–कुश वाटिका विकसित की जा रही है। विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी) जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बोटेनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zooligical Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर विकसित किए जा रहे हैं।

बाघों तथा जैवविविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश के पंचम टाईगर रिजर्व धौलपुर करौली की अधिसूचना जारी की गई है। वन्यजीव क्षेत्रों में विस्तार करते हुए प्रदेश में कन्जर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या अब 36 हो गई हैं। वर्तमान में झालाना, आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। वन्यजीवों के पर्यावास संरक्षण की दृष्टि से लोगों के विस्थापन हेतु प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को गति प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन पैकेज में बढ़ोतरी कर 10.00 लाख के स्थान पर 15.00 लाख प्रति परिवार कर दिया गया हैं। रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 17 गांव में से 8 का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 9 गांव प्रक्रियाधीन है। मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 3 गांव में से 1 का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 2 गांव प्रक्रियाधीन है एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 11 गांव में से 5 का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 6 गांव प्रक्रियाधीन है। रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी में विस्थापन हेतु चयनित ग्राम गुलखेड़ी के 208 परिवारों में से 40 परिवारों का विस्थापन किया जा चुका है।

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडवण पक्षी के 29 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 11 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर, पक्षी उद्यान में किया जाना आरम्भ हुआ है। चिडियाघरों, जैविक उद्यानों (Zoological Park -Zoo), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) का गठन किया गया हैं। इस ऑथोरिटी के माध्यम से राज्य में आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme लागू की गई है। विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2023–24 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके सम्मुख है। इस प्रतिवेदन को बनाने एवं सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है, जिसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन सभी के लिये लाभकारी होगा।

(मुनीश कुमार गर्ग)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
•	कार्यकारी सारांश	1–6
	अध्याय	
1.	राजस्थान के वन संसाधन	7–10
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली	11–19
3.	वन सुरक्षा	20–28
4.	वानिकी विकास	29–48
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	49–51
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	52–55
7.	वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	56–62
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	63–64
9.	वन अनुसंधान	65–70
10.	विभागीय कार्य योजना	71–76
11.	तेन्दू पत्ता योजना	77–78
12.	ई–गर्वनेंस एवं जी.आई.एस.	79–81
13.	मानव संसाधन विकास	82–85
14.	वर्ष 2019–20, 2020–21, 2022–23 एवं 2023–24 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति	86–97
	परिशिष्ठ	98–113

(1) जिलेवार वन क्षेत्र का वर्गीकरण
(2) वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों का विवरण
(3) ईको सेन्सटिव जोन घोषित करवाने सम्बन्धित प्रगति
(4) राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति
(5) राजस्व प्राप्तियां
(6) वार्षिक योजना की भौतिक प्रगति
(7) बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण सम्बन्धित उपलब्धि
(8) विभाग से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति
(9) नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक व जन लेखा समिति के प्रतिवेदन
(10) विधान सभा प्रश्नों के जवाब भिजवाने की प्रगति

■■■

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32921.01 वर्ग किमी. हैं, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.61 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया हैं, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 36.99, 56.51 और 6.50 प्रतिशत है। भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021 के अनुसार राज्य का वनावरण **(Forest Cover)** 16654.96 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण **(Tree Cover)** 8733 वर्ग किमी. है अर्थात राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 25387.96 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.42 प्रतिशत है।

वन विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर हैं, जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उपखंड हैं, जिसमें सहायक वन सरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती हैं, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती हैं, जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा वृक्षपालक होता हैं एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय–प्रथम के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया है विभाग द्वारा 127 सहायक वन संरक्षक तथा 106 क्षेत्रीय–प्रथम के पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये हैं। इनमें से 116 सहायक वन संरक्षक तथा 96 क्षेत्रीय–प्रथम विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षणाधीन हैं। विभाग में वनपाल के 148 एवं वनरक्षक के 2646 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् वनपाल के 134 तथा वनरक्षक के 1701 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं एवं कतिपय क्षेत्रों में वनकर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों हेतु अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में नवम्बर, 2023 तक कुल 120218 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 48724 (27903.03 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 2445 (110359.88 हेक्टेयर) कुल 51169 (138282.96 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के संशोधित नियम–2022 दिनांक 28.06.2022 से लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर वन भूमि से कम के प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण उप वन संरक्षक स्तर पर एवं 5 हैक्टेयर वनभूमि से अधिक प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण नोडल स्तर पर होगा।

इस वर्ष भी प्रदेश में माह दिसम्बर तक 109798.10 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है तथा इस अवधि में अब तक 374.55 लाख पौधे आमजन को वितरित किये गये हैं। वन विभाग द्वारा दो नवीन परियोजनाऐं "Rajasthan Afforestation and Biodiversity Conservation Project (RABCP)" JICA के सहयोग से श्रम करना 19 जिलों में तथा "Rajasthan Forestry and Biodiversity Development Project (RFBDP)" AFD फ्रांस के सहयोग से 13 जिलों में वित्त पोषित करवाई जा रही है।

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, एपीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन आदि शर्तें अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है । उक्त राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में

भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है । इन अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित कर दी गई है । वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 286.50 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं राशि रू. 286.50 करोड राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई । माह दिसम्बर 2023 तक राशि रू. 115.59 करोड का व्यय हो चुका है ।

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 तक राशि रू. 2132.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 राशि रू. 1238.06 लाख एवं वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक राशि रू. 136.25 लाख स्टेट कैम्पा से व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर 2023) तक 8.805 कि.मी. (2.5 मीटर ऊँची), 67.326 कि.मी. (1.5 मीटर ऊँची) दीवार का निर्माण तथा 1620 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यों हेतु सम्भागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाईयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। विभागीय वृक्षारोपण कार्यों में पारदर्शिता तथा गुणवत्ता में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा तैयार एक नवीन मोबाईल एप ''वृक्षारोपण निगरानी एप'' भी प्रचलित किया गया है।

राज्य में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वही से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं। वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है।

राज्य में इमारती लकड़ी, बांस एवं अन्य लघु वन उपजों के दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से वनों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (RSFDC) का गठन किया जाकर ''कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार'' में कम्पनीज एक्ट, 2013 अनुसार दिनांक 16.12.2020 रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। जिसका मंत्रीमंडल आज्ञा 02/21 दिनांक 20.01.2021 से अनुमोदन प्राप्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा निगम मे 154 पद स्वीकृत किये गये है।

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये एक पृथक आईटी सेल स्थापित है। विभागीय वेबसाईट forest.rajasthan.gov.in को विकसित कराया गया है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियॉं, गतिविधियॉं, परियोजनायें एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

विभाग में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्वीटर) पर विभाग की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्य कलापों से संबंधित सूचनाओं को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने हेतु वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जाकर अतिरिक्त प्रयास किये जा रहे हैं।

विभाग एम0आई0एस0 अरण्यक (FMDSS)को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाये जाने हेतु नवीन यूजर इंटरफेस विकसित किया गया है जिससे आम जन को अधिक सुविधा प्लेटफार्म मिल सके। इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न शाखों की आवश्यकताओं के क्रम में नवीन मॉड्यूल जैसे टी0ओ0एफ0आर0, कैम्पा बजट मॉनिटरिंग, एच0आर0एम0एस0, डायनेमिक फार्म क्रियेशन आदि विकसित किये गये हैं।

राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में Rajasthan Greening and Rewilding Mission के तहत वनस्पति आवरण बढ़ाने और वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) योजना लागू की गई है।

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त सम्बंधित व्यक्तियों/छात्रों/संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थाएं यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, राजस्थान वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है।

राज्य में 4 जैविक उद्यान क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान में बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं। राज्य में 4 जन्तुआलय क्रमशः जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर में स्थित है, जिनमें से उदयपुर जन्तुआलय को पक्षी घर के रूप में विकसित किया जा चुका है। तथा जयपुर एवं बीकानेर स्थित जन्तुआलय को पक्षी घर के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015–16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 21 संरक्षित क्षेत्रों की अन्तर्गत कुल रुपये 8546.225 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि रूपये 1136.90 लाख, खरमौर संरक्षण हेतु राशि रूपये 660.53 लाख, गिद्ध संरक्षण हेतु 139.00 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये ढांचागत विकास, पर्यावास सुधार, वन्यजीवों के लिए पेयजल प्रबंधन, अग्निरोधक कार्य, दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जाते है।

इस वर्ष धौलपुर, करौली टाईगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई हैं। यह राज्य का पचंम टाईगर रिजर्व हैं। राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्तित योजना "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत–सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडवाण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडवण पक्षी के 29 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 11 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर, पक्षी उद्यान में किया जाना आरम्भ हुआ है।

पैंथर संरक्षण के लिये "प्रोजेक्ट लैपर्ड" के तहत सर्वप्रथम झालाना जयपुर को चयनित किया जाकर इसमें लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में झालाना आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को प्रोजेक्ट लैपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलीफेन्ट अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में रह रहे पालतू हाथियों के लिये वर्ष 2023–24 हेतु राशि रुपये 80 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

राज्य में स्थित चिडियाघरों, जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo), संरक्षित क्षेत्रों के बाहर

स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) का गठन किया गया हैं।

प्रदेश की विषम जलवायु परिस्थितियों एवं वन क्षेत्रों पर बढते हुए जैविक दबाव को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा राज्य वन नीति के अनुरूप निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जन सहभागिता से संचालित वन विकास एवं वन संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आने लगे हैं।

वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर, एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार हैं, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

अध्याय–1
राजस्थान के वन संसाधनः एक परिचय

भारतीय वन सर्वेक्षण,देहरादून अनुसार 23^0 40' एवं 30^0 11' उत्तरी अक्षांश तथा $69^0$29' एवं $78^0$17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित 342239 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तश्त राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59 प्रतिशत भू–भाग पर वन क्षेत्र है तथा अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से 15 वें स्थान पर है। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरूस्थलीय या अर्द्धमरूस्थलीय हैं, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान है। अरावली पर्वत श्रश्ंखला राज्य के मरूस्थलीय एवं गैर मरूस्थलीय भागों को अलग करती है।

1.1 वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति

प्रदेश में कुल अभिलेखित वनक्षेत्र (Recorded forest Area) 32921.00 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserve Forest)	12178.03	36.99
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18605.18	56.51
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2137.79	6.50
	योग	**32921.00**	**100**

1.2 भारत वन स्थिति रिपोर्ट–2021

देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) द्वारा वन एवं वन संसाधनों के आकलन के लिये 1987 से प्रत्येक दो वर्ष पर सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से देश में वनों एवं वृक्षों की स्थिति पर 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट' जारी की जाती है। इसी क्रम में भारतीय दूर–संवेदी उपग्रह (IRS Resourcesat-2 LISS III Satellite) से माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2019 की अवधि में प्राप्त आँकड़ों का उपयोग किया जाकर भारत वन स्थिति रिपोर्ट(India State of Forest Report)–2021 जारी की गई जो इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य के क्रम में प्रकाशित सूचना के मुख्य अंश निम्नानुसार हैः–

1.2.1Forest Cover in Rajasthan

	Area (in Sq Kms)	% of GeographicalArea
VDF- Very Dense Forest (>70% Crop Density)	78.15	0.02
MDF-Moderately Dense Forest (40-70% Crop Density)	4368.65	1.28
OF- Open Forest (10-40% Crop Density)	12208.16	3.57
Total	16654.96	4.87
Scrub(< 10% Crop Density)	4808.51	1.41

1.2.2 Percentage area under different forest types of Rajasthan

As per the Champion & Seth Classification of Forest Types (1968), The forests in Rajasthan belong to two type groups i.e. Tropical Dry Deciduous and Tropical Thorn Forests which are further divided into 20 Forest Types. The Percentage area under different forest types of Rajasthan is given below:

S.No.	Forest Type	% of Forest Cover
1	5A/C1a Very Dry Teak Forest	4.92
2	5A/C1b Dry Teak Forest	0.22
3	5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest	38.78
4	5/E1/DS1 Dry Deciduous Scrub	10.92
5	5/DS2 Dry Savannah Forest	0.01
6	5/E1 *Anogeissus pendula* Forest	14.78
7	5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub	2.45
8	5/E2 *Boswellia* Forest	0.71
9	5/E5 *Butea* Forest	0.25
10	5/E6 *Aegle* Forest	0.01
11	5/E8a Phoenix /savannah Forest	0.01
12	5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest	0.23
13	5/1S2 Khair Sissu Forest	1.42
14	6B/C1 desert Thorn Forest	3.80
15	6B/C2 Ravine Thorn Forest	1.54
16	6B/DS1 *Zizyphus* Scrub	0.77
17	6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub	0.01
18	6/E1 *Euphorbia* Scrub	0.62
19	6/E2 *Acacia senegal* Forest	0.22
20	6/1S1 Desert Dune Scrub	4.53
21	Plantation/Tree Outside Forests (TOF)	13.80
	Total	100

1.2.3 District -wise Forest Cover in Rajasthan

Area in Sq. Kms

District	Geographical Area	2021 Assessment				% of Gepgraphical Aera	Change w.r.t. 2019 assessment	Scrub
		Very Dense Forest	Mod. Dense Forest	Open Forest	Total			
Ajmer	8481	0.00	46.49	285.07	331.56	3.91	26.45	175.72
Alwar	8380	59.70	334.65	801.56	1195.91	14.27	-0.75	243.08
Banswara	4522	0.00	38.52	230.09	268.61	5.94	0.19	60.17
Baran	6992	0.00	153.66	856.39	1010.05	14.45	-0.94	98.93
Barmer	28387	0.00	4.79	284.43	289.22	1.02	-0.57	223.18
Bharatpur	5066	0.00	26.33	194.73	221.06	4.36	-9.21	77.15
Bhilwara	10455	0.00	33.31	191.00	224.31	2.15	0-12	189.76
Bikaner	30239	0.88	28.06	250.77	279.71	0.92	24.10	49.86
Bundi	5776	1.00	138.98	424.37	564.35	9.77	7.17	172.67
Chittorgarh	7822	0.00	222.01	768.04	990.04	12.66	1.25	107.42
Churu	13835	0.00	2.44	75.25	77.69	0.56	-4.31	27.48
Dausa	3432	0.00	11.15	105.45	116.60	3.40	-0.40	94.66
Dhoulpur	3033	0.00	79.75	339.32	419.07	13.82	0.07	76.07
Dungarpur	3770	0.00	42.53	262.01	304.54	8.08	2.24	83.37
Ganganagar	10978	0.00	9.87	105.22	115.09	1.05	2.17	15.78
Hanumangarh	9656	1.01	6.80	85.16	92.97	0.96	3.01	6.71
Jaipur	11143	12.00	97.20	445.66	554.86	4.98	2.10	272.85
Jaisalmer	38401	3.56	48.64	270.19	322.39	0.84	-3.38	206.14
Jalore	10640	0.00	22.67	212.94	235.61	2.21	-32.46	221.89
Jhalawar	6219	0.00	83.39	353.28	436.67	7.02	1.09	102.57
Jhunjhunu	5928	0.00	20.79	180.17	200.96	3.39	0.19	179.54
Jodhpur	22850	0.00	4.26	104.99	109.25	0.48	1.47	163.53
Karauli	5524	0.00	96.04	747.80	843.84	15.28	-26.16	300.54
Kota	5217	0.00	153.28	391.55	544.83	10.44	-1.90	135.83
Nagaur	17718	0.00	14.11	155.65	169.76	0.96	22.72	87.71
Pali	12387	0.00	211.60	498.26	700.86	5.66	26.01	357.60
Pratapgarh	4449	0.00	562.97	470.80	1033.77	23.24	-4.14	59.05
Rajsamand	4655	0.00	129.94	386.93	516.87	11.10	-4.92	126.06
Sawai Madhopur	4498	0.00	171.30	293.31	464.61	10.33	1.92	138.52
Sikar	7732	0.00	31.51	170.67	202.18	2.61	9.12	198.68
Sirohi	5136	0.00	300.96	597.46	898.42	17.49	-13.49	247.50
Tonk	7194	0.00	27.72	138.18	165.90	2.31	0.84	68.96
Udaipur	11724	0.00	1212.93	1540.46	2753.39	23.49	-4.15	239.53
Grand Total	**342239**	**78.15**	**4368.65**	**12208.16**	**16654.96**	**4.87**	**25.45**	**4808.51**

स्त्रोत :–India State of Forest Report–2021

1.3 प्रदेश का वानिकी परिदृश्यः एक दृष्टि में

• राज्य का कुल अभिलेखित वन (Recorded forest Area)	32921 वर्ग किमी
• राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन भूमि	9.60 प्रतिशत
• राज्य का कुल वनावरण (Forest Cover)	16655 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के अंतर्गत वनावरण	12560 वर्ग किमी
➢ अभिलेखित वन के बाहर वनावरण	4095 वर्ग किमी
• राज्य का वृक्षावरण (Tree Cover)	8733 वर्ग किमी
• राज्य का कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	25388 वर्ग किमी
➢ राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का	7.42 प्रतिशत
➢ प्रति व्यक्तिऔसतन वनावरण एवं वृक्षावरण	0.037 हेक्टेयर

1.4 वन विभाग एक नजर में

राज्य पशु	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	गोडावण
राज्य वृक्ष	खेजड़ी
राज्य पुष्प	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	3
वन्यजीव अभयारण्य	26
कंजर्वेशन रिजर्व	36
बाघ परियोजनाएं	5 (रणथम्भौर, सरिस्का, मुकन्दरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी एवं धौलपुर–करौली)
रामसर स्थल	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
कुल प्रादेशिक मण्डल	38
वन्यजीव मण्डल	16
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (कैडर स्ट्रेंथ)	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	433
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	7,670
एस.टी.पी.एफ.रणथम्भौर	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	749
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	963
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	413
कार्य प्रभारित कर्मचारी	2999

अध्याय–2
प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

2.1 वन प्रशासन

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग–अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने सम्बंधी मानसिकता वन अधिकारियों/कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गई है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यतः निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

2.1.1 उच्च स्तरीय प्रशासन

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) को प्रशासनिक कार्यो में सहयोग एव ंविभाग के प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निवर्हन किया जाता है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्यजीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता सम्बन्धी कार्यों की स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) प्रदेश में विकास, वन सुरक्षा, बजट, शोध, शिक्षा तथा प्रसार आदि के साथ–साथ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य भी देख रहे हैं।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारू क्रियान्विति के लिये राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं।

2.1.2 मध्यम स्तरीय प्रशासन

- मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से सम्भाग स्तर पर बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिये सम्भागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किये गये हैं। सभी सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–बल प्रमुख) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व सम्भागों के अनुरूप है।
- इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ साथ सौंपे गये अन्य दायित्वों का भी निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद भी सृजित किया गया है। इनके द्वारा सम्बन्धित सम्भाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाती है तथा ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिये मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक सम्भाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिये एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। मूल्यांकन मण्डल अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रत्येक सम्भाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद भी सृजित किया गया है।
- इसी प्रकार वन्यजीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर, मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर एवं मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व, कोटा कार्यरत हैं।

- प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में दो उप खण्ड बनाए गये हैं। इन उपखण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उपखण्ड में 3 से 4 रेंजें हैं। उपखण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक से निर्धारित किये गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्यजीव सुरक्षा एवं प्रबंधन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्यजीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

2.1.3 कार्यकारी स्तर

वन मण्डल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज का प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होता है। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है। विशिष्ठ योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्यस्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

2.2 वन सेवा

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये वन सेवाओं का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिये विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति अग्रानुसार है :–

2.2.1. भारतीय वन सेवा

राजस्थान में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की केडर स्ट्रेन्थ 145 है। जिसमें 89 वरिष्ठ ड्यूटी पद एवं शेष 56 पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति, राज्य प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण रिजर्व, छुट्टी रिजर्व के लिए स्वीकृत है।

दिनांक – 01.01.2024 की स्थिति अनुसार

क्र.सं.	पद नाम	कैडर पद		एक्स कैडर पद पर कार्यरत
		स्वीकृत	कार्यरत	
1	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	2
2	अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	1	5
3	मुख्य वन संरक्षक	21	5	6
4	वन संरक्षक	16	5	4
5	उप वन संरक्षक	44	27	18

2.2.2 राजस्थान वन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाईम स्केल)	3	1	2
2	उप वन संरक्षक (सुपर टाईम स्केल)	13	0	13
3	उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल)	69	49	20
4	उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल)	84	53	31
5	सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल)	264	134	130
	योग	**433**	**237**	**196**

2.3 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण माह (1.1.2024 की स्थिति)

2.3.1 राजपत्रित संवर्ग के विभिन्न अधिकारी (अभियांत्रिकी सेवा):–

क्रं. सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	अधिक्षण अभियंता	**1**	**1**
2.	अधिशाषी अभियंता	**3**	**2**
3.	सहायक कृषि अभियंता	**3**	**3**
	योग	**7**	**6**

2.3.2 राजपत्रित संवर्ग के अन्य अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण

क्रं. सं.	पदनाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	**181**	**79**

2.3.3 राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा (01.01.2024 की स्थिति अनुसार)

क्रं.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	रेंजर ग्रेड–I	270	230	40
2	जू–अधीक्षक	1	1	0
3	रेंजर ग्रेड–II	451	356	95
4	जू–सुपरवाईजर	4	0	4
5	वनपाल	979	842	137
6	सहायक वनपाल	1498	1098	400
7	वनरक्षक	4467	3468	999
	योग	**7670**	**5995**	**1675**

2.3.4 लेखा संवर्ग एवं तकनीकी सेवा (01.01.2024 की स्थिति)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	**749**	**360**	**389**

2.3.5 विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर, सवाई माधोपुर (01.01.2024 की स्थिति)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर	**112**	**37**	**75**

2.3.6 मंत्रालयिक सेवा (01.01.2024 की स्थिति)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	मंत्रालयिक संवर्ग	**963**	**799**	**164**

2.3.7 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (01.01.2024 की स्थिति)

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	**413**	**338**	**75**

2.4 विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धी विवरणः–

- वन विभाग में सहायक वन संरक्षक के सीधी भर्ती के 127 एवं रेंजर ग्रेड–I के 115 पदों को भरने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.12.2021 को जारी किया गया था। वर्तमान में 116 प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक तथा 96 प्रशिक्षु रेंजर ग्रेड–I विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षणाधीन हैं।

- विभाग में वनपाल के 148 एवं वनरक्षक के 2646 रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जयपुर द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया है। वनपाल के 134 एवं वन रक्षक के 1701 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। भूतपूर्व सैनिकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर पीठ द्वारा स्थगन जारी किये जाने से उक्त पदों की भर्तियों की कार्यवाही प्रभावित है।

2.5 अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण (वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर 2023 तक)

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1.	कनिष्ठ सहायक	24
2.	वनरक्षक	11
3.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	07
	योग	**42**

2.6 विभाग में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2023–24 (01.04.2023 से 31.12.2023) तक विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं :–

क्र.स.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष	डी.पी.सी दिनांक
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I	14	2023–24	06.10.2023
2	प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी	6	2023–24	28.06.2023
3	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से प्रशासनिक अधिकारी	27	2023–24	28.06.2023
4	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अति प्रशासनिक अधिकारी	52	2023–24	07.07.2023
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से अति प्रशासनिक अधिकारी (डैफर्ड)	2	2023–24	29.09.2023
6	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी	96	2023–24	13.07.2023
7	वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी (डैफर्ड)	5	2023–24	29.09.2023
8	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक	104	2023–24	21.07.2023
9	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक (डैफर्ड)	7	2023–24	29.09.2023
10	कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक (डैफर्ड)	2	2023–24	06.10.2023
11	च.श्रे. कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक	12	2023–24	21.07.2023
12	निजी सचिव से वरिष्ठ निजी सचिव	1	2023–24	14.07.2023
13	अति निजी सचिव से निजी सचिव	5	2023–24	27.07.2023
14	निजी सहायक ग्रेड–I से अति निजी सचिव	6	2023–24	25.08.2023
15	निजी सहायक ग्रेड–I से अति निजी सचिव (डैफर्ड)	1	2023–24	05.10.2023
16	निजी सहायक ग्रेड–II से निजी सहायक ग्रेड–I	1	2023–24	25.08.2023

2.7 वरिष्ठता सूचियां (2023–24) का प्रकाशन

क्र. स.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कुल संख्या	विशेष विवरण
1	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I	851/कार्मिक दिनांक 9.6.23	219	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
2	क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–II	1091/कार्मिक दिनांक 12.7.23	391	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
3	संस्थापन अधिकारी	4259/सी दिनांक 11.5.23	3	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
4	प्रशासनिक अधिकारी	4266/सी दिनांक 11.5.23	9	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
5	अति. प्रशासनिक अधिकारी	5263/सी दिनांक 30.5.23	45	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
6	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	5152/सी दिनांक 30.05.23	99	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
7	वरिष्ठ सहायक	5041/सी दिनांक 30.5.23	204	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
8	कनिष्ठ सहायक	4930/सी दिनांक 30.5.23	345	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
9	वरिष्ठ निजी सचिव	4689/सी दिनांक 25.5.232	2	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
10	निजी सचिव	4689/सी दिनांक 25.5.232	3	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
11	अतिरिक्त निजी सचिव	4689/सी दिनांक 25.5.232	7	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
12	निजी सहायक ग्रेड–I	4689/सी दिनांक 25.5.232	14	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
13	निजी सहायक ग्रेड–II	4689/सी दिनांक 25.5.232	4	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
14	वाहन चालक	5871/सी दिनांक 16.6.23	221	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4819/सी दिनांक 30.5.23	348	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
16	वनपाल	7713/सी दिनांक 8.9.23	602	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
17	सर्वेयर/फील्डमेन	4547/सी दिनांक 10.5.23	39	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची
18	कनिष्ठ अभियंता	4403/सी दिनांक 18.5.23	1	1.4.2023 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची

अध्याय–3
वन सुरक्षा

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्यजीव संबंधी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं–

3.1 गश्तीदल का गठन

वन क्षेत्रों में अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

3.2 वायरलैस प्रणाली

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाका/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सैट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 284 वायरलेस सैट्स हैं, जिनमें से फिक्सड सैट्स की संख्या 144, वाहनों पर मोबाइल सैट्स 19 तथा हैण्डसेट्स 121 है।

3.3 वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 49 रिवॉल्वर एवं 145 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा और वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

3.4 एफ.एम.डी.एस.एस. पोर्टल

वन अपराधों संबन्धी विभिन्न प्रकार के प्रकरणों यथा अवैध कटान, अवैध खनन, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं वन्यजीव अपराध इत्यादि को ऑनलाईन दर्ज करने हेतु एफएमडीएसएस पोर्टल (FMDSS Portal) तथा मोबाइल FMDSS app तैयार किया गया है। उक्त मोबाइल एप यूजर फ्रेण्डली है। इस एप के माध्यम से आसानी से विभिन्न वन अपराधों को दर्ज कर ऑनलाईन रिकार्ड तैयार किया जा रहा है। वन अपराध के कुल 1,05,924 प्रकरणों को दिनांक 31.12.2022 तक FMDSS Portal पर दर्ज किया जा चुका है।

3.5 इण्डिया कोड पोर्टल

इण्डिया कोड पोर्टल पर केन्द्र तथा राज्य सरकार से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों का अपलोड/अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। वन विभाग के वन सुरक्षा अनुभाग द्वारा विभाग से सम्बन्धित समस्त अधिनियम/ नियमों/ नोटिफिकेशनों को इण्डिया कोड पोर्टल पर

अपलोड किया गया है। विभाग द्वारा मुख्य रूप से दो अधिनियम राजस्थान वन अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 को अपलोड किया है। उपरोक्त क्रम में अभी तक अपलोड किये गये विभिन्न नियम एवं नोटिफिकेशन निम्नानुसार हैं:–

- राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत 12 नियमों, 11 नोटिफिकेशनों तथा 2 आदेश
- राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत एक नियम राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियम, 1974 एवं इसके अंतर्गत 2 नोटिफिकेशन
- केन्द्रीय अधिनियम वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत एक नियम वन्यजीव (संरक्षण) (राजस्थान) नियम,1977 तथा 12 नोटिफिकेशनों
- जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक नियम राजस्थान जैवविविधता नियम, 2010 उपरोक्त सभी को इण्डिया कोड पोर्टल पर सम्बन्धित अधिनियम के नाम से सर्च कर अधिनियम/नियम/नोटिफिकेशन को पी.डी.एफ. (searchable.pdf) में डाउनलोड किया जा सकता है।

• वित्तीय वर्ष 2023–24 में दिनांक 31.12.2023 तक विभिन्न श्रेणी के वन अपराधों के दर्ज प्रकरणो का विवरण

क्र.सं.	वन अपराध का प्रकार	दिनांक 01.04.2023 तक लम्बित प्रकरण		इस वर्ष में दर्ज प्रकरण		निस्तारित प्रकरण		एवजाना राशि (रू0 में)
		विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	विभाग	कोर्ट	
1.	अवैध खनन	977	521	895	41	785	24	29255580
2.	अवैध कटान	1072	240	1542	0	1458	1	7609501
3.	अवैध चराई	207	127	2333	6	2273	0	4525557
4.	वन्यजीव अपराध	1478	803	172	73	93	13	1160000
5.	शाख तरासी /वृक्ष छंगाई	78	21	825	3	171	0	3211720
6.	सीमा चिन्हों की तोडफोड/परिवर्तन	27	11	8	0	5	0	130100
7.	वन उत्पाद का अवैध परिवहन	399	143	1177	6	1109	1	39940060
8.	अवैध आरा मशीन	434	318	38	0	24	18	248300
9.	अन्य अपराध	884	276	1284	4	1313	9	7780795
योग		**5556**	**2460**	**8274**	**133**	**7231**	**66**	**93861613**

3.6 वन भूमि पर दर्ज अतिक्रमण प्रकरण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34(A) के अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य से अतिक्रमण की बेदखली हेतु कारवाई का प्रावधान है। वर्ष 2023–24 में वन भूमि पर अतिक्रमण के कुल 2559 प्रकरण दर्ज किये गये तथा पूर्व के 9323 प्रकरण लंबित थे। वर्ष में 2313 प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कर राशि 469.39 लाख रूपये आरोपित किये गये।

3.7 वन अधिकार पत्र

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के प्रावधानों अंतर्गत प्रदेश में आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों हेतु अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में उक्त अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा "वन अधिकार समितियां" गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग (नोडल विभाग) की विभागीय वेबसाईट के अनुसार प्रदेश में नवम्बर, 2023 तक कुल 120218 दावे विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र 48724 (27903.08 हेक्टेयर) तथा सामुदायिक वन अधिकार पत्र 2445 (110359.88 हेक्टेयर) कुल 51169 (138282.96 हेक्टेयर) वन अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं।

3.8 वन अधिनियम/नियम/परिपत्रों में संशोधन

राजस्थान वन अधिनियम 1953 में संशोधन कर राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम 2018 जारी कर उक्त अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत बांस प्रजाति को वृक्ष की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। इससे गैर–वन भूमि पर किसानों एवं आम लोगों द्वारा बांस प्रजाति के उत्पादन किये जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

राजस्थान वन (उपज अभिवहन) नियम 1957 की नियम 3 के उपनियम (1) के अन्तर्गत राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ–2(1)रे वे/8/73/पार्ट–1/जयपुर, दिनांक 09.02.1983 में आंशिक संशोधन कर उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी तक को वन उपज के राज्य से बाहर परिवहन किये जाने हेतु पारपत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई है।

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 50(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए वन अपराध में जब्त वाहनों के अधिहरण हेतु सहायक वन संरक्षकों के पद रिक्त होने/अवकाश पर रहने/मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में संबंधित उप वन संरक्षकों को क्षेत्राधिकार अनुसार अधिकृत किया गया है।

3.9 वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रदेश के वनक्षेत्रों में गैर वानिकी कार्यों हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जो कि भारत सरकार द्वारा संशोधन किया जाकर अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 हो गया है, के तहत वन भूमि में किसी भी गैर वानिकी कार्य की क्रियान्विति से पूर्व भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। समस्त विभागों /आवेदनकर्ताओं को इस अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पार्ट–I में पूर्ण प्रस्ताव मय आवश्यक संलग्नक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.2014 के अनुसार दिनांक 15.8.2014 से सभी प्रकार के प्रस्ताव (वनभूमि के प्रत्यावर्तन) Forest, Wildlife & Enviornment Clearance की साइट वेबपोर्टल परिवेश (PARIVESH 2.0) पर अपलोड करना होता है। स्वीकृति की समस्त प्रक्रिया वर्तमान में ऑनलाइन ही की जाती है।

- समस्त विभागों/आवेदनकर्ताओं को इस अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पार्ट–I में पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर ऑनलाईन प्रस्तुत करने होते है। प्रस्ताव के पार्ट–II से IV तक की आवश्यक पूर्तियों उपरांत प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं। वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दो चरणों में जारी की जाती है। प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा कुछ शर्तें अधिरोपित कर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती है, जिनकी पालना संबंधित आवेदनकर्ता विभाग/प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किये जाने पर अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार/भारत सरकार को अग्रेषित किये जाने के उपरांत राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा प्रकरण में विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है।

- वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के संशोधित नियम–2023 दिनांक 01.12.2023 से लागू किया गया है जिसके अंतर्गत नवीन प्रस्ताव ऑनलाइन परिवेश–2.0 पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रावधान किया गया है, इसके अंतर्गत 5 हैक्टेयर वन भूमि से कम के प्रत्यावर्तन

क्षेत्र का परीक्षण उप वन संरक्षक स्तर पर एवं 5 हैक्टेयर वनभूमि से अधिक प्रत्यावर्तन क्षेत्र का परीक्षण नोडल स्तर पर होगा।

- नोडल अधिकारी स्तर पर 5 है0 से अधिक वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावों के परीक्षण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 धारा 2 के खण्ड I, II, III के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच हेतु एक परियोजना जाँच समिति (Project Screening Committee) का गठन किये जाने का प्रावधान है।

- **परियोजना जाँच समिति का गठन**–(1) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एक आदेश द्वारा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खंड (i), (ii) एवं (iii) के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव की पूर्णता की जाँच करने के लिए एक परियोजना जाँच समिति का गठन कर सकते हैं।

  (2) सभी प्रकरणों का परियोजना जांच समिति की बैठक में निर्णय होगा जिसमें निम्नानुसार कमेटी का गठन का प्रावधान किया गया है। इस कमेटी में सदस्य सचिव की भूमिका उप वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) करेंगे।

क्र.सं.	नामित अधिकारी	पद
1.	नोडल अधिकारी,	अध्यक्ष
2.	संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक	सदस्य
3.	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य
4.	संबंधित जिला कलक्टर और उनके प्रतिनिधि (डिप्टी कलक्टर के पद से नीचे का नहीं)	सदस्य
5.	नोडल अधिकारी के कार्यालय में प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव

- (a) परियोजना जाँच समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम दो बार होगी, और परियोजना जाँच समिति की बैठक की गणपूर्ति तीन होगी।

  (b) परियोजना जाँच समिति, प्रस्तावों की जाँच के पश्चात, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, जैसा भी मामला हो, को सिफारिश करेगी।

- इस नियम के अंतर्गत परियोजना जाँच समिति द्वारा गैर–वानिकी प्रयोजन के लिए वनभूमि के उपयोग हेतु प्रस्तावों की जाँच की समयावधि निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	गैर–वानिकी उपयोग के लिए अनारक्षण/अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का आकार (हेक्टयर में)	गैर–वानिकी उपयोग की प्रकृति	समयावधि (कार्य दिवस)
1.	5 से अधिक और 40 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	60
2.	5 से अधिक और 40 तक	खनन	75
3.	40 से अधिक और 100 तक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	75
4.	40 से अधिक और 100 तक	खनन	90
5.	100 से अधिक	सभी उपयोग (खनन के अतिरिक्त)	120
6.	100 से अधिक	खनन	150

- परियोजना जांच समिति [नियम 9(4) (ड.)] द्वारा स्वीकार किये गये प्रस्ताव के अंतिम जमा करने की तारीख से गणना की गई समयावधि (कार्य दिवस)

- परियोजना जांच समिति या विभागीय वन अधिकारी किसी अनुमोदित विशेष योजना जैसे वन्यजीव प्रबंधन योजना, जलागम क्षेत्र संशोधन योजना प्रवाह/नदी संरक्षण योजना इत्यादि के पश्चात ही प्रस्ताव की जांच करेंगे, यदि नियम 9 के उप–नियम (4) के खण्ड (ज) के अधीन प्रस्ताव की जांच के समय विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया गया हो।

- नियम 9 के उपनियम (4) के खण्ड (ञ) में निहित, खनन और खनन के अलावा सभी प्रस्तावों को, जिनमें 5.0 हेक्टेयर तक वन क्षेत्र सम्मिलित हो, क्रमशः अधिकतम 45 और 30 कार्य दिवस के भीतर संसाधित किया जाएगा।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 11–9/98–एफसी दि. 13.2.14 के क्रम में 1 हैक्टेयर तक के जनोपयोगी कार्यों के प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। 40 हैक्टेयर वन भूमि तक के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव (खनन एवं अतिक्रमण के नियमितीकरण के प्रस्तावों को छोड़कर) में आवश्यक अनुमतियां भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय–जयपुर द्वारा जारी की जाती हैं तथा 40 हेक्टर से अधिक (समस्त खनन एवं अतिक्रमण के नियमतिकरण के प्रस्ताव सम्मिलित) के वन भूमि प्रत्यावर्तन

के प्रस्ताव में आवश्यक अनुमति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो परियोजनाऐं वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों से होकर या 10 किलोमीटर परिधि में से होकर गुजरती हैं उनमें सक्षम स्तर से स्वीकृति लेने से पूर्ण Wildlife Clearance भी प्राप्त करना आवश्यक है।

- वर्तमान में परिवेश–1.0 एवं परिवेश 2.0 प्रचलित है। दिनांक 28.06.2022 के उपरांत सभी प्रस्ताव परिवेश 2.0 पर स्वीकार किये जा रहे हैं। परिवेश 1.0 अनुसार पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय–वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, पार्ट–IV नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–V राज्य सरकार के द्वारा भरा जाकर प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं।

परिवेश 2.0 में निम्न व्यवस्था लागू हैः–

- 5 है0 तक के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय– नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–IV राज्य सरकार द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।
- 5 है0 से अधिक के वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में पार्ट प्रथम यूजर एजेन्सी, पार्ट द्वितीय–उप वन संरक्षक, पार्ट तृतीय–वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, पार्ट–IV नोडल अधिकारी के द्वारा, पार्ट–V राज्य सरकार द्वारा भरा जाकर स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रेषित किये जाते हैं।
- 40 है0 तक के प्रस्ताव वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक एवं 100 है0 से अधिक के प्रस्ताव नोडल अधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है।
- प्रत्यावर्तन प्रकरणों में स्वीकृति दो चरणों यथा सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना होने के उपरांत ही विधिवत स्वीकृति जारी की जाती है।

Abstract of development projects under FCA, 1980 as on 31.12.2023 (online)

Parivesh - 1.0

Sr. No.	Category/Deptt.	Proposal under consideration with :								No. of cases in which in-principlesanction has been issued (01.01.2023 to 31.12.2023)	No. of cases in which final sanction has been issued (01.01.2023 to 31.12.2023)	Foreat Area Diverted (in Ha.)	Area Received		Plant Condition
		User Agency	DCF	CCF	PCCF/Nodal Officer	Govt. of Rajasthan	RO, MoEF & CC, Govt. of India	HO, MoEF & CC, Govt. of India	Total				Non-Forest Land (in Ha.)	Degraded -Forest Land (in Ha.)	No. of Plants
1	Irrigation/Hydral	4	0	1	0	0	0	0	***5***	0	1	0.6926	0	0	100
2	Mining/Querring	4	1	0	0	0	0	0	***5***	0	3	90.5957	91.4505	112.67	0
3	Drinking Water	5	0	0	1	0	0	0	***6***	2	1	0.12	0	0	100
4	Optical Fibre Cable	9	0	1	0	0	0	0	***10***	6	8	4.0445	0	3.92	0
5	Road	43	4	0	2	1	0	0	***50***	10	19	63.2493	18.4667	69.7582	4510
6	Railway	0	0	0	0	0	0	0	***0***	0	0	0	0	0	0
7	Transmission Line	10	0	0	0	0	0	0	***10***	5	16	40.983	0	80.8404	500
8	Others	12	0	1	0	1	0	0	***14***	6	16	8.4645	4.9133	39.33	1250
Total		**87**	**5**	**3**	**3**	**2**	**0**	**0**	**100**	**29**	**64**	**208.1496**	**114.8305**	**306.5186**	**6460**

Praivesh - 2.0 (Proposals submitted after 28 June 2022)

Parivesh - 2.0

Sr. No.	Category/Deptt.	Proposal under consideration with :								No. of cases in which in-principlesanction has been issued (01.01.2023 to 31.12.2023)	No. of cases in which final sanction has been issued (01.01.2023 to 31.12.2023)	Foreat Area Diverted (in Ha.)	Area Received		Plant Condition
		User Agency	DCF	CCF	PCCF/Nodal Officer	Govt. of Rajasthan	RO, MoEF & CC, Govt. of India	HO, MoEF & CC, Govt. of India	Total				Non-Forest Land (in Ha.)	Degraded-Forest Land (in Ha.)	No. of Plants
1	Irrigation/Hydral	1	0	0	0	0	0	0	***1***	0	0	0	0	0	0
2	Mining/Querring	1	1	0	0	0	0	0	***2***	0	0	0	0	0	0
3	Drinking Water	3	1	0	1	0	0	0	***5***	0	0	0	0	0	0
4	Optical Fibre Cable	15	1	0	2	0	0	0	***18***	6	0	0	0	0	0
5	Road	50	12	0	10	1	0	0	***73***	7	8	8.4056	0	14	700
6	Railway	2	0	0	0	0	0	0	***2***	0	0	0	0	0	0
7	Transmission Line	9	3	0	6	1	1	0	***20***	7	2	0.1646	0	0	200
8	Others	46	16	1	6	2	0	0	***71***	19	2	0.3323	0	0	200
Total		**127**	**34**	**1**	**25**	**4**	**1**	**0**	**192**	**39**	**12**	**8.9025**	**0**	**14**	**1100**
Grand Total(Parivesh 1+2)		**214**	**39**	**4**	**28**	**6**	**1**	**0**	**292**	**78**	**76**	**217.0521**	**114.831**	**320.519**	**7560**

अध्याय–4
वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बडा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.60 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.86 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2023 में राज्य के सम्पूर्ण भू भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके।

प्रदेश की विषम परिस्थितियॉ यथा दो–तिहाई मरूप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्याधिक जैविक दबाव एवं दीमक के प्रकोप के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्वि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India), भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्र में एवं वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षाच्छादित क्षेत्र का सर्वेक्षण सैटेलाईट ईमेजरी के माध्यम से किया जाकर प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर ''इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट'' प्रकाशित की जाती है। राजस्थान उन चुनिन्दा राज्यों में से है, जिसमें वर्ष 1991 से लेकर अब तक वृक्षाच्छादित क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि हुई है। इण्डिया स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट, 2021 में भी रिपोर्ट 2019 के सापेक्ष राजस्थान में वनावरण में 25.45 वर्ग कि0मी0 वृद्धि दर्शायी गयी है।

4.1 वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो–तिहाई क्षेत्र मरू भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौती पूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाडियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्राषित वनों की पुर्नस्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उडती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक वृक्षारोपण, उडती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण–संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं एवं उन्नत पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते है।

4.2 बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति

कार्य का विवरण	उपलब्धि			
	2020–21	2021–22	2022–23	(दिसम्बर, 2023 तक)
पौधारोपण (है0 में)	33511.32	45659.90	61246.92	109798.10
पौधारोपण (लाखों में)	215.23	269.38	356.51	460.41

* जिलेवार विवरण परिशिष्ठ 7 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

4.3 वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कईं योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड, जापान इन्टरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), जापान एवं ए.एफ.डी.फ्रांस से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

4.3.1 राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–2 जापान इन्टरनेशनल कॉ–आपरेशन ऐजेन्सी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरूस्थलीय जिले (सीकर, झून्झूनू, चूरू, जालौर, बाडमेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर,) एवं पांच गैर मरूस्थलीय जिले (बांसवाडा, डूंगरपुर, भीलवाडा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाडी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमन्द वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, रावली टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरूस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर–मरूस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिन्हित किया गया है।

इस परियोजना के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः–

"साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन–समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।"

इन उददेश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वृद्धि करते हुये आजिविका संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं। गांव वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यदि कोई कार्य

परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को गांव के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह परियोजना मूलतः 2011–12 से 2018–19 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई थी। इसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ है, जिसमें से 884.77 करोड़ का JICA द्वारा ऋण व 267.76 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा है। जायका के साथ हुए ऋण अनुबंध की अक्टूबर 2021 तक वैधता तथा अवशेष ऋण राशि के कारण परियोजना कार्यावधि में 5 वर्ष की अभिवृद्धि वर्ष 2019–20 से 2023–2024 की गई है।

परियोजना की कुल लागत 1152.53 करोड़ का विवरण निम्न प्रकार हैः–

Sr. No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore)
1	AFFORESTATION	423.28
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	1.63
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	46.92
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	84.36
5	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	16.89
6	COMMUNITY MOBILIZATION	65.42
7	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	6.34
8	PROJECT MANAGEMENT	29.82
9	MONITORING & EVALUATION	5.90
10	CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	14.96
	TOTAL	**695.52**
11	PRICE ESCALATION	97.50
12	PHYSICAL CONTINGENCY	79.30
13	CONSULTING SERVICES	12.47
14	ADMINISTRATIVE COST	219.17
15	VAT & IMPORT TAX	14.00
16	INTEREST DURING CONSTRUCTION	27.50
17	COMMITMENT CHARGES	7.07
	TOTAL	457.01
	GRAND TOTAL	**1152.53**

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 27 मण्डल प्रबन्ध इकाईयों तथा 83 क्षेत्र प्रबन्ध इकाईयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन किया गया है जिनके द्वारा

उपरोक्त कार्यो में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2011–12 में एक नये बायोलाजिकल पार्क (माचिया बायोलाजिकल पार्क जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलोजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलाजिकल पार्क उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलाजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जनगढ़ बायोलोजिकल पार्क अप्रेल 2015, माचिया बायोलोजिकल पार्क जनवरी 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलोजिक पार्क जून 2016 में जनता के लिए खोल दिये गये हैं। इसके अलावा अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क कोटा का निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में शुरू कर दिया गया था, जो 18 दिसम्बर, 2021 को पर्यटको के भ्रमण हेतु खोल दिया गया है।

उद्घाटन तिथि से दिसम्बर, **2023** तक विभिन्न पार्कों में पहुंचे पर्यटकों एवं उनसे हुई आय का विवरण निम्न है :

क्र.स.	पार्क का नाम	उद्घाटन तिथि	पर्यटकों की संख्या		कुल आय (रू0)	
			2015–16 से 2022–23	2023–24 (दिसम्बर 2023 तक)	2015–16 से 2022–23	2023–24 (दिसम्बर 2023 तक)
1	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	4 जून 2016	2476156	285821	113017710	13354290
2.	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर	20 जनवरी, 2016	2077257	244061	69217719	8995980
3.	सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर	12 अप्रेल, 2015	1789736	182726	57988680	6706675
4.	अभेडा जैविक उद्यान, कोटा	18 दिसम्बर 2021	83668	84179	3703980	3327190
		कुल योग	*6426817*	*796787*	243928089	32384135

आजीविका संवंर्धन गतिविधियों के अंतर्गत गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। अब तक कुल 1957 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों की क्षमतावर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु वित्तीय सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही की गई है।

Physical Progress from FY 11-12 to 2023-24

Item	Unit	Project Target	Cumulative Achievement	Achievement %
Package - 1 : Afforestation				
Plantation	(Ha.)	83650	83676	100
Package - 2 : Agro Forestry				
Raising of Seedlings by SHGs	Nos	130	101	78
Trainings to SHGs	Nos	130	86	66
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)				
Anicut-I	Nos	600	600	100
Anicut-II	Nos	400	400	100
Check Dams	Cumt	200000	200000	100
Contour Bunding	Rmt	500000	500000	100
Percolation Tank	Nos	700	700	100
Renovation/restoration of TWHS	Nos	200	200	100
Silt Detention structure	Nos	300	300	100
Gabion Structures	Nos	500	500	100
Package - 4 : Biodiversity Conservation				
DLT Works	Ha	12000	12000	100
Development of water points	Nos	100	100	100
Biodiversity Closures	Ha	5000	5000	100
Package - 5 : Poverty Alleviation and Income Generation Activities				
No of SHG Formed	Nos	1950	1957	100
Mobilization of SHG	Nos	1950	1637	84
Livlihood improvement Activities	Nos	1950	1173	61
Package - 6 : Capacity Building, Training and Research				
VFPMC Members	Nos	1300	1291	99
NGOs training	Nos	6	7	117
FG/Cattle Guard Training	Nos	54	64	119
Range Officers/ ACFs	Nos	6	6	100
DCFs and Equivalent	Nos	2	2	100
Project Personnel	Nos	6	6	100
VFPMC Members	Nos	12	**12**	**100**
Overseas Study Tours (I)	Nos	5	0	0
Overseas Study Tours (II)	Nos	6	0	0
Overseas Training of Officers	Nos	20	0	0

Research: Rohida and Khejri	Ha	200	115	58
Extension camps/Field Visits by DMUs	Nos	1400	1241	89
Training to officer /Forest staff in GIS*	Persons	200	1032	516
Package - 7 : Community Mobilization				
VFPMC/EDC Formation & Strengthening	Nos	650	650	100
Microplanning	Nos	650	650	100
Entry Point Activities First Year	Nos	650	623	96
Second Year	Nos	650	642	99
Meeting Center for VFPMC	Nos	650	594	91
CET Activities				
Awareness camp	Nos	650	608	94
Workshop and Seminars at DMU Level	Nos	135	112	83

- **Note:-**परियोजना अंतर्गत वर्ष 2018–19 में सभी भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। वर्ष 2018–19 में 69065 है0 , वर्ष 2019–20 में 63145 है0 ,वर्ष 2020–21 में 49183 है0 क्षेत्र में केवल वृक्षारोपण संधारण कार्य करवाये गये थे। वर्ष 2021–22 में 33256 है0, वर्ष 2022–23 में 19921 है0 तथा वर्ष 2023–24 में 1741 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण संधारण के कार्य किये जा रहे है।

Financial Progress FY. 2011-12 to 2023-24 **(Rs. In lacs)**

S. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Ach. upto 2022-2023	2023-24		Grand Total
				BE	Ach. Up to Dec,2023	
1	**AFFORESTATION**	**42328**	60769.13	**15.33**	6.58	60775.71
2	**AGRO FORESTRY ACTIVITIES**	**163**	80.53			80.53
3	**WATER CONSERVATION STRUCTURES**	**4692**	6247.49			6247.49
4	**BIODIVERSITY CONSERVATION**	**8436**	12980.70			12980.70
5	**POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT**	**1689**	810.13			810.13
6	**CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH**	**634**	267.79			267.79
7	**COMMUNITY MOBILIZATION**	**6542**	5361.89			5361.89
8	**PROJECT MANAGEMENT**	**2982**	2392.40	**55.00**	28.34	2420.74
9	**MONITORING & EVALUATION**	**590**	227.35			227.35
10	**CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU**	**1496**	2062.22	**100.00**	74.12	2136.34
	Total A	**69552**	**91199.62**	**170.33**	**109.04**	**91308.66**
11	**PRICE ESCALATION , PHYSICAL CONTINGENCY , CONSULTING SERVICES**	**18925**				
	Total B	**88477**	**91199.62**	**170.33**	**109.04**	**91308.66**
12	**ADMINISTRATIVE COST, VAT & IMPORT TAX, INTEREST DURING CONSTRUCTION, COMMITMENT CHARGES**	**26776**	22356.39	**129.67**	**75.81**	**22432.20**
	Grand Total	**115253**	**113556.01**	**300.00**	**184.85**	**113740.86**

विभाग अन्तर्गत राजस्थान वानिकी एवं जैव परियोजना फेज–2 में दो नवीन परियोजनाएं हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है–

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP), Agence Française de Development (AFD) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के 13 जिले (अलवर, बारां, भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक) तथा रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व बूंदी, भैंसरोड़गढ सेन्चुरी कोटा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, बीसलपुर, टोंक एवं उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा, मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 800 गांव को चिन्हित किया गया है। परियोजना अंतर्गत कुल 55000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण, 3000 है0 क्षेत्र में ओरण, प्लाण्ट माईक्रो रिजर्व 100, कृषि वानिकी अंतर्गत 55 लाख पौधों का वितरण एवं वन्यजीव क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु 610 कि0मी0 दीवार का निर्माण व 1200 स्वयं सहायता समूह के सहयोग से आजीविका सर्वधन गतिविधियों के विकास कार्य करवाये जायेगें।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

'' परियोजना क्षेत्र के प्राकृतिक वनों की रक्षा और विकास करना और वन संरक्षित क्षेत्रों के अंदर व बाहर स्थानिक प्रजातियों की सुरक्षा, लुप्तप्रायः पौधों की प्रजातियों की बहाली व ओरण विकास तथा जैव विविधता संरक्षण से संबंधित वनीकरण गतिविधियों को शुरू करके राज्य के पूर्वी हिस्से में समग्र पारिस्थितिकीय संतुलन में सुधार करना है।''

इन उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिन्हित गांव में दो नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित समूहों के कौशल मे वृद्धि करते हुये आजीविका संवर्द्धन महिला सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जा रहे हैं।

यह परियोजना मूलतः 2023–24 से 2030–31 तक आठ वर्ष हेतु स्वीकृत की गई है। इस परियोजना की कुल लागत रू. 1693.91 करोड़ है, जिसमें AFD का अंश रूपये 1185.28 करोड़ (70 प्रतिशत) एवं राज्यांश रू. 508.63 करोड़ (30 प्रतिशत) है।

परियोजना की कुल लागत 1693.91 करोड़ का विवरण निम्न प्रकार है:–

Sr. No.	PACKAGES	TOTAL (in Crore)
1	AFFORESTATION	236.81
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	18.25
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	74.26
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	415.72
5	WILD LIFE DEVELOPMENT AND ECOTOURISM	112.25
6	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	23.80
7	COMMUNITY MOBILIZATION	82.37
8	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	42.32
9	PROJECT MANAGEMENT, MONITORING & EVALUATION, CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU	99.38
	TOTAL	**1105.16**
10	PHYSICAL CONTINGENCY	80.12
11	RFD Share (Price Escalation+Management Cost of RFD)	508.63
	TOTAL	588.75
	GRAND TOTAL	**1693.91**

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र को 23 मण्डल प्रबन्ध इकाईयों तथा 90 क्षेत्र प्रबन्ध इकाईयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को ईकाई के रूप में लिया गया है। प्रत्येक मण्डल प्रबन्धन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु पीएफटी का चयन किया गया है जिनके द्वारा उपरोक्त कार्यो में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

वर्ष 2023–24 में परियोजना अंतर्गत 68.4 करोड़ रू0 का बजट आवंटन किया गया है जिसकी अनुपालना में मण्डल प्रबन्धन इकाईयों द्वारा माह दिसम्बर 2023 तक 29.31 करोड़ रू0 का व्यय किया जा चुका है।

Physical Progress from FY 2023-24

Item	Unit	Project Target	Target Year 2023-24	Achievement Year (Dec. 23) 2023-24
Package - 1 : Afforestation				
Plantation	(Ha.)	55000	3100	2499
Package - 3 : Development of Water Conservation Structures (WCS)				
Check Dams	Cum	200000	8000	1500
Contour bunding	RMT	250000	8000	2800
Gabion Structures	No	500	10	4
Silt Detention Structure	No	450	10	1
DLT Works	Ha.	4600	200	35
Renovation / restoration of traditional water harvesting structures	No	200	10	3
Percolation Tank	No	500	25	8
Package - 4 : Biodiversity Conservation				
Development of Plant Micro-reserves	No	100	2	WIP
Protection of forest block by boundary wall 4 Feet	km	410	21	6.45
Enrichment of old plantation	ha	23000	3000	1852
Conservation and development of Sacred Groves (Oran)	ha	3000	100	WIP
Package - 5 : Wildlife Development And Ecotourism				
Protection of wildlife area boundaries 6 Feet	km	200	39	5.57

Financial Progress FY 2023-24 (Rs. In crore)						
S. No.	Name of Activities / Item	Allocation as per Project Cost	Target to Year 2023-24 (BE)	2023-24		Grand Total
				Allot.	Ach. Up to Dec.,2023	
1	AFFORESTATION	236.81	18.94	18.94	12.89	12.89
2	AGRO FORESTRY ACTIVITIES	18.25	0.25			
3	WATER CONSERVATION STRUCTURES	74.26	1.31	1.31	0.48	0.48
4	BIODIVERSITY CONSERVATION	415.72	24.81	22.61	11.40	11.40
5	WILD LIFE DEVELOPMENT AND ECOTOURISM	112.25	7.80	13.07	3.32	3.32
6	POVERTY ALLEVIATION AND LIVELIHOOD IMPROVEMENT	23.80	0.75	0	0	0
7	COMMUNITY MOBILIZATION	82.37	3.90	1.84	0.29	0.29
8	CAPACITY BUILDING TRAINING & RESEARCH	42.32	2.01	1.58	0.10	0.10
9	(a)PROJECT MANAGEMENT	99.38	19.03	7.59	0.27	0.27
	(b) MONITORING & EVALUATION			0	0	0
	(c) CONTRACTUAL PERSONNEL FOR PMU			1.50	0.56	0.56
	Total A	1105.16	78.80	68.43	29.31	29.31
10	PHYSICAL CONTINGENCY	80.12	1.20	0	0	0
11	RFD SHARE (PRICE ESCALATION+ MANGEMENT COST OF RFD)	508.63	0	0	0	0
	Total B	588.75	0	0	0	0
	Grand Total (A+B)	1693.91	80.00	68.43	29.31	29.31

4.3.2 नाबार्ड वित्त पोषित वृक्षारोपण परियोजना

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा–भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर. आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड, चित्तौडगढ, प्रतापगढ, राजसंमद, सिरोही एवं उदयपुर) में चार चरणों में वर्ष 2012–13 से वन विकास कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं आम जनता के कीमतन वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी सम्मिलित हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी बढाने एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटाने की दृष्टि से मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी कराया गया है।

4.3.2.1 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 से वर्ष 2022–23 तक 145050 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा संधारण कार्य सहित मार्च, 2023 तक 81621.76 लाख व्यय किये जा चुके हैं। परियोजना के चारों चरणो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2022–23 तक का संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार हैः–

क्र. सं.	परियोजना का चरण	स्वीकृत राशि (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ वर्ष	वृक्षारोपण लक्ष्य (है.)	अर्जित वृक्षारोपण (है.)	कुल व्यय (लाखों में) (मार्च 2023 तक)
1	RIDF-XVIII Phase-I	33665.58	2012–13	52750	52750	29466.11
2	RIDF-XX Phase-II	28234.39	2014–15	43000	42950	23539.71
3	RIDF-XXII Phase-III	15761.24	2016–17	27400	27400	14579.24
4	RIDF-XXVI Phase-IV	15087.50	2020–21	21950	21950	14036.70
योग				**145100**	**145050**	**81621.76**

नाबार्ड परियोजनाओ अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक कुल राशि रू. 13439.03 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.2.2 नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत पंचम चरण हेतुः–22100 है0 वृक्षारोपण एवं जल व मृदा संरक्षण कार्यो की नई परियोजना लागत राशि रू. 206.38 करोड की वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक की परियोजना नाबार्ड के स्वीकृति क्रमांक NB SPD/2271/RIDF-XXVIII (Rajasthan)/ 114th ISC/2022-3 Dt. 08-03-2023 द्वारा स्वीकृत की गई है। इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में 21250 है0 वन भूमि पर अग्रिम मृदा एवं वृक्षारोपण कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

4.3.3 राजस्थान प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)

राजस्थान में वन भूमि का वनेतर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप प्रयोक्ता अभिकरण से सीए, एनपीवी, पीसीए, पीसीए, वन्यजीव प्रबन्धन आदि शर्तें अधिरोपित कर राशि संग्रहण की जाती है । उक्त राशि के द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना एवं वन भूमि/वनों के क्षतिपूर्ति के लिए एकत्रित राशि से वन

एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास, प्रबन्धन किये जाने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियमावली, 2018 को दिनांक 30.09.2018 से प्रभावशील किया गया है । इन अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण का गठन किया गया है।

4.3.3.1 प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के मुख्य बिन्दु

- राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जावेगी।
- यह राज्य निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी तथा इसका प्रबंधन राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। राज्य निधि में प्राप्त निधि राज्य के लोक लेखाओं के अधीन ब्याज वाली निधि होगी। राज्य निधि में अवशेष अव्यपगतीय होगा एवं जिस पर वर्षानुवर्ष आधार पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा घोषित दर के अनुसार ब्याज प्राप्त होगा।
- एडहॉक कैम्पा में जमा राशि में 90 प्रतिशत राशि राज्य निधि में स्थानान्तरित की जावेगी तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण में जमा रहेगी।
- राज्य निधि में प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, वन एवं वन्य जीव सुरक्षा, विकास एवं वन एवं वन्यजीव के प्रबंधन में किया जावेगा।
- राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्य योजना तैयार कर संचालन समिति से अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से अनुमोदन के अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी।
- राज्य प्राधिकरण के प्रभावी संचालन के लिए एक गवर्निंग बॉडी रहेगी तथा इसके सहायता के लिए एक संचालन समिति एवं एक कार्यकारी समिति रहेगी।

4.3.3.2 राजस्थान प्रतिकारात्मक वनारोपण निधि, अधिनियम, 2016 की क्रियान्विति:–

प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिए दिनांक 10.08.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 जारी किये गये है। इन नियमों के तहत 80 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव प्रबंधन के लिये उपयोग में लायी जावेगी तथा 20 प्रतिशत राशि वन तथा वन्य जीव से संबंधित आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिये किया जावेगा । राज्य निधि से अंतरित ब्याज का 60 प्रतिशत रकम वन एवं वन्य जीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जायेगा तथा ब्याज का 40 प्रतिशत राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जावेगा।

- राजस्थान राज्य के लोक लेखा अन्तर्गत ''राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि–राजस्थान'' जिसे ''राज्य निधि'' के नाम से जाना जायेगा, की स्थापना की जा चुकी है ।
- राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के लेखांकन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2018 को नवीन बजट मद खोल दिये गये हैं । केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन के लिये दिनांक 20.11.2018 से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (लेखांकन प्रक्रिया) नियम, 2018 जारी किये हैं । जिसके अन्तर्गत मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप शीर्ष खोले जा चुके हैं ।
- वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 1748.25 करोड राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण को दिनांक 29 अगस्त 2019 को स्थानांतरित कर दी गई है ।
- वर्ष 2023–24 की वार्षिक कार्य योजना राशि रू. 286.50 करोड भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई एवं राशि रू. 286.50 करोड राज्य सरकार द्वारा रिलीज की गई । माह दिसम्बर 2023 तक राशि रू. 115.59 करोड का व्यय हो चुका है ।

विगत तीन वर्षों का प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि लाखों में	किया गया व्यय (राशि–लाखों में)	
2020-21	-	-	586.20	व्यय बैंक में रही शेष राशि में से
	Recd. From Rajasthan Govt.	25000.00	18644.33	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
	योग	**25000.00**	**19230.53**	
2021-22	Recd. From Rajasthan Govt.	20317.52	18212.42	व्यय कोषालय के माध्यम से (A.G. Audited)
2022-23	Recd. From Rajasthan Govt.	23087.57	20905.58	व्यय कोषालय के माध्यम से (AG Audited)
2023-24 (Upto Dec. 2023)	Recd. From Rajasthan Govt.	28649.57	11559.19	व्यय कोषालय के माध्यम से

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2020–21 से 2023–24 (माह दिसम्बर 2023) तक कराये गये मुख्य कार्यों की प्रगति

Name of Works	Progress 2020-21	Progress 2021-22	Progress 2022-23	Progress 2023-24 (upto December 2023)
Compensatory Afforestation (NFL Planting)	1054.016 Ha.	243.922Ha.	116.985Ha.	435.999 Ha.
Compensatory Afforestation (DFL Planting)	1093.83 Ha.	564.5938Ha.	327.8068 Ha.	325.595 Ha.
Additional Compensatory Afforestation (ACA Planting)	-	-	-	69.568 Ha.
Penal Compensatory Afforestation (PCA Planting)	-	-	-	512.235 Ha.
Assisted Natural Regeneration (Restocking of Degraded Forest Areas) (ANR Planting)	9950.00 Ha.	16680.00 Ha.	9917.00 Ha.	10500.00 Ha.
Reforestation of Degraded Forests-II (RDF-II Planting)	-	-	-	1000.00 Ha.
Sand Dunes Stabilization for IGNP Areas (SDS Planting)	-	-	-	1000.00 Ha.
Block Plantation	-	-	-	420.00 Ha.
Canal Side Plantation	-	-	-	300.00 Rkm.
Silvi Pastoral Planting	-	835.00 Ha.	350.00 Ha.	1210.00 Ha.
construction of pucca wall (4 & 6 feet Height)	80539.45 Rmt.	51484.50 Rmt.	70186.00 Rmt.	10918.58 Rmt. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
Forest Boundary Protection / Demarcation by erection of RCC Boundary Pillars	7071.00 No.	7389.00 No.	11259.00 No.	107.00 No शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
(SMC) Works (Anicutt Type III & II)	90.00 No.	101.00 No.	79.00 No.	19.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
Construction of Forest Guard Chowkies	9.00 No.	24.00 No.	24.00 No.	1.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर
Construction of Forest Guard Chowkies	4.00 No.	8.00 No.	16.00 No.	आवंटित कार्य प्रगति पर
Purchase of Moter cycle	-	-	42.00 Nos.	21.00 No. शेष आवंटित कार्य प्रगति पर

Panther conservation Reserve	9.49 Lac Rs.	-	104.92 Lac Rs.	-
Project Leopard (works including Strengthening aprey base, construction of water holes, Shelter habitat development, Eco restoration wall Avoiding man-Animal conflict etc.) Kumbhalgarh & Raoli Todgarh Sanctuary	197.04 Lac Rs.	185.89 Lac Rs.	114.31 Lac Rs.	-
Conservation of Bansial Khetari Conservation Reserve Jhunjunu as per project	76.29 Lac Rs.	75.22 Lac Rs.	87.40 Lac Rs.	5.94 Lac Rs.
Conservation of Bansial Khetari - Bagour Conservation reserve Jhunjunu asper project	84.68 Lac Rs.	84.59 Lac Rs.	76.87 Lac Rs.	7.60 Lac Rs.
Conservation Reserve Beed Jhunjhunu as per Project	52.05 Lac Rs.	102.03 Lac Rs.	28.27 Lac Rs.	10.15 Lac Rs.
Mansa Mata Conservation Reserve, Jhunjhunu	-	54.24 Lac Rs.	65.04 Lac Rs.	4.65 Lac Rs.
Shahabad Conservation Reserve, Baran	-	-	70.07 Lac Rs.	-
Voluntary relocation of villages from protected Areas	423.78 Lac Rs.	2372.287 Lac Rs.	1907.61 Lac Rs.	458.75 Lac Rs.
Conservation of Lesser Florican Conservation Reserve Sarwar Ajmer	69.50 Lac Rs.	14.37 Lac Rs.	115.51 Lac Rs.	1.31 Lac Rs.

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत् वर्ष 2019–20 तक कुल राशि रू. 2580.97 लाख एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरूद्ध वर्ष 2020–21 तक राशि रू. 2132.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 राशि रू. 1238.06 लाख एवं वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक राशि रू. 136.25 लाख स्टेट कैम्पा से व्यय की जा चुकी है। योजनान्तर्गत वर्ष 2023–24 (माह दिसम्बर 2023 तक) 8.805 कि.मी. (2.5 मीटर ऊँची), 67.326 कि.मी. (1.5 मीटर ऊँची) दीवार का निर्माण तथा 1620 है0 में वृक्षारोपण कराया गया है।

4.3.4 पर्यावरण वानिकी

आम जन को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से क्रियान्विति की जा रही इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2023–24 में रू. 2563.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2023 तक राशि रू. 1493.73 लाख व्यय किये जा चुके हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत प्रावधान राशि (रू. लाखो में)	दिसम्बर, 2023 तक व्यय राशि (रू. लाखो में)
1	पर्यावरण वृक्षारोपण (ETF)	284.00	205.95
2	अशोक विहार उद्यान एवं डियर पार्क के विकास हेतु	20.00	12.11
3	स्मृति वन जयपुर का संधारण	25.00	10.73
4	पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने हेतु मुख्यमंत्री बजट घोषणा	800.00	773.30
5	गोरधन परिक्रमा मार्ग पर वृक्षारोपण	5.00	0
6	हर्बल गार्डन, अजमेर संधारण	5.00	1.53
7	स्मृति वन सीकर का संधारण	15.00	12.58
8	जोधपुर के देवकुण्ड वनखण्ड में वन औषधीय उद्यान का संधारण	5.00	0.00
9	स्मृति वन बाडमेर हिल्ली का संधारण	10.00	2.87
10	नेचर पार्क चुरू का संधारण	15.00	4.22
11	झालावाड में नोलक्खा किला स्मृति वन का संधारण	5.00	3.42
12	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण	200.00	144.47
13	नानी बीड को ईकोलोजी पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु	200.00	132.90
14	यूवाओं को वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रेकिंग, कैम्पिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों के जोडने हेतु	974.00	189.63
	योग	**2563.00**	**1493.73**

4.3.5 परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 26500 है0 वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 24450 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में रू. 24321.21 लाख व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2023 तक 15002.72 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.6 जलवायु परिवर्तन एवं मरू प्रसार रोक

वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरू प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरूस्थलीय जिलों में मुख्यतया टिब्बा स्थिरीकरण के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2023–24 में 17500 है0 क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य करवाया जा रहा है तथा 15500 है0 में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन कार्यो पर इस वित्तीय वर्ष में रू. 17701.41 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2023 तक 8752.32 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.7 भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण

प्रदेश के थार मरूस्थल को हरा–भरा बनाने एवं आम जनता को बार–बार पडने वाले अकाल से राहत दिलने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखडा नहर, भाखडा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 920000 एकड भू–भाग की सिंचाई होती है। इन दोनो नहरों के किनारों के वृक्षारोपण के 2.2 लाख वृक्षों के परिपक्व होने के कारण उनका विदोहन विभाग द्वारा कर लिया गया था। अतः नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। भाखडा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

भाखडा नहर वृक्षारोपण की प्रगति

क.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016–17	360.76	167.95	650 आर.के.एम. (216 है0)
2.	2017–18	355.65	320.5	318 आर.के.एम. (106 है0)
3.	2018–19	350.00	344.90	900.48आर.के.एम (300.16 है0)
4.	2019–20	589.70	493.52	1140 आर.के.एम. (380 है0)
5.	2020–21	434.83	426.60	495.99आर.के.एम.(165.33 है0)
6	2021–22	554.26	541.82	914.73आर.के.एम.(304.91 है0)
7	2022–23	520.21	516.88	1041.72आर.के.एम.(347.24 है0)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति				
क्र. सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख रू.)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2016–17	315.89	228.71	385 आर.के.एम. (128 है0)
2.	2017–18	274.50	274.35	237 आर.के.एम. (79 है0)
3.	2018–19	199.24	194.90	172.83 आर.के.एम. (57.61 है0)
4.	2019–20	153.51	118.85	125 आर.के.एम. (41.67 है0)
5.	2020–21	153.51	150.46	220.50 आर.के.एम. (73.50 है0)
6.	2021–22	153.51	153.44	222.57 आर.के.एम. (74.19 है0)
7.	2022–23	129.94	126.42	139.95 आर.के.एम. (46.65 है0)

4.3.8 पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिगत, अब वन क्षेत्र के बाहर वृक्षारोपण प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं जन साधारण के सहयोग से एक वृहद् वृक्षारोपण कार्यक्रम ट्री आउट साईड फोरेस्ट एरिया (TOFR) के रूप में चलाये जाने के क्रम में वर्ष 2023–24 में 24 माह के 1.48 करोड और 12 माह के 1.77 करोड, कुल 3.25 करोड पौधे तैयार किये जायेगे।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान), आर. एफ.बी.पी. फेज–। रिवोल्विंग फंड (नोन प्लान) एवं नाबार्ड (प्लान) परियोजना के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत 2022–23 में वितरित पौधे, वर्ष 2023–24 में दिसम्बर, 2023 तक वितरित पौधे एवं वर्ष 2024–25 में वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का वितरण निम्नानुसार है:–

नाम योजना	वर्ष 2022–23 में वितरित पौधे (लाखों में)	वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर तक वितरित पौधे (लाखों में)	आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य (लाखों में)	
			भौतिक	वित्तिय (रूपये)
फार्म फोरेस्ट्री	42.63	347.96	325.43	3757.68
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	36.71	20.26	36.10	189.05
नाबार्ड परियोजना	5.57	6.33	0	0
योग	**84.91**	**374.55**	**361.53**	**3946.73**

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 5.00 लाख बडे पौधों की तैयारी की गई है एवं इस वर्ष भी 5.00 लाख बडे पौधे तैयार किये जा रहे हैं, जिसके लिये पृथक से रू. 131.64 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 मे वितरण हेतु उपलब्ध होगें।

4.3.9 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं। राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। वर्ष 2021–22 हेतु राशि रूपये 115.30 लाख एवं वर्ष 2022–23 हेतु राशि रू. 26.63 लाख की दो वार्षिक कार्य योजना (ए.पी.ओ.) भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। उक्त परियोजना को अब ग्रीन इण्डिया मिशन में विलय कर दी गई है।

4.3.10 साझा वन प्रबंध की सुदश्ढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्यादेशों दिनांक 17.10.2000, दिनांक 24.10.2002 एवं दिनांक 21.09.2023 के अनुरूप क्रियान्विति की जा रही है। उक्त आदेशों के क्रम में वर्तमान में राज्य में लगभग 6379 समितियां (ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं ईको डवलपमेंट कमेठी) गठित हैं। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदश्ढीकरण के लिए चालू वर्ष में 13.00 लाख रू. व्यय का प्रावधान है। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2023 तक 4.86 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

4.3.11 नर्मदा नहर परियोजना

नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी (0 to 51.5 RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70 RD) बाडमेर में है। इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा 31.03.2022 तक कुल राशि रू. 2856.68 लाख व्यय की गई है।

4.3.12 विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण (योजना भिन्न के अन्तर्गत)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 है0 क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999–2000 से 2008–09 एवं द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011–12 से 2020–21 तक स्वीकृत है। वृक्षारोपणों का विदोहन वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की विभागीय कार्य ईकाई द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम देशी बबूल सफेदा, अरडू, खेजडी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं। वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि में किये गये पुनः वृक्षारोपण कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वर्ष	पुनः वृक्षारोपण क्षेत्र (है0 में)
1	2017–18	597.80
2	2018–19	1028.26
3	2019–20	541.00
4	2020–21	427.48
5	2021–22	514.95
6	2022–23	604.91

4.3.13 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण

वन अनुसंधान को और गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2023–24 में वानिकी क्षेत्र में वन्यजीव तथा वानिकी इंटर्न्स पर राशि रू. 8.00 लाख, स्टेट लेवल स्टेयरिंग बैठकों में अध्यक्ष मय सदस्यों के मानदेय भुगतान पर राशि रू. 1.00 लाख, वानिकी प्रशिक्षण पर राशि रूपये 28.70 लाख तथा वानिकी अनुसंधान कार्यों पर राशि रूपये 22.00 लाख अर्थात कुल राशि रू. 59.70 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यो पर माह दिसम्बर, 2023 तक 37.40 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

अध्याय–5
मृदा एवं जल संरक्षण

5.1 बाढ सम्भावित नदी परियाजनायें

आजादी के पश्चात् भारत सरकार द्वारा ढॉचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई व कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया। जिस तरह बांधों में नदी के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाली मिट्टी व जमाव को रोकने/कम करने हेतु नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उसी तरह कालान्तर में यह महसूस किया गया कि कुछ नदियों में बाढ़ की समस्या के कारण जान–माल के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान हो रहा था उसी के मध्यनजर पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदियों को भी केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया गया। उसी के क्रम में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा, भू–संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना, सवाईमाधोपुर, भू–संरक्षण अधिकारी, (कृषि), लूणी नदी परियोजना, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यतः बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

उद्देश्य (Objectives) :–इन भू–संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं।

- जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपन (Degradation) को रोकना।
- जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना।
- अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना,
- जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत बनास/लूणी नदी क्षेत्र में निम्नानुसार व्यय किया गया :–

वित्तीय वर्ष	नाम योजना	उपजलग्रहण क्षेत्र की संख्या	उपचारितउप जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या		
			हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि रू. (लाखों में)
2020–21	एफ0पी0आर0 बनास व लूणी परियोजना	59	10095	1366	1691.95
2021–22		55	10272	1072	1811.09
2022–23		36	7743	746	1118.69

बनास व लूणी परियोजना में चालू वर्ष 2023–24 के लिए आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत राशि रू 923.00 लाख की कार्य योजना नवीन एवं प्रगतिरत उपजलग्रहण क्षेत्रों के लिये एस.एल.एस.सी. (कृषि विभाग) से अनुमोदित है, जिसके अन्तर्गत 51 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाने है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निम्नानुसार विकास कार्य सम्पादित करवाये गये :–

नाम योजना	उपजलग्रहण क्षेत्र की संख्या	दिसम्बर, 2023 तक उपचारित जलग्रहण क्षेत्र		
		हैक्टेयर	जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि रू. (लाखों में)
एफ0पी0आर0 बनास परियोजना	44	1489	111	182.60
लूणी परियोजना	7	409	91	79.62
योग	**51**	**1898**	**202**	**262.22**

5.2 नदी घाटी परियोजनाऐं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बहुउद्देश्यीय बांधों (Multipurpose Dams) का निर्माण किया गया है। इन बॉधों के निर्माण में विभिन्न योजना काल खंड़ों में अत्यधिक राशि का व्यय हुआ है। अतः बॉधों की राष्ट्र के लिये उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इनके जलाशयों में मिट्टी की आवक

को न्यूनतम रखा जावे। बॉधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान् केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू–संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। राष्ट्र की बहुउद्देश्यीय योजनाओं में नदी घाटी परियोजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है । संक्षिप्त में इन्हें "नदी घाटी परियोजना" कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाडा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनायें क्रमशः वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं जो क्रमशः चितौड़गढ, बासवाड़ा व प्रतापगढ, सिरोही व उदयपुर जिले में स्थित है। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाडा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू–संरक्षण परियोजना संचालित है। इन बांधों के जल भराव क्षमता अच्छी बने रहने से राज्य की जल सुरक्षा (Water Security), सिंचाई सुविधा इत्यादि सुनिश्चित रहती हैं। हाल ही में अनेक शहरों में भूजल स्थिति (Under ground water status) में अत्यधिक ह्रास होने के फलस्वरूप इन शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिये इन बड़े बॉधों पर निर्भरता बढ़ी है इसलिये इन बॉधों की बहुउद्देश्यीय उपयोगिता को लम्बे समय तक बनाये रखने में भू0–संरक्षण नदी घाटी परियोजना का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। भू–संरक्षण नदी घाटी परियोजना अर्न्तगत वर्ष 2022–23 तक कुल 362 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2020–21से 2023–24 में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	चम्बल			माही			दांतीवाडा एवं साबरमती		
	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)	भौतिक (हेक्टेयर में)	संरचनाओं की संख्या	वित्तीय (लाख रू. में)
2020–21	2373	266	370.08	2532	1426	363.51	1759	1357	379.98
2021–22	2111	88	337.20	1583	574	484.71	3854	468	499.98
2022–23	212	15	108.03	1558	538	339.06	2191	2272	450.00
2023–24 (माह दिसम्बर 2023 तक)	0	0	0	796	205	97.91	310	343	261.88

अध्याय–6
मूल्यांकन एवं प्रबोधन

वन विकास के कार्यो में मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ गठित किया है जो अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के नेतृत्व में कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राजस्थान में वृहद स्तर पर करवाये जा रहे वानिकी विकास कार्यो की मात्रात्मक एवं गुणात्मक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सतत् मूल्यांकन करता रहता है।

उक्त कार्य हेतु राज्य के सभी संभागो में उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन के नेतृत्व में मूल्यांकन इकाईयां कार्यरत है जो उपलब्ध मानव एवं बजट संसाधनों के अनुसार कार्य करती हैं। ये इकाईयों वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, राजस्थान/अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन, राजस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा उनके निर्देशानुसार कार्य करती हैं।

इन इकाईयों को समय–समय पर मुख्यालय से आदेश प्रसारित कर विभिन्न वन मण्डलों के चयनित कार्यो एवं अन्य कार्यो के मूल्यांकन हेतु निर्देश दिये जाते है। ये इकाईयां मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्य करती हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई) को प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार ही मूल्यांकन ईकाईयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं।

6.1 मूल्यांकन ईकाईयों के कार्य

संभाग स्तर पर कार्यरत मूल्यांकन इकाइयों द्वारा अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्य स्थलों का शत–प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार निम्न कार्यो पर विशेष ध्यान दिया जाता है–

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माईक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाडबंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।

- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चिता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- किये गये वृक्षारोपण की तकनीक।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौधों की प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात करवाये जाने वाले विभिन्न संधारण कार्यो सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से संबंधित समस्त रिकार्ड के संधारण की स्थिति।
- वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों द्वारा वृक्षारोपण कार्यो आदि में सक्रियता की स्थिति आदि।

मूल्यांकन के उपरांत मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के संबंध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के संबंध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर वृक्षारोपण के संबंध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश प्रदान किये जाते है।

6.2 संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत वित्तीय वर्षो के संपादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार /वर्ष वार स्थिति :–

6.2.1 वर्ष 2020–21

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे. एस.ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	6	22	12	4	44	0	17	61
2	बीकानेर	4	33	47	25	109	0	15	124
3	भरतपुर	13	23	6	0	42	0	51	93
4	जयपुर	0	21	39	5	65	0	29	94
5	जोधपुर	0	19	20	6	45	0	0	45
6	कोटा	18	25	18	3	64	0	0	64
7	उदयपुर	0	2	18	5	25	0	44	69
	योग	41	145	160	48	394	0	156	550

6.2.2 वर्ष 2021–22

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे. एस.ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	3	13	17	3	36	0	17	53
2	बीकानेर	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भरतपुर	18	36	0	0	54	0	48	102
4	जयपुर	0	10	28	6	44	0	48	92
5	जोधपुर	6	28	13	3	50	0	12	62
6	कोटा	3	32	8	6	49	0	39	88
7	उदयपुर	0	8	1	0	9	0	102	111
	योग	30	127	67	18	242	0	266	508

नोट– 1.वर्ष 2021–22 में बीकानेर संभाग की सूचना शून्य है।

6.2.3 वर्ष 2022–23 एम.एण्ड.ई. मॉडयूल

क्रम संख्या	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइट्स की सख्या					अग्रिम कार्यों की साइट्स की संख्या	अन्य(स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशन वाल, बाउन्ड्री पिलर्स,वाच टावर्स आदि) अन्य एम.जे. एस.ए. फेज–II	योग
		40 प्रतिशत से कम	40–60 प्रतिशत	60–80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	अजमेर	0	5	11	5	21	0	0	21
2	भरतपुर	0	3	20	1	24	0	0	24
3	बीकानेर	0	8	27	11	46	0	0	46
4	जयपुर	0	7	10	13	30	0	0	30
5	जोधपुर	4	1	1	0	6	0	0	6
6	कोटा	0	2	13	10	25	0	0	25
7	उदयपुर	0	0	4	0	4	0	0	4
	योग	4	26	86	40	156	0	0	156

नोटः– वर्ष 2022–23 में समस्त संभागों में मूल्यांकन कार्य प्रगतिरत है तथा कुल 294 साईटों में से 138 साईटों की रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।

6.3 स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2018–19 में नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF—XVIII, Phase-I, 2013-14 to 2015-16) के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यो का तृतीय पक्ष मूल्यांकन सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर द्वारा किया गया। उक्त संस्था द्वारा 17 वन मण्डलों का मूल्यांकन कार्य किया गया है।सेन्टर फोर डवलपमेंट कम्यूनिकेशन एण्ड स्टडीस, (C-DECS) जयपुर द्वारा नाबार्ड फेज–I परियोजनान्तर्गत करवाये गये वानिकी विकास कार्यो के तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूरा कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक करवाये गये वृक्षारोपणों में

जीवितता प्रतिशत 20%से कम 5 वृक्षारोपण, 21–40 % 5 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 107 वृक्षारोपण व 61 –80 % के मध्य 8 वृक्षारोपण पाये गये।

इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 3010 है0 कन्टूर बंडिंग, 132 LSCD, 65 फार्म पॉन्डस, 44 गैबियन स्ट्रक्चर, 36 PCT/Nadi 36 WHS, 24 एनिकट टाइप II, 17 एनिकट टाइप-III, 11 मिट्टी चैकडेम सभी चैक किये गये। इसमें से 99.6 % रिकॉर्ड व साईट के अनुसार सही पाये गये। 83% संरचनाएं फंक्शनल पायी गयी।

6.4 तृतीय पक्ष मूल्यांकन (कैम्पा)

- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2022 में CDECS Jaipur द्वारा 15 जनवरी 2022 से 15 जुलाई 2022 तक पूर्ण कर लिया गया है।
- CDECS JAIPUR द्वारा 55 वनमण्डलों को 85 रेन्जों का मूल्यांकन कार्य किया गया। कैम्पा योजना में वर्ष 2017–18 से 2019–20 के दौरान वानिकी विकास कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों में औसत जीवितता 48.44 प्रतिशत पाई गई तथा 0–20 % के मध्य 6 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 3 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 86 वृक्षारोपण, 61–80 % के मध्य 15 वृक्षारोपण, 80% से अधिक एक वृक्षारोपण साइटस पाई गई।
- इसके अतिरिक्त उक्त 3 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 8 एनिकट टाइप II, 10 एनिकट टाइप-III, 4 फीट पक्की दीवार 73 साइटों पर, 6 फीट पक्की दीवार 48 साइटों पर, 17 फोरेस्ट गार्ड चौकी, 4 रेंज ऑफिस कम रेजीडेंस, रेस्क्यू सेन्टर/वार्ड 12, बाउन्ड्री पिलर्स 32, नर्सरी 9, रोड साइड प्लांटेशन 5 भी चैक किये गये।
- कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य (Assets) का तृतीय पक्ष मूल्यांकन वर्ष 2023 में CDECS Jaipur द्वारा 18 अप्रेल 2023 से 18 नवंबर 2023 तक पूर्ण कर लिया गया है।
- CDECS JAIPUR द्वारा 51 वनमण्डलों को 225 रेन्जों का मूल्यांकन कार्य किया गया।कैम्पा योजना में वर्ष 2020–21 से 2021–22 के दौरान वानिकी विकास कार्यों का तृतीय पक्ष मूल्यांकन पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वर्ष 2020–21 से 2021–22 तक करवाए गए वृक्षारोपण कार्यों में औसत जीवितता 50.70 प्रतिशत पाई गई तथा 0–20 % के मध्य 2 वृक्षारोपण, 21–40% के मध्य 1 वृक्षारोपण, 41–60 % के मध्य 138 वृक्षारोपण, 61–80 % के मध्य 14 वृक्षारोपण, 80% से अधिक 3 वृक्षारोपण साइटस पाई गई।
- इसके अतिरिक्त उक्त 2 वर्षो में करवाये गये मृदा एवं जल संरक्षण कार्यो में 30 एनिकट टाइप II, 16 एनिकट टाइप-III, 4 फीट पक्की दीवार 35 साइटों पर, 6 फीट पक्की दीवार 23 साइटों पर, 7 फोरेस्ट गार्ड चौकी, 3 रेंज ऑफिस कम रेजीडेंस, रेस्क्यू सेन्टर/वार्ड 1, बाउन्ड्री पिलर्स 232, एम पी टी 18, रोड साइड प्लांटेशन 1 भी चैक किये गये।

अध्याय–7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

7.1 संक्षिप्त विवरण

जैव विविधता की दृष्टि से राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश–विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्यजीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित टाईगर रिजर्वस्/राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों जैसे गोड़ावन, खरमोर, हरित मुनिया इत्यादि के संरक्षण में राज्य का वन विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्यजीव अभयारण्य एवं 36 कन्जर्वेशन रिजर्व अधिसूचित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 5 टाईगर रिजर्व भी अधिसूचित है। सभी संरक्षित क्षेत्रों के अति आच्छादित क्षेत्रों को छोडते हुए सकल क्षेत्रफल लगभग 14000 वर्ग कि.मी. है।

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानान्तर्गत देश में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यतः अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित है, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्यजीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती है। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके।

7.2 वन्य जीव प्रभाग द्वारा संपादित महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Project Tiger", "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Elephant" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरियाज कन्जर्वेशन सोसायटी, राजस्थान बाघ संरक्षण फाउण्डेशन आदि में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्यजीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे है।

अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत

सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में मुख्यतः सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, अग्नि निरोधक कार्य, वन पथों का निर्माण/संधारण इत्यादि कार्य करवाये जाते है। इनके लिए ईको–डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रचार–प्रसार के कार्य किये जाते है।

राज्य में 4 जैविक उद्यान क्रमशः माचिया जैविक उद्यान, सज्जनगढ जैविक उद्यान, नाहरगढ जैविक उद्यान एवं अभेड़ा जैविक उद्यान विकसित किये गये हैं जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। वर्तमान में बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर जैविक उद्यान विकसित किये जा रहे हैं। राज्य में 4 जन्तुआलय क्रमशः जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं बीकानेर में स्थित है, जिनमें से उदयपुर जन्तुआलय को पक्षी घर के रूप में विकसित किया जा चुका है तथा जयपुर एवं बीकानेर स्थित जन्तुआलय को पक्षी घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैविक उद्यान/जन्तुआलय/पक्षी घर में जनता के अवलोकन व जनजागृति हेतु वन्यजीवों को प्रदर्शित किया जाता है। विश्व में गोड़ावन का कृत्रिम प्रजनन एकमात्र राजस्थान में हो रहा है। खरमोर, हरित मुनिया, भेडिया इत्यादि का भी कृत्रिम प्रजनन राज्य में किया जा रहा है जिससे इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी।

राज्य में स्थित चिडियाघरों, जैविक उद्यानों एवं संरक्षित क्षेत्रों के बाहर स्थित सफारी, कृत्रिम प्रजनन केन्द्रों एवं रेस्क्यू सेन्टर पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में सहायता के लिये आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponosorship Scheme लागू की गई हैं।

7.3 वर्ष 2023–24 के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" "Project Elephant" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

7.3.1 इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाईल्ड लाईफ हैबिटाट्स''

राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्य/कंजर्वेशन रिजर्व एवं लुप्त प्रायः वन्यजीव प्रजातियों के संरक्षण कार्यों का वित्तीय पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 से इस योजना का फंडिंग पैटर्न परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2023–24 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 21 संरक्षित क्षेत्रों के विकास हेतु कुल राशि रुपये 8546.225 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इसी प्रकार ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम हेतु राशि रूपये 1136.90 लाख, खरमोर संरक्षण हेतु राशि रूपये 660.53 लाख, गिद्ध संरक्षण हेतु 139 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है। इस

योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये ढ़ांचागत विकास, पर्यावास सुधार, वन्यजीवों के लिए पेयजल प्रबंधन, अग्नि–रोधक कार्य, दीवार निर्माण एवं वन मार्गों का निर्माण/संधारण से संबंधित कार्य करवाये जाते है।

7.3.2 प्रोजक्ट टाईगर

- राज्य में 4 टाईगर रिजर्व क्रमशः रणथंभौर, सरिस्का, मुकुन्दरा हिल्स एवं रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व पहले से ही अधिसूचित है। इस वर्ष धौलपुर–करौली टाईगर रिजर्व की अधिसूचना जारी की गई हैं। यह राज्य का पांचवां टाईगर रिजर्व हैं। राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्त पोषित केन्द्र प्रवर्तित योजना "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में केन्द्र सरकार द्वारा रणथंभौर के लिए राशि रूपये 933.40 लाख, सरिस्का के लिए राशि रूपये 775.780 लाख, मुकुन्दरा हिल्स के लिए राशि रूपये 633.08 लाख तथा रामगढ़ विषधारी के लिए राशि रूपये 268.98 लाख कुल राशि रुपये 2611. 24 लाख की वार्षिक कार्य योजनाएं स्वीकृत की गई है जिसमें से राशि रूपये 1520.15 लाख केंद्रांश है।
- बाघ परियोजना रणथम्भौर, मुकन्दरा एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार बॉर्डर होम गार्ड्स/होम गार्डस् की तैनाती की जाती है।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विस्थापन पैकेज में बढ़ोतरी कर 10.00 लाख के स्थान पर 15. 00 लाख प्रति परिवार कर दिया गया हैं। प्रदेश की बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को गति प्रदान की गई है । रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 17 गांव में से 8 का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 9 गांव प्रक्रियाधीन है। मुकुन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 3 गांव में से 1 का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 2 गांव प्रक्रियाधीन है एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में विस्थापन के लिए चयनित कुल 11 गांव में से 5 का पूर्णतः विस्थापन हो चुका है तथा 6 गांव प्रक्रियाधीन है। रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व बून्दी में चयनित गांव गुलखेडी के कुल 208 परिवारों में से 40 परिवारों का विस्थापन किया जा चुका है।
- राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु राजस्थान बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी हितधारकों की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।
- संरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने तथा वन्यजीव संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अनुमोदित प्रबंध योजना के अनुरूप पर्यटन वहन क्षमता निर्धारित करने के पश्चात् पर्यटन

संचालन किया जा रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों में टिकट बुकिंग व्यवस्था ऑनलाईन की गई है। वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक रणथंभौर में 4.24 लाख, केवलादेव में 0.50 लाख तथा सरिस्का में 0.50 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया।

- इस वर्ष रणथम्भौर टाईगर रिजर्व सवाईमाधोपुर से मुकुन्दरा हिल्स में 1 एवं रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में 1 कुल 2 बाघिनों का ट्रांसलोकेशन किया गया। देश में प्रथम बार अस्थाई एनक्लोजर बनाकर एक स्थान विशेष पर बाघ को ट्रांसलोकेशन किया गया हैं।
- विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में विलुप्त हुये वन्यजीवों को पुर्नस्थापित करने के लिये बाघ, चीतल, सांभर, काला हिरण, भालू इत्यादि का सफलतापूर्वक पुर्नस्थापन किया गया है।
- आरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्यजीव अपराधों की रोकथाम एवं आबादी क्षेत्रों में आने वाले वन्यजीवों को रेस्क्यू करना एवं घायल/बीमार होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से ईलाज उपरांत उनको पुनः उनके पर्यावास क्षेत्रों में छोड़ना विभाग की नियमित गतिविधि है। रेस्क्यू ऐप के माध्यम से गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है। मानव–वन्यजीव संघर्ष के दौरान जनहानि, पशु हानि इत्यादि के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मुआवजा/क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

7.3.3 प्रोजेक्ट बस्टर्ड

Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भारत सरकार, भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं राज्य सरकार में हुए त्रिपक्षीय करार के अनुसार सम में गोडावण का कृत्रिम प्रजनन आरम्भ कर दिया गया है। गोडावण के कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत गोडावण पक्षी के 29 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। खरमोर पक्षी (Lesser Florican) के संरक्षण के प्रयास भी आरंभ किये जाकर 11 चूजों का पालन पोषण हो रहा हैं। हरित मुनिया का संरक्षण प्रजनन उदयपुर, पक्षी उद्यान में किया जाना आरम्भ हुआ है।

7.3.4 कन्जर्वेशन रिजर्व

वित्तीय वर्ष 2023–24 में खरमोर, गंगा भैरव घाटी (जिला–अजमेर) हमीरगढ़ (जिला–भीलवाड़ा), बांझआमली, सोरसन–प्रथम, सोरसन–द्वितीय, सोरसन–तृतीय (जिला–बारां), कुरजां (जिला–जोधपुर), बालेश्वर (जिला–सीकर), बीड़ मुहाना खण्ड–ए, बीड़ मुहाना खण्ड–बी (जिला–जयपुर), बीड़ फतेहपुर (जिला–सीकर) एवं महासीर, अमरख महादेव (जिला–उदयपुर) कुल 14 नये कंजर्वेशन रिजर्वस् घोषित किये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश में कंजर्वेशन रिजर्व की कुल संख्या 36 हैं जिनका विवरण परिशिष्ठ–3 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.5 प्रोजेक्ट लेपर्ड

राज्य में पेन्थर की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके कारण इनका प्रबंधन आवश्यक है। पैंथर संरक्षण के लिये "प्रोजेक्ट लैपर्ड" के तहत सर्वप्रथम झालाना जयपुर को चयनित किया जाकर इसमें लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई। वर्तमान में झालाना आमागढ़, कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ़, जयसमन्द, शेरगढ़ (बारां), माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, जवाई बांध एवं बस्सी व सीतामाता अभयारण्य क्षेत्रों को

प्रोजेक्ट लैपर्ड में सम्मिलित किया जाकर विशेष प्रबंधन किया जा रहा है। इनके विकास के लिये स्टेट कैम्पा/केन्द्रीय सहायता/राज्य योजना मद से उपलब्ध संसाधन के अनुरूप ग्रास लेण्ड विकसित करने, चार दीवारी निर्माण विलायती बबूल को हटाना, पर्यावास सुधार एवं पानी की व्यवस्था इत्यादि गतिविधियां कराई जा रही है।

लैपर्ड रिजर्व में प्रे–बैस बढ़ाने के लिये चिड़ियाघरों में अधिशेष प्रजातियों (हिरण इत्यादि) को छोड़े जाने के कार्य की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। जिसके क्रम में उक्त अभयारण्य क्षेत्रों में हिरण इत्यादि छोडने की कार्यवाही की जा रही है।

आमागढ़, माउण्ट आबू, खेतडी बांसियाल, बीड़ झुन्झुनू, मनसा माता, जयसमन्द, कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ क्षेत्रों में पर्यटन प्रोत्साहन के लिये सफारी प्रारम्भ की गई है तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग के माध्यम से टिकट बुकिंग की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। वर्ष 2023–24 में मुख्यमंत्री बजट घोषणा संख्या–118 (IV) के अन्तर्गत खेतड़ी बांसियाल, मनसा माता, शाकम्भरी–झुंझुनूं, जयसमंद, केवड़ा की नाल–उदयपुर, शाहबाद–बारां, बीड पापड़–जयपुर, बालेश्वर तथा कुम्भलगढ़, रावली टाडगढ–राजसमन्द में राशि रुपये 13.00 करोड़ के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

7.3.6 प्रोजक्ट एलीफेण्ट

इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जयपुर में रह रहे पालतू हाथियों के लिये वर्ष 2023–24 हेतु राशि रुपये 80 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

7.3.7 वन्यजीव सप्ताह आयोजन

राज्य वन्यजीव मंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों अनुसार वन विभाग द्वारा माह अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में राज्य भर में 69 वां वन्यजीव सप्ताह समारोह मनाया गया जिसमें वन विभाग द्वारा जिला स्तर पर अन्य सरकारी विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से राजस्थान की जैव विविधता और वन्यजीवों के संबंध में जन–जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आमजन विशेष रूप से छात्रों एवं युवाओं के लिये वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों, वन्यजीव सफारी का दौरा, स्वच्छता अभियान, चित्रकला प्रतियोगिता, बर्ड वॉचिंग, प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, साइकिलिंग, मैराथन रैली, कठपुतली प्रदर्शन इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

7.3.8 ईको–सेन्सिटिव जोन

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज्य में स्थित सभी संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 24 ईको–सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 15 ईको–सेन्सिटिव जोन की अंतिम अधिसूचनाएं जारी हो चुकी है, इसके अतिरिक्त 2 प्रकरण (तालछापर एवं फुलवारी की नाल अभयारण्य) में अंतिम अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। एक प्रकरण (सरिस्का टाईगर रिजर्व) में प्रारूप अधिसूचना जारी हो चुकी है शेष 6 प्रारंभिक अधिसूचनाओं के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ठ –2 के रूप में पृथक से संलग्न किया गया है।

7.3.9 चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान

- माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर को पर्यटकों के लिए 20.01.2016 को खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 2.44 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 69.50 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- सज्जनगढ जैविक उद्यान, उदयपुर को दिनांक 12.04.2015 को पर्यटकों के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 1.46 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे रूपये 49.93 लाख़ का राजस्व प्राप्त हुआ। उदयपुर स्थित बर्ड पार्क को दिनांक 12.05.2022 से आमजन के लिये खोला गया।
- नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर को दिनांक 04.06.2016 को पर्यटको के लिए खोला गया था। उद्यान में वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 2.86 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे राशि रुपये 133.54 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।
- जयपुर जन्तुआलय में भी वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 2.60 लाख पर्यटक आये, जिनसे राशि रुपये 51.00 लाख की आय हुई।
- जन्तुआलय, कोटा के वन्यजीवों को अभेड़ा जैविक उद्यान, कोटा में स्थानान्तरित कर दिनांक 01.01.2022 से अभेड़ा बायोलोजिकल पार्क को आमजन के लिए खोला गया। इसमें वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक 0.84 लाख पर्यटक आये, जिनसे रूपये 33.27 लाख की आय हुई।
- बीकानेर में मरूधरा जैविक उद्यान व अजमेर में पुष्कर में जैविक उद्यान बनाये जा रहे है।
- केन्द्रीय चिडियाघर प्राधिकरण के द्वारा चिडियाघरों के संधारण बाबत जारी गाईड लाईन अनुसार राज्य के सभी जैविक उद्यानों एवं चिडियाघरों – नाहरगढ जैविक उद्यान व जयपुर चिडियाघर/माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर/ बीकानेर, चिड़ियाघर/ कोटा चिडियाघर एवं सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर मे पशु पक्षियों के स्वच्छता (Sanitation), हाईजीन (Hygiene), रोग निरोधी (Prophylactic), पोषण (Nutrition) तथा बीमार जानवरों के प्रबन्धन इत्यादि सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने हेतु प्रशासनिक सुधार (अनु–3)विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प॰6 (50) प्र॰सु॰/अनु॰–3/2020 दिनांक 11.12.2020 द्वारा स्वास्थ्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांकः प॰12 (1) वन/2018/ पार्ट–2 दिनांक 09.04.2021 एवं 04.10.2022 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार 17 पशु चिकित्सकों तथा 33 पशुधन सहायकों को आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति दी गई है।

अध्याय–8
कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) वन मण्डलों/जिलों में स्थित वन क्षेत्रों के प्रबंधन की कार्य आयोजनाओं की तैयारी, स्वीकृति एवं समीक्षा करना।

(ब) वन बन्दोबस्त संबंधित सभी प्रकरणों का परीक्षण एंव निस्तारण ।

(स) वन भूमि के अमल दरामद, रेखाकंन व सीमांकन कार्य का परीक्षण व प्रबोधन।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर द्वारा इन कार्यो के सम्पादन एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त के अधीन आते हैं।

8.1 कार्य आयोजना :–

प्रत्येक वन मण्डल के वन क्षेत्रों के प्रबन्धन हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार की जाती हैं। वर्तमान में कार्य आयोजना तैयारी हेतु सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमशः उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार जिन जिलों में कार्य आयोजना बनाई जानी होती हैं, में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। संभागीय मुख्य वन संरक्षकगणों को उनके जिलों से सम्बन्धित कार्य आयोजना अधिकारियों का नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है व कार्य आयोजना तैयारी में संबंधित प्रादेशिक उप वन संरक्षकगण एवं कार्य आयोजना अधिकारीयों के मध्य पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

राजस्थान के विभिन्न वनमण्डलों के वन क्षेत्रों (वन्यजीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोडकर) के प्रबन्धन हेतु 31 कार्य आयोजनाएँ स्वीकृत करायी गई थीं। वर्तमान में नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2023 के अनुसार वनमण्डल के स्थान पर जिलेवार (33 जिलों की) कार्य आयोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। ग्यारह जिलों यथा जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, राजसमन्द, झुन्झुनू, चूरू, दौसा, भीलवाड़ा एवं सवाईमाधोपुर की नवीन कार्य आयोजनाएं को आगामी दस वर्षो के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कराई जा चुकी हैं। अजमेर जिले की नवीन ड्राफ्ट कार्य आयोजना का अनुमोदन स्टैण्डिग कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक में किया जा चुका है जिसका भारत सरकार स्तर से अनुमोदित कराया जाना शेष है।

नौ जिलों यथा पाली, डूंगरपुर, कोटा, सीकर, सिरोही, अलवर, करौली, धौलपुर एवं टोंक की कार्य आयोजनाओं का दो वर्षीय (अवधि वर्ष 2022–23 से 2023–24 तक) एवं नौ अन्य जिलों यथा जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागोर, भरतपुर, बांरा, बूंदी, एवं झालावाड़ की कार्य आयोजनाओं का एक वर्षीय अवधि विस्तार (अवधि वर्ष 2023–24) तक का अनुमोदन भारत सरकार व राजस्थान सरकार स्तर से करवाया गया है।

इन अवधि विस्तारित जिलों के अतिरिक्त बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ की प्रारम्भिक कार्य आयोजना स्वीकृत हो चुकी हैं एवं कार्य आयोजना को नवीन राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2023 के अनुसार पूर्ण कराने हेतु एफ.ई.एस. (Foundation for Ecological Security) आनन्द, गुजरात का तकनीकी सहयोग/प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरान्त इन जिलों की ड्राफ्ट कार्य आयोजनाओं के लेखन का कार्य प्रगतिरत है।

राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2023 के प्रावधानों के तहत इस बार कार्य आयोजना तैयारी में आधुनिक तकनीक जैसे रिमोट सैंसिंग, जी.आई.एस. व जी.पी.एस. आधारित मोबाईल एप का उपयोग कर डाटा एकत्र कर जैव विविधता सर्वे, फोरेस्ट इन्वेन्ट्री व मैपिंग का कार्य भी किया जा रहा है जो कि पूर्व में तैयार की जाती रही कार्य आयोजना की प्रक्रिया से भिन्न है।

8.2 वन बन्दोबस्तः–

वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अन्तर्गत आरक्षित /रक्षित वन घोषित किये जाने की प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

किसी वन क्षेत्र को रक्षित/आरक्षित वन खण्ड गठित करने की प्रारम्भिक अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1)/04 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र मे प्रकाशन उपरांत अंतिम अधिसूचना हेतु वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार जांच व सुनवाई कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाता है। तदुपरांत राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(3)/20 के अन्तर्गत अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार स्तर से जारी कर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है। गत वर्षों में प्रारम्भिक व अंतिम रूप से अधिसूचित कराये गए अवर्गीकृत वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार हैः–

वन खण्ड गठित करने की जारी प्रारम्भिक अधिसूचना अनुसार (क्षेत्रफल हेक्टेयर में)		
2021	**2022**	**2023**
1058.666	2945.843	932.2688

8.2.1 वन भूमि का विवरण :–

राजस्थान राज्य की कुल वन भूमि 32921.00 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल 342239 वर्ग किलोमीटर की 9.61 प्रतिशत है। उक्त वन भूमि में से 12178.03 वर्ग किलोमीटर आरक्षित, 18605.18 वर्ग किलोमीटर रक्षित तथा 2137.79 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत है। जिलेवार वन भूमि का विवरण पृथक से परिशिष्ठ –1 पर संलग्न है।

8.2.2 वन भूमि का राजस्व अभिलेखों मे अमल दरामद

राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संवर्धन हेतु वन भूमि का संरक्षण अति आवश्यक है। वन भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन में वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड़ में अमल दरामद ना होना एक बड़ी बाधा होता है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने गंभीरता पूर्वक विचार किया एवं आशातीत प्रगति हासिल की, जो कि आगे भी जारी रहेगी। इस हेतु संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश–3/99/जयपुर दिनांक 10.6.2019 द्वारा समिति का गठन स्थाई रूप से कर दिया गया है। इस हेतु बैठके आयोजित कर अवशेष वन भूमि के अमल दरामद का सत्त प्रयास किया जा रहा है।

राज्य में लगभग 2.95 लाख है0 वन भूमि अनसर्वेड़ थी, वन विभाग के अथक प्रयासों से 2.95 लाख है0 अनसर्वेड़ वन भूमि में से लगभग 2.85 लाख है0 (96.6 प्रतिशत) वन भूमि का सर्वे कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जिसमें से लगभग 2.75 लाख है0 वन भूमि की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी भी की जा चुका है एवं अमल दरामद विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा। अब तक राज्य में कुल 2845505.994 है0 (86.44 प्रतिशत) वन भूमि का राजस्व रिकॉर्ड़ में अमल दरामद किया जा चुका है।

अध्याय–9
वन अनुसंधान

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। राजस्थान की विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के कारण राज्य के वन विभाग में अनुसंधान कार्यो के लिये वर्ष 1956 में वनवर्धन (सिल्वीकल्चर) वन मण्डल की स्थापना की गयी थी। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) जयपुर कार्यालय के अधीन चार वन अनुसंधान केन्द्र, ग्रास फार्म वन अनुसंधान केन्द्र जयपुर, वन अनुसंधान केन्द्र, गोविन्दपुरा जयपुर, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर एवं वन अनुसंधान केन्द्र, बांकी उदयपुर कार्यरत हैं। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं मृदा व जल परीक्षण प्रयोगशालायें भी हैं।

9.1 पौधशालायें

इस कार्यालय अधीन कुल चार पौधशालायें, ग्रासफार्म पौधशाला, जयपुर, पौधशाला गोविन्दपुरा जयपुर, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान पौधशाला, जयपुर एवं बांकी पौधशाला उदयपुर है जिनमें अनुसंधान एवं आम जनता को वितरण हेतु पौधे तैयार किये जाते है।

9.2 अनुसंधान परियोजनाएं

वन अनुसंधान कार्यो की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा निर्देश देने के लिये विभाग में वर्ष 2005–06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। वर्ष 2023 में आरएजी की बैठक का आयोजन किया गया है। समूह की वर्ष 2023 की बैठक में प्रस्तावित अनुसंधान परियोजनाओं एवं पूर्व के वर्षो में किये गये अनुसंधान कार्यो की समीक्षा की गई तथा वर्ष 2023–24 में किये जाने वाले अनुसंधान कार्यों का निर्णय लिया गया।

विभिन्न वर्षो मे शोध परामर्शी समूह की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं के नाम एवं आवंटित बजट का विवरण निम्न तालिका अनुसार है : –

वर्ष	कार्यालय का नाम	कार्य का विवरण	राशि लाखों में
2021–22	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	To study the Application of Bio fertilizers in plant nursery	0.375
		Strengthening of Vermicomposting unit	0.20
		Habitat improvement, renovation and biodiversity work at Amrita Devi park, Jaipur	1.50
		Maintenance of old projects (Nature Trail, Red House, Ethno Medicinal Garden, Bambusetum, Forest food park)	1.20
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र बांकी, उदयपुर	To study the effect of Pusa Hydrogel on plants.	0.60
		Strengthening of Vermicomposting unit.	0.20
		Maintenance of old projects (Bambusetum, State Tree Plot)	0.25
		Developing propagating technique of Buchanania lanzan (Charoli)	0.10
	क्षेत्रीय वन अधिकारी बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर,	Collection of Quality Seeds from SPAs of Rajasthan	5.00
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र गोविन्दपुरा जयपुर	To study the effect of Pusa Hydrogel on plants.	0.60
		Strengthening of Vermicomposting unit.	0.15
		Development and Improvement of seedling seed orchards	1.03
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र ग्रास फार्म, जयपुर	Study and documentation of Flora of Grass Farm, Jaipur	0.50
		To study the Application of Bio fertilizers in plant nursery	0.375
		Establishment of clonal plant orchard at Grass Farm Nursery, Jaipur	2.70
		Establishment of climbery (Lata-Kunj) at Grass Farm Jaipur	1.80
		Strengthening of Vermicomposting unit.	0.25
		Establishment of a Herbal Garden, at Grass Farm Nursery Jaipur	1.35
	उप वन संरक्षक (अनुसंधान) जयपुर।	Facilitating soil, water and seed testing laboratory, Grass Farm, Jaipur	0.20
		To organise RAG meeting, procurement of books and periodicals for ready reference, documentation, publication and dissemination of annual report, technical bulletins of lesser known species & other important research findings to stakeholders.	1.62
2022–23	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	To study the application of Bio fertilizers in plant nursery	0.10
		To study the Propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
		Biodiversity Conservation and Improvement work at Herbal Garden of Arboretum	3.50
		Introductory trial for selection of suitable indigenous species under Vachellia tortilis	3.00
		Creation of Rashi van (Cultural Forest)	3.50

2022–23	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	To study the application of Bio fertilizers in plant nursery	0.10
		To study the Propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
		Biodiversity Conservation and Improvement work at Herbal Garden of Arboretum	3.50
		Introductory trial for selection of suitable indigenous species under Vachellia tortilis	3.00
		Creation of Rashi van (Cultural Forest)	3.50
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र बांकी, उदयपुर	To study the effect of Pusa hydro gel on plants nursery	0.15
		Introduction of native species of Rajasthan at Banki Research Centre Udaipur	1.50
		Creation of preservation plot of sanegalia catechu(Khair) at Banswara divison	0.50
		To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA	0.15
	क्षेत्रीय वन अधिकारी बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर	Collection of Quality Seeds from SPA's of Rajasthan	4.35
		Review and Evaluation of existing Seed Production Areas of Rajasthan	0.50
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र गोविन्दपुरा, जयपुर	To study the effect of pusa hydro gel on plants nursery	0.15
		To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र ग्रास फार्म ,जयपुर	To study the application of Bio fertilizers in plant nursery	0.10
		Establishment of clonal plant orchard at Grass Farm Nursery ,Jaipur	0.30
		Establishment of climbery (Lata Kunj) at Grass Farm, Jaipur	0.40
		To study the propagation of Tinospora cordifolia and creation of "AMRITA VATIKA"	0.20
	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	Facilating soil and water and seed testing laboratories , Grass Farm Jaipur	0.20
		Study and documentation of Flora of Grass Farm, Jaipur	0.50
		To organise RAG meeting ;procurement of books and periodicals for ready reference ,documentation , publication and dissemination of annual report , technical bulletins of lesser known species and other important research finding to stake holders .	2.50

2023–24	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	Creation of "RASHI VAN" (Cultural Forest) at Arboretum, Jaipur	1.00
		Introductory trial for selection of suitable indigenous species under Vachellia tortilis	0.60
		Biodiversity Conservation and Improvement work at Herbal Garden of Arboretum	1.00
		To Study the application of Nano Fertilizers in Forest Nurseries	0.30
		Generating QR Codes for Tree Education at Forest Research Centres	0.15
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र बांकी, उदयपुर	Introduction of native species of Rajasthan at Banki Research Centre, Udaipur	0.35
		Habitat preservation, restoration and improvement work at Banki Udaipur	1.50
		Creation of preservation plot of Senegalia catechu (Khair) at Banswara	0.20
		Developing propagation protocol of Wild edible fruit yielding plants of Rajasthan.	0.35
		Raising of lesser-known tree species (LKTS) of Rajasthan region	0.30
	क्षेत्रीय वन अधिकारी बीज संग्रहण एवं भण्डारण जयपुर	Review and evaluation of existing Seed Production areas of Rajasthan	0.20
		Collection of Quality Seeds from SPAs of Rajasthan	5.00
	क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन अनुसंधान केन्द्र गोविन्दपुरा जयपुर	To establish an introductory trial of Melia dubia in Semi-Arid Region	2.00
	क्षेत्रीय वन अधिकारी वन अनुसंधान केन्द्र ग्रास फार्म, जयपुर	To Study the application of Nano Fertilizers in Forest Nurseries	0.35
		Generating QR Codes for Tree Education at Forest Research Centres.	0.15
		Creation of Succulent plants groove at Grass Farm, Jaipur	0.85
		Raising of lesser-known tree species (LKTS) of Rajasthan region	0.35
	उप वन संरक्षक अनुसंधान जयपुर	Facilitating Soil & Water and Seed Testing Laboratories.	0.40
		Organization of RAG meeting, dissemination of annual report documentation of research works & technical bulletins, Skill development of staff etc.	3.95

9.3 बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed Production Area)

अच्छे किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय, निरोगी वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को प्रेषित करता है। राज्य में कुल 31 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

9.4 बीज एकत्रीकरण

बीज संग्रहण एवं भण्डारण रेंज जयपुर द्वारा बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजों का एकत्रीकरण कर विभाग के विभिन्न वन मण्डलों को उपलब्ध कराये गये बीजों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है।

बीज प्रजाति → वर्ष	देशी बबूल	अकेशिया टोर्टलिस	खेजडी	कुमठा	खैर
2021–22	2290 कि.ग्रा	320 कि.ग्रा	545 कि.ग्रा	1965 कि.ग्रा	–
2022–23	2350 कि.ग्रा.	–	275 कि.ग्रा.	200 कि.ग्रा	1040 कि.ग्रा.
2023–24 **31 दिसम्बर 2023 तक**	2710 कि.ग्रा	–	308 कि.ग्रा	–	–

9.5 बीज, मृदा व जल की जाँच

वनवर्धन प्रभाग की बीज एवं जल व मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की निःशुल्क जाँच करती है। प्रयोगशालाओं मे प्राप्त सेंपलों की वर्षवार संख्या को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	नमूनों की संख्या (बीज)	नमूनों की संख्या (मृदा)	नमूनों की संख्या (जल)
2021–22	147	13	02
2022–23	178	42	34
2023–24 **31 दिसम्बर 2023 तक**	114	22	15

9.6 कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन) की मुख्य गतिविधियां का विवरण

- विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से उपलब्ध बजट के अनुसार बीजों का संग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न वन मंडलों को वितरित करना है।
- बीज परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त बीजों के सेंपलों की अंकुरण प्रतिशतता की निःशुल्क जांच करना है।
- जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों व आमजन से प्राप्त जल एवं मृदा सेंपलों की निःशुल्क जांच करना है।
- ग्रास फार्म जयपुर, की मुख्य गतिविधि विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर, उनका वितरण करना है।
- वन अनुसंधान केन्द्र, गोविन्दपुरा जयपुर, में क्लोनल सीड आरचर्ड, सीडलिंग सीड आरचर्ड, अन्तर्राष्ट्रीय नीम ट्रायल एवं नीम प्रोजेनी ट्रायल है, जिनका संधारण किया जा रहा है।
- वन अनुसंधान केन्द्र बांकी, उदयपुर में मुख्य रूप से औषधीय पौधे तैयार कर उनका वितरण करना व अनुसंधान करना है।
- विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर, में एथनोमेडिसिनल गार्डन, रेड हाउस, बांस गृह, नेचर ट्रेल एवं फारेस्ट फूड पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संधारण किया जा रहा है।
- वनवर्धन (सिल्वीकल्चर) प्रभाग विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक वानिकी अनुसंधान संस्थानों से निरन्तर अनुसंधान सम्बन्धित सूचनाओं व निष्कर्षों का आदान–प्रदान करता रहता है।

अध्याय–10
विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरकुंश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई के कारण वनों को काफी क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्य योजना द्वारा वनों के चिन्हित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकडी, कोयला, इमारती लकडी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

10.1 विभागीय कार्य योजना के उद्देश्य :–

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा।
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरोत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना।
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर जलाऊ लकडी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
- पिछडे वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों का उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना तथा।
- राज्य के लिए राजस्व आय प्राप्ति करना आदि।

10.2 प्रशासनिक व्यवस्था :–

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर।
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–।। ,बीकानेर।
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर।
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर।

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। उप वन संरक्षक, बीकानेर/स्टेज।। बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस का विदोहन कार्य उदयपुर जिलें में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

10.3 विभागीय कार्य योजना की विभिन्न योजनाएँ :–

10.3.1 लकडी व्यापार योजना :–

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकडी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है।

प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकडी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पडी लकडी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक वृत्त के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत चल रही योजनाओं में वृक्षों के पातन कार्य किये जाते है एवं अन्य नहरों के वृक्षारोपण क्षेत्रों में है जो वन विभाग के दायरे में नहीं आती है उसमें राज्य सरकार दिशा निर्देशानुसार प्रबंधन योजना अनुमोदित करके पातन कार्य भी किया जाता है। मार्च, 1999 में दस वर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में खडे परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षो में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	उत्पादन (लाख क्विंटल में)		योग (लाख क्विंटल)	प्राप्त राजस्व (रू.लाखों में)
	इमारती लकड़ी	जलाऊ लकड़ी		
2017-18	3.97	4.72	8.69	2659.85
2018-19	2.89	4.88	7.77	2969.29
2019-20	1.66	3.25	4.91	1797.80
2020-21	1.44	3.17	4.61	1430.44
2021-22	0.34	0.70	1.04	624.64
2022-23	3.31	4.14	7.45	2880.18

नोट :–लकडी व्यापार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व आय का संधारण राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में किया जा रहा है।

10.3.2 बाँस विदोहन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृत वर्किंग प्लान (Working Plan) के आधार पर बाँस विदोहन कार्य करवाया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहां बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है :–

वर्ष	मानक बांस उत्पादन के लक्ष्य (संख्या लाखों में)	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)	मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (रू.लाखों में)
2017–18	11.00	11.02	318.22
2018–19	11.58	11.63	286.75
2019–20	10.50	10.50	306.75
2020–21	14.15	14.15	386.42
2021–22	9.50	9.50	322.21
2022-23	350.00	13.43	307.08

नोटः– बांस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तिय वर्ष 2023–24 में राजस्व आय का संधारण राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर में किया जा रहा है।

10.4 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना

वन सम्पदा जैसे कि काष्ठ व अकाष्ठ तथा लघु वन उपजों का दोहन व मूल्य संवर्धन कर सुनियोजित तरीके से बाजार में सर्वजन के उपभोग हेतु उपलब्ध कराना, वन क्षेत्र व संरक्षित क्षेत्रों में ईको–पर्यटन तथा उससे जुड़ी गतिविधियों व सेवाओं का संचालन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य वन विकास निगम के गठन की घोषणा राज्य बजट में दिनांक 20 फरवरी 2020 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विधानसभा में की गई। इस बजट घोषणा की अनुपालना में दिनांक 16.12.2020 को राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कम्पनीज एक्ट 2013 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज में किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 05.01.2022 द्वारा निगम में 154 पद स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें 17 पद अतिरिक्त कार्य भार से एवं 77 पद वन विभाग से प्रतिनियुक्ति से भर लिये गये हैं। निगम अर्न्तगत ईमारती लकड़ी एवं बांस की कटाई /कल्चरल ऑपरेशन संबंधी करवाए जाने वाले कार्य प्रक्रियाधीन हैं।

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत			रिक्त	विशेष विवरण
			प्रतिनियुक्ति	अतिरिक्त कार्य भार	योग		
1	प्रबन्ध निदेशक	1	–	1	1	–	–
2	निदेशक परिचालन	1	–	1	1	–	–
3	निदेशक वाणिज्यिक	1	–	–	–	1	–
4	निदेशक ईकोट्यूरिजम	1	–	–	–	1	–
5	निदेशक वित्त	1	–	1	1	–	–
6	महाप्रबन्धक	6	–	6	6	–	–
7	महाप्रबन्धक वित्त	1	–	1	1	–	–
8	सहायक महाप्रबन्धक	8	–	–	–	8	–
9	प्रबन्धक	17	11	–	11	6	–
10	सहायक प्रबन्धक	76	39	–	39	37	–
11	सहायक वित्त अधिकारी	7	–	7	7	–	–
12	प्रशासनिक अधिकारी	7	2	–	2	5	–
13	सहायक	22	17	–	17	5	–
14	निजी सहायक/सूचना सहायक	5	–	–	–	5	–
योग		154	77	17	94	60	–

नोटः– क्रम संख्या 13 में वर्णित कार्यरत 17 कार्मिकों में 3 कार्मिकों का सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के उपरांत पदस्थापन नहीं हुआ है जिनको सहायक में ही दर्शाया गया है।

10.4.1 राजस्थान राज्य वन विकास निगम के मुख्य उद्देश्य :–

- राजस्थान सरकार से पट्टे पर ली गई भूमि पर ईमारती लकड़ी, ईधन की लकड़ी, बांस, लघु वन उपज और अन्य वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ाना, वैज्ञानिक रूप से कटाई और विपणन कराना।

- इस उद्देश्य के लिए वन विकास निगम को सौंपे गए सरकारी जंगलों से पेड़ो की कटाई और लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों का दोहन करना।
- आम जनता को गुणवत्ता, पूर्ण बीज, पौधे और अन्य वन–उत्पादों की आपूर्ति करना।
- लकड़ी और अन्य लकड़ी के उत्पादों, एनटीएफपी, आदि के मूल्यवर्धन के लिए औद्योगिक इकाईयों की स्थापना और संवर्धन करना।
- आमजन, सरकारी विभागों और वन विभाग को फर्नीचर, लकड़ी की निर्माण सामग्री, पॉली बैग, कांटेदार तार और ऐसे अन्य उत्पादों की आपूर्ति करना।
- वानिकी, जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, विस्तार, खरीद, अनुसंधान, परामर्श, प्रमाणन, विपणन, बाजार विकास, प्रौद्योगिकी आदि को क्रियान्वित करना।
- विभिन्न एजेंसियों के लिए टर्नकी आधार पर वनों का विकास करना।
- परामर्शी सेवाएं प्रदान करना।
- राज्य की इको–ट्यूरिजम पालिसी 2021 के अनुसार इससे सम्बधित विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित करना।

10.4.2 प्रशासनिक व्यवस्था :–

राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेडके नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी निम्न प्रकार से कार्यरत है :–

1. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर।
2. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, मुख्यालय, बीकानेर।
3. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरतगढ
4. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर।
5. महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय ,जयपुर।

महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर/बीकानेर/सूरतगढ द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन एवं विक्रय का कार्य कराया जा रहा है।

महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, उदयपुर में मुख्यतः भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्किंग स्कीम के अनुसार बाँस का विदोहन कार्य उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के चौडीकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकडी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पडी लकडी के विदोहन पश्चात विक्रय करने का कार्य कराया जा रहा है।

10.4.3 राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में निम्न कार्य कराये जा रहे हैं :–

1. गंग भाखड़ा नहर के किनारे वृक्षों के विदोहन का कार्य एवं प्राप्त लकडी के निलामी का कार्य कराया जा रहा है।
2. महाप्रबंधक राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड अजमेर द्वारा जैसलमेर में इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षों के विदोहन का कार्य एवं प्राप्त लकडी की नीलामी का कार्य कराया जा रहा है।
3. जूलीफ्लोरा उन्मूलन/खडे पेडों की निलामी का कार्य वन मण्डल सिरोही, जयपुर एवं सवाईमाधोपुर में कराया जा रहा है।
4. इकों ट्यूरिज्म स्थलों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) बनायी जा रही है।
5. उच्च गुणवत्ता के टाल प्लांट के उत्पादन हेतु हाई–टेक नर्सरी की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है।

10.4.4 राजस्व आयः–

बजट मद 8342–00–103–42–06–राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड़ के पी.डी (PD) खाते में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.11.2022 को राशि रू. 1067.54 लाख, दिनांक 16.09.2023 को राशि रू. 502.11 लाख एवं दिनांक 29.12.2023 को राशि रू 670.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रू 2239.65 लाख जमा किये गये है। निगम में विदोहन एवं विक्रय से प्राप्त राजस्व आय दिनांक 23.06.2023 से 31.12.2023 तक कुल राशि रू. 1693.68 लाख राजस्व आय के पेटे निगम के पी.डी खाते में प्राप्त हुए है।

पूर्व में लकड़ी एवं बांस विदोहन से प्राप्त आय राज्य सरकार के राजस्व मद

1. 0406–01–101–(01)– ईमारती लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की बिक्री

2. 0406–01–101–(02)– जलाने की लकड़ी कोयला व्यापार योजना

3. 0406–01–101–(03)– बांस से प्राप्तियां

में जमा करायी जाती थीं। दिनांक 23.06.2023 से वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार विदोहन से प्राप्त लकड़ी एवं बांस के विक्रय से प्राप्त राशि निगम के पी.डी (PD) खाते में जमा करायी जा रही हैं। उक्त प्रकार से निगम के पी.डी (PD) खाते में प्राप्त राशि का उपयोग निगम में प्रतिनियुक्ति से पदस्थापित कर्मियो के वेतन, भत्ते, वृक्षारोपणों एवं बांस के पातन, परिवहन, संग्रहण एवं अन्य कार्यो में किया जा रहा है।

अध्याय–11
तेन्दू पत्ता व्यापार

11.1 राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्त्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीडी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड, बारां, चितौडगढ़, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते है, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष सिरोही, भीलवाडा, पाली एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते है।

11.2 तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण के तहत राजस्थान राज्य में वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेन्सियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

11.3 राष्ट्रीयकरण के पश्चात राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक–पृथक सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। जिसमें संबंधित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रति वर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहणकर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती हैं। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। संग्रहण दरों का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी की दरों के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष 2020 के लिए रू. 1010/– प्रति मानक बोरा, वर्ष 2021 के लिए रू. 1050/–प्रति मानक बोरा एवं वर्ष 2022 के लिए रू. 1100/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इसी प्रकार वर्ष 2023 के लिए 1200/– प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी। इस वर्ष 2024 के लिए मानक बोरा की दर निर्धारित किया जाना शेष है।

11.4 तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा–3 के अंतर्गत प्रति वर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता इकाईयों का गठन किया जाकर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन उपरान्त उनका बेचान निविदायें आमंत्रित कर तथा खुली नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाईयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

11.5 गत तीन वर्षों में तेन्दू पत्ता के विक्रय एवं आय की स्थिति निम्न सारणी में अंकित है:–

क्र. स.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाई	पडत रही इकाई	विक्रय से प्राप्त होने वाली आय (लाखों रू0 में)
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2020–21	167	114	53	751.53
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2021–22	166	166	0	4032.87
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2022–23	166	162	1	4630.04

11.6 वर्ष 2022–23 के लिए राज्य की तेंदू पत्ता की कुल 166 इकाइयों में से 162 इकाइयों का व्ययन हुआ, जिनके बेचान से मार्च 2023 तक लगभग 4656.36 लाख रू0 की आय प्राप्त हुई, शेष 01 इकाई को पड़त रखा गया है तथा उप वन संरक्षक, बारां की 03 इकाइयों को शाहबाद कन्जरर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2023 हेतु सलाहकार समिति की सिफरिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा रुपये 1200 प्रति मानक बोरा संग्रह दर निर्धारित की गयी थी। वर्ष 2023 में कुल 3.13 लाख मानक बोरे संग्रहित हुये।

वर्ष 2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां निम्नानुसार रही है :–

क्र. स.	विवरण	वास्तविक प्राप्तियां (लाख रू0 में)	वास्तविक प्राप्तियां (लाख रू0 में)	वास्तविक प्राप्तियां (लाख रू0 में)	वास्तविक प्राप्तियां दिसम्बर 2023 तक (लाख रू0 में)
		2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1.	तेन्दू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	754.29	4004.83	4656.36	1867.25
2.	अन्य विविध आय	26.84	22.04	28.39	17.36
	योग	**781.13**	**4026.87**	**4684.75**	**1884.61**

11.7 वर्ष 2023–24 के लिए राज्य की तेन्दू पत्ता कुल 163 इकाईयों में से 151 इकाईयों का व्ययन हुआ, 07 इकाईयों का बेचान नहीं हो सका इस हेतु राज्य सरकार से 07 इकाईयों को पडत रखने की स्वीकृति प्राप्त की ली गई है। उप वन संरक्षक, बून्दी की 3 इकाईयां को रामगढ विषधारी टाईगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है एवं उप वन संरक्षक, बारां की 2 इकाईयां को शाहाबाद, तलहटी संरक्षण रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। व्ययन हुई तेन्दू पत्ता इकाईयों से राशि 2120.54 लाख रू0 की आय प्राप्त होने की सम्भावना है। माह दिसम्बर–2023 तक 1867.25 लाख रू0 की आय प्राप्त हो चुकी है, शेष राशि माह मार्च 2024 तक प्राप्त होने की संभावना है।

अध्याय–12
सूचना प्रोद्योगिकी

12.1 ई–गवर्नेंस कार्य

12.1.1 विभागीय सोशल मीडिया

वनों एवं वन्य जीव संबंधी अनेक जानकारियों तथा विभाग की गतिविधियों, योजनाओं एवं कार्य कलापों की जानकारी को रोचक तरीकों से आम जन तक उपलब्ध कराने के लिये सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है। इसमें वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु ग्राफिक्स, वीडियो, सूचनाओं एवं अन्य गतिविधियों को दैनिक रूप से पोस्ट किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुल पोस्ट 942 किये गये एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स (ट्वीटर) पर कुल फॉलोअर की संख्या क्रमशः 10200, 9200, 1710 की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2021 से अब तक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कुल पोस्ट 3120 किये जा चुके हैं एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स (ट्वीटर) पर कुल फॉलोअर की संख्या क्रमशः 41000, 17000, 18200 हुई है।

12.1.2 विभागीय वेबसाईट (www.forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण

विभाग की विभिन्न जानकारियॉ, गतिविधियॉ, परियोजनायें, आदेश, कार्यक्रम एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुचाने का एक सुगम माध्यम है एवं इसके उपयोग द्वारा विभिन्न शाखाओं के सहयोग से नवीनतक आदेश, परिपत्र एवं अन्य सूचनाऐं प्रकाशित की गई हैं।

12.1.3 फोरेस्ट मैनेजमेन्ट एण्ड डिसिजन सपोर्ट सिस्टम (एफ.एम.डी.एस.एस.)

विभाग एम0आई0एस0 अरण्यक (FMDSS)को अधिक यूजर फ्रेंडली बनाये जाने हेतु नवीन यूजर इंटरफेस विकसित किया गया है जिससे आम जन को अधिक सुविधा प्लेटफार्म मिल सके। इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न शाखों की आवश्यकताओं के क्रम में नवीन मॉड्यूल जैसे टी0ओ0एफ0आर0, कैम्पा बजट मॉनिटरिंग, एच0आर0एम0एस0, डायनेमिक फार्म क्रियेशन आदि विकसित किये गये हैं। इनके माध्यम से पौधशालाओं से ऑन लाईन पौध ब्रिकी एवं कैम्पा बजट आंवटन का विस्तृत कार्य सम्पन्न कराया गया है।

12.1.4 डिजिटल वन सीमाओं में गुणवत्ता सुधार

इसके अंतर्गत विभाग में डिजिटल वन सीमाओं में उत्तरोत्तर गुणवत्ता सुधार की कार्यवाही हेतु स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर की सहायता से एक तीन वर्षीय परियोजना प्रारम्भ की गई

है। इसमें अनेक प्रकार के डेटा रिर्सोसेज को काम में लेते हुए डेटा अपडेशन की कार्यवाही की जा रही है। इस वर्ष वन मंडल अजमेर, चुरू, डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, झुन्झुनु, जोधपुर, सीकर, टौंक, दौसा, बूंदी, पाली, प्रतापगढ, जालौर एवं वन्य 4 जीव अभ्यारण्य तथा 30 कन्र्जवेशन रिजर्व पर कार्य किया जा रहा है। नवीन डेटा तैयार हो जाने पर इनका व्यापक उपयोग किया जा सकेगा।

12.1.5 डिजिटल वन सीमा का उपयोग

विभाग में डिजिटल वन सीमा का विभिन्न प्रकार के प्लानिंग कार्यों जैसे फोरेस्ट फायर प्लानिंग, असैट प्लानिंग, कार्य आयोजना मैपिंग, वन्य जीव क्षेत्रों का मैपिंग कार्य, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उनकी मांग के अनुरूप विभिन्न प्रकार का डेटासेट तैयार करना जैसे अनेक कार्य किये गये हैं।

उपलब्ध जी0आई0एस0 डेटासेट का उपयोग करते हुए नवीन जिलों एवं वन मंडलों के क्रम में डेटा पृथकीकरण किया जाकर नवीन लेयर्स विकसित की गई हैं। इस प्रकार विभाग की विभिन्न शाखाओं को जी0आई0एस0 तकनीक के क्षेत्र में सहयोग दिया जाकर इसका उपयोग किया जा रहा है।

12.1.6 आई0टी0 इंफ्रास्ट्रचर कार्य

विभाग में विभिन्न स्तर के कार्यालयों (मुख्यालय, संभाग, वन मंडल, रेंज) में आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ करने के लिये लगभग इस वित्तीय वर्ष में 270 कम्प्यूटर संसाधन प्रस्तावित किये हैं। रेंज कार्यालयों हेतु डेटा स्टोरेज डिवाईस एवं पावर बैकअप डिवाईस की व्यवस्था की गई। कैम्पा मद द्वारा फील्ड डेटा कम्यूनिकेशन हेतु वन रक्षक से सहायक वन संरक्षक स्तर पर लगभग 4200 फील्ड सिम आधारित इन्टरनेट सुविधा के पुनर्भरण हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है। नवीन तकनीकि को बढावा देने के लिये फील्ड अधिकारीगण को गत वर्षों की भांति उच्च स्तर के जी.पी.एस. डिवाईस (17), लैपटॉप/टेबलेट (20)उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। साथ ही वन मंडलों एवं अन्य कार्यालयों में आई0टी0 कैडर के कार्मिकों की कमी को पूरा करने की व्यवस्था के तहत 35 मैन पावर की सुविधा दी गई है जिससे आई0टी0 संबंधित कार्यों में गति मिली है।

12.1.7 ReAMS (ई–गजट) पोर्टल

राज्य सरकार के इस पोर्टल पर विभाग की ओर से विभिन्न अधिनियम, परिपत्र, नोटिफिकेशन इत्यादि को प्रकाशित करने हेतु सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सूचना भेजे जाने पर ही राजकीय मुद्रणालय में प्रकाशन की कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा इसका उपयोग करते हुये लगभग 50 नोटिफिकेशन सफलतापूर्वक प्रकाशित किये गये हैं।

12.1.8 राज–काज पोर्टल

राज्य सरकार के राज–काज पोर्टल द्वारा भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियो के लिए अवकाशों (कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति एवं ई–फाईल का कार्य इस मॉड्यूल के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त Online APARs, IPRs का कार्य भी इसके माध्यम से किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में ई–पत्रावली मॉड्यूल के द्वारा विभाग में समस्त कार्यालयों को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने का कार्य किया गया है। इस प्रकार विभाग में 48000 पत्रावली कार्यरत हैं।

12.1.9 ई–प्रोक्योरमेन्ट (e-Procurement) एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट (SPPP) पोर्टल

राज्य सरकार के ई–प्रोक्यूरमेंट पोर्टल एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पर कार्यवाही करते हुये रजिस्ट्रेशन किया जाकर यूजर नेम एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जाते हैं। SPPP पोर्टल पर इस वर्ष में 44 रजिस्ट्रेशन किये जा चुके हैं। यह एक निरन्तर किया जाने वाला कार्य है।

12.1.10 वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं ऑनलाईन मीटिंग

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग माध्यम से फील्ड स्तर के कार्यालयों के कार्यों की त्वरित मॉनिटिरिंग हेतु वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा का निंरतर उपयोग किया जा रहा है। संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के उपयोग से श्रम एवं समय की बचत हुई है। इस वर्ष माह दिसम्बर तक लगभग 120 ऑन लाईन माध्यम से बैठकों की व्यवस्था की गयी है।

अध्याय–13
मानव संसाधन विकास

13.1 वन प्रशिक्षण

वनों पर बढते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नये प्रयोगों, नई सूचनाओं प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के समय–समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जावें। राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरुप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किये जा रहे हैं। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु चार संस्थान यथा राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर, मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर एवं वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण केन्द्र, तालछापर में स्थित है। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन के सन्दर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैद्यता बढाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों के प्रशिक्षित वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाऐ जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर 2023 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्रवार विवरण निम्नानुसार है :–

राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण रिपोर्ट 2023–24								
S.No.	**Training Name**	**Month**	**Date**	**Circle/ Division**	**Participants**	**No. of Participants**	**Mode of Training (Online/ Offline)**	**Budget Head (CAMPA/S.P.)**
1	"Forest Conservation Act 1980" & Financial Duties and Responsibilities of Head of Offices	May-23	12.5.2023	All Rajasthan	DCF	34	Offline	
2	Duties & Responsibilities of Accounts officials **(Phase I)**	May-23	16-17.5.2023	Jaipur	Accounts Officer	43	Offline	State Plan
3	Duties & Responsibilities of Accounts officials **(Phase II)**	May-23	18-19.5.2023	All Rajasthan	Accounts Officers	42	Offline	State Plan
4	"Forest Conservation Act 1980" & Financial Duties and Responsibilities of Head of Offices	May-23	26.5.2023	All Rajasthan	DCF	43	Offline	State Plan
5	"Forest Conservation Act 1980" & Financial Duties and Responsibilities of Head of Offices	May-23	29.5.2023	All Rajasthan	DCF	45	Offline	State Plan

6	Fundamental of Forestry and Wildlife Management" for 5 days On-campus Residential training for RFOs **(Phase I)**	Jun-23	12-16.06.2022	All Rajasthan	RO, Forester, Assistant Forester,	27	Offline	State Plan
7	Fundamental of Forestry and Wildlife Management" for 5 days On-campus Residential training for RFOs **(Phase II)**	Jun-23	19-23.06.23	All Rajasthan	RO, Forester, Assistant Forester,	35	Offline	State Plan
8	Fundamental of Forestry and Wildlife Management" for 5 days On-campus Residential training for RFOs **(Phase III)**	Jun-23	26-29.06.2023	All Rajasthan	RO, Forester, Assistant Forester,	38	Offline	State Plan

13.3 मरु वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिसम्बर 31 तक) में आयोजित/प्रगतिरत वनपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	विषय	प्रतिभागियों का पदनाम	वि.वि. कुल प्रतिभागी	अवधि	दिनांक
1	5 वां वनपाल (आधारभूत) प्रशिक्षण कोर्स	नव नियुक्त वनपाल	32	6 माह	30.06.2023 को समाप्त
2	6 वां वनपाल (आधारभूत) प्रशिक्षण कोर्स	नव नियुक्त वनपाल	54	6 माह	03.10.2023 से 08.04.2024 तक

13.4 वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर

वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिसम्बर 31 तक) में आयोजित/प्रगतिरत वनपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	विषय	प्रतिभागियों का पदनाम	वि.वि. कुल प्रतिभागी	अवधि	दिनांक
1	6 वां वनपाल (आधारभूत) प्रशिक्षण कोर्स	नव नियुक्त वनपाल	56	6 माह	03.10.2023 से 08.04.2024 तक

अध्याय–14

वर्ष 2023–24 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति
1	118.00.0	राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में Rajasthan Greening and Rewilding Mission प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।	मिशन के सभी घटकों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। मुख्य सचिव महोदया के निर्देशानुसार प्रगति CMIS पोर्टल पर अपडेट की जाती रही है।	पूर्ण
2	118.01.0	Rajasthan Greening and Rewilding Missionके तहतआगामी वर्ष में 80 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण करवाया जायेगा।	वित्तीय वर्ष 2023–24 अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य विभिन्न योजनाओं नाबार्ड, स्टेट प्लान, जलवायु परिवर्तन, कैम्पा इत्यादि में 77.37 हजार हैक्टेयर लक्ष्य के विरूद्ध 77.32 हजार हैक्टेयर पौधारोपण का कार्य कर लगभग 99.94 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है।	पूर्ण
3	118.02.0	Rajasthan Greening and Rewilding Missionके तहत आगामी वर्ष में वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढाने के लिए Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) कार्यक्रम के तहत 5 करोड पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।	TOFR योजनान्तर्गत पौध वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है। दिनांक 31.12.2023 तक 3 करोड़ 45 लाख से अधिक पौधे विक्रय किये जा चुके है। आगामी वर्ष हेतु नवीन पौध तैयारी हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति दिनांक 14.07.2023 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में तैयार किये गये पौधों का संधारण एवं नवीन पौध तैयारी कार्य किया जा रहा है।	प्रगतिरत
4	118.03.0	Rajasthan Greening and Rewilding Missionके तहत आगामी वर्ष में बाघों (Tiger) को बेहतर इको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए टाईगर रिजर्व यथा– रणथम्भौर – सवाई माधोपुर, रामगढ़ विषधारी –बूदी, मुकुन्दरा हिल्स – कोटा, धौलपुर तथा सरिस्का – अलवर एव आस–पास के क्षेत्रों जैसे बीड दौलतपुरा एवं रूंधशाहपुर में कार्य करवाये जायेंगे।	कार्यालय द्वारा दिनांक 29.03.2023 द्वारा राशि रूपये 35 करोड़ प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किये जा चुके थे। वित्त विभाग की टिप्पणी दिनांक 15.06. 2023 की पालना में संशोधित प्रस्ताव पुनः दिनांक 23.06.2023 को स्वीकृति हेतु पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। स्वीकृती अपेक्षित है।	प्रक्रियाधीन
5	118.04.0	Rajasthan Greening and Rewilding Missionके तहत आगामी वर्ष में लेपर्ड कजर्वेशन के लिए खेतडी बॉसियाल, मनसा माता शाकम्भरी झुंझुनूं, जयसमंद, केवड़ा की नाल उदयपुर, शाहबाद–बारां, बीड पापड़–जयपुर, बालीसर तथा कुम्भलगढ़, रावली टाटगढ़ – राजसमंद में कार्य करवाये जायेंगे।	वित्त विभाग / प्रशासनिक विभाग से दिनांक 07. 07.2023 को स्वीकृति अनुरूप प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, द्वारा दिनांक 07.07.2023 को संबंधित वनमण्डलों को कुल राशि रू. 1300 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत

6	118.05.0	Rajasthan Greening and Rewilding Missionके तहत आगामी वर्ष में पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियालों, खींचन–जोधपुर में कुर्जा व राष्ट्रीय मरू उद्यान में गोडावन संरक्षण सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुरूप पालीघाट के विकास हेतु राशि 200.00 लाख रू., कुरजा संरक्षण हेतु राशि 200.00 लाख रू. तथा गोडावन संरक्षण हेतु राशि 500.00 लाख रू. अर्थात कुल राशि 900.00 लाख रू. का आवंटन दिनांक 07.07.2023 को किया जा चुका है। स्वीकृति अनुरूप कार्य प्रारम्भ करा दिए गए हैं। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
7	118.06.0	Rajasthan Greening and Rewilding Missionके तहत तहत आगामी वर्ष में Grass Land and Wetland Development हेतु 50 करोड रुपये की लागत से विभिन्न कार्यों के साथ–साथ विश्व प्रसिद्ध सांभर झील का विकास भी करवाया जाना प्रस्तावित है।	वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं एवं GrassLand हेतु राशि 40.00 करोड़ का बजट आवंटन संबंधित उप वन संरक्षक गणों को तथा Wetland Development हेतु राशि 1.00 करोड़ का बजट आवंटन उप वन संरक्षक, कोटा को किया जा चुका है। अवशेष राशि 9.00 करोड़ रू. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तान्तरित किये जा चुके है। Grass Land विकास का कार्य 9950 हैक्टेयर में प्रगतिरत है।	प्रगतिरत
8	119.00.0	प्रदेश में हरियाली एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन्य एवं वन्यजीवों सम्बन्धी गतिविधियों में दीर्घकालीन निवेश हेतु राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP) शुरू की जायेगी। इसके अन्तर्गत अलवर, बारां, भीलवाडा, भरतपुर बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर एवं टोंक जिलों में वृक्षारोपण, ओरण विकास, पौध वितरण आजीविका संवर्द्धन गतिविधियों सहित अन्य कार्य लगभग 1694 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।	AFD से प्राप्त 80.00 करोड़ रू. की अग्रिम राशि वित्त विभाग द्वारा वन विभाग को दिनांक 04.08.2023 को स्वीकृत की जा चुकी है। स्वीकृति अनुरूप बजट आवंटन दिनांक 07.08.2023 एवं दिनांक 13.09.2023 को संबंधित उप वन संरक्षकों को किया जा चुका है। कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत

9	120.00.0	इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक–एक लव–कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा की गई थी। इसको विस्तार देते हुए आगामी वर्ष भी एक–एक लव–कुश वाटिका समरिया हरडा – अजमेर, मचाडी – अलवर, मण्डोक महादेव – बांसवाड़ा, छबड़ा/छीपाबडोद–बारां, धोरीमना हिल्ली – बाड़मेर झील का बाड़ा–भरतपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, खाजूवाला/कोलायत बीकानेर, भारदा डेम–बूंदी, पिपलीखेड़ा–चित्तौड़गढ़, गोपालपुरा (डूंगरबालाजी) – चूरू, झाझीरामपुरा कुन्ड–दौसा, मदनपुर– धौलपुर, घाटामावित–डूंगरपुर, नोहर / भादरा – हनुमानगढ़, कुकस – जयपुर, लाठी–जैसलमेर, कालाघाटा– जालोर, झालरापाटन –झालावाड़, खेतानाथ बावडी –झुंझुनूं, मण्डोर – जोधपुर, बनीदेवी– करौली, मोडक / सांगोद–कोटा, कुचामनसिटी–नागौर, पालीचक– पाली, रणिया मगरी – प्रतापगढ़, नाथद्वारा – राजसमंद, चौथ का बरवाड़ा – सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़ – सीकर ओर (आबूरोड) सिरोही, सूरतगढ़–श्रीगंगानगर, दूधिया बालाजी–टोंक एवं जोरमा – उदयपुर में विकसित की जायेगी। इन पर 2–2 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक–एक इको–टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित किये जाने हेतु सभी 33 जिलों में कार्य प्रगति पर हैं।	प्रगतिरत

10	310.00.0	नगरों में Green Lungs की अति आवश्यकता है। इस क्रम में मूंगस्का, भूगोर तथा करधनी–अलवर; घूघरा घाटी एवं स्मृति वन विस्तार पुष्कर–अजमेर; रतननगर बीड, राजगढ़–चूरू; मंगलवाड़–चित्तौड़गढ़, गणेश टेकड़ी एवं नाथद्वारा–राजसमंद एवं रिसाला–उदयपुर में 2–2 करोड़ रुपये तथा खैरखेड़ी–बारां; श्यामपुरा–बांसवाड़ा; किला ब्लाक– चित्तौड़गढ़; नीलकण्ठ महादेव–दौसा, संजय वन–शाहपुरा, मायला बाग व कानोता बांध–जयपुर, चौथ का बरवाड़ा–सवाई माधोपुर; बांदरिया मगरा–राजसमंद एवं कच्चा बांध–टोंक शहरों के आस–पास वन क्षेत्रों का विकास कर आम जनता के लिए खोलने हेतु 1–1 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	वित्त विभाग के स्तर पर बजट मद 0853–00–800–(06)–01 राजस्व मद के स्थान पर बजट मद 4406–02–800–02–01–16 लघु निर्माण कार्य में राशि रू. 19.00 करोड का बजट प्राप्त हो चुका है। जिसका आवंटन बजट घोषणा अनुरूप दिनांक 31.08.2023 को किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
11	311.00.0	जयपुर में कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर नींदड बैनाड़ वन क्षेत्र में 135 हेक्टेयर भूमि पर तथा कालवाड रोड पर गोविन्दपुरा की 10 हेक्टेयर भूमि पर 18 करोड़ 37 लाख रुपये की लागत से जैव विविधता वन (Bio Diversity Forests) विकसित किये जायेंगे।	यह दोनों कार्य वन विभाग द्वारा जे.डी.ए. द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से कराये जा रहे है। नीदड़ बैनाड़ वन क्षेत्र में वर्ष 2022–23 में आवंटित बजट 5 करोड़ रू. में से ट्यूबवेल, नर्सरी, एनीकट विकास, जल संग्रहण निर्माण कार्य, वृक्षारोपण कार्य एवं पक्की दीवार आदि कार्यो पर 4.11 करोड रू. व्यय किये जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र जे.डी.ए. को दिनांक 02.08.2023 को प्रेषित किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 4.89 करोड़ रू. व्यय किये जा चुके है। कालवाड रोड पर गोविन्दपुरा में 100 हैक्टेयर भूमि पर वर्ष 2022–23 में आवंटित बजट 2.50 करोड़ रू. में से बाउन्ड्री वॉल, चैन लिंक फेन्सिंग, औषधीय पौधारोपण व चारागाह विकास, जल एवं मृदा संरक्षण, नेचर ट्रेल एवं अन्य वानिकी गतिविधियों के कार्यो पर 2.50 करोड़ रू. व्यय किये जा चुके है। इस वर्ष कुल राशि रू. 1.00 करोड का प्रावधान है, इसमें से जे.डी.ए. से प्राप्त प्रथम किश्त की राशि रू. 30.00 लाख के विरूद्ध सम्पूर्ण व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जा चुका है। शेष राशि प्राप्त होने पर प्राप्त राशि का व्यय किया जायेगा।	प्रगतिरत
12	312.00.0	जिला मुख्यालय स्थित नगरीय निकायों में सुविधायुक्त सिटी पार्क बनाये जाने के साथ–साथ मौजूदा शहरी वन क्षेत्रों में सुधार व विकास हेतु विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन पर 40 करोड़ रुपये का व्यय होगा।	वित्त विभाग की टिप्पणी दिनांक 24.07.2023 द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए है। समेकित प्रस्ताव दिनांक 31.08.2023 को वन विभाग द्वारा प्रेषित कर दिये गये थे। पत्रावली आक्षेप के साथ विभाग को प्राप्त हुयी है। आक्षेप पूर्ति उपरान्त पत्रावली पुनः वित्त विभाग को भिजवाया जाना है।	प्रक्रियाधीन

13	312.01.0	गंगापुरसिटी–सवाई माधोपुर में सिटी पार्क बनाया जायेगा।	स्वायत्त शासन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 31.08.2023 को वन विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रेषित कर दिये गये थे। पत्रावली आक्षेप के साथ इस विभाग को प्राप्त हुयी है। आक्षेप पूर्ति उपरान्त पत्रावली पुनः वित्त विभाग को भिजवाया जाना है।	प्रक्रियाधीन
14	313.00.0	वन क्षेत्रों के कुशल प्रबन्धन, संचालन एवं आधारभूत सुविधायें विकसित करने हेतु पेट्रोलिंग ट्रैक, फायर लाईन व नवीन वन चौकियों के निर्माण तथा वन विभाग के भवनों एवं परिसरों के सुदृढ़ीकरण के लिए 35 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	वित्त विभाग के स्तर पर बजट मद 2406–01–101–20–00–21 अनुरक्षण एवं मरम्मत में भवनों संधारण हेतु 10.00 करोड़ रू., पेट्रोलिंग ट्रैक हेतु 2.50 करोड़ रू. एवं फायर लाईन हेतु 2.50 करोड़ रू., कुल राशि रू. 15.00 करोड की स्वीकृति दिनांक 06.11.2023 को प्राप्त हो चुकी है। जिसका आवंटन बजट घोषणा अनुरूप दिनांक 10. 11.2023 को वनमण्डलों को कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
15	313.01.0	आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने यथा–ड्रोन के माध्यम से सीडिंग, वायरलेस सिस्टम में सुधार तथा ट्रैप कैमरों हेतु 15 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	वित्त (बजट) विभाग के स्तर पर बजट मद 0853–00–800–(06)–01 के स्थान पर बजट मद 2406–01–101–10–00–30 उत्सव एवं प्रदर्शनी में राशि रू. 15.00 करोड़ का बजट प्रावधान एवं राशि रिलीज करने हेतु पत्रावली दिनांक 28.07.2023 से वित्त विभाग को प्रेषित की गयी थी। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 06.09.2023 को राशि 10.00 करोड़ रू. की स्वीकृति के क्रम में IFMS पर आनॅलाईन रिलीज के पश्चात स्वीकृति अनुरूप संबंधित वनमण्डलों को वायरलेस सिस्टम में सुधार तथा ट्रैप कैमरों हेतु बजट आवंटन दिनांक 26.09.2023 को किया गया है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
16	314.00.0	आकल वुड फॉसिल्स पार्क–जैसलमेर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए DPR बनवायी जायेगी।	इस संबंध में उप वन संरक्षक, जैसलमेर द्वारा तैयार डी.पी.आर. अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को दिनांक 01.11.2023 को भिजवायी गयी थी। वित्त विभाग की टिप्पणी दिनांक 07.12.2023 के अनुसार माह मार्च, 2024 तक की अवधि में संपादित कराये जा सकने वाले कार्यों का पुर्नआंकलन कर प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु उप वन संरक्षक, जैसलमेर को दिनांक 18.12.2023 को निर्देशित कर दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त वित्त विभाग को प्रेषित कर दिये जायेंगे।	प्रक्रियाधीन
17	388.01.00	युवाओं को वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रैकिंग, कैम्पिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए तारागढ़–अजमेर, चूहड़सिद्ध–अलवर, रामगढ़ क्रेटर–बारां, ब्रज चौरासी क्षेत्र –भरतपुर, हमीरगढ़ व मंगरोप–भीलवाड़ा, हथिनी औदी व मेनाल वाटरफाल क्षेत्र–चित्तौड़गढ़, मेढ़ा व गोलमेन–दौसा, दमोह –धौलपुर, बुचारा व कचरावाला–जयपुर, मातरमाता–सिरोही, बोलेश्वर–सीकर, धूणीमाता व कमलेश्वर महादेव–प्रतापगढ़ तथा नाल सांडौल–उदयपुर में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जायेंगे।	इसके अन्तर्गत तारागढ, अजमेर,/हमीरगढ व मंगरोप,भीलवाडा/चूहडसिद्ध, अलवर/ मेढा व गोलमेल दौसा/ कचरावाला, जयपुर/ बुचारा, जयपुर (उत्तर)/बालेश्वर, सीकर/ रामगढ क्रेटर, बांरा/ब्रज चौरासी क्षेत्र, भरतपुर/ हथिनी औदी व मेनाल वाटरफाल क्षेत्र, चित्तौड़गढ/धूणीमाता एवं कमलेश्वर महादेव, प्रतापगढ/नाल सांडोल, उदयपुर/ मातरमाता, सिरोही में बजट आवंटन अनुरूप कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत

18	388.02.00	राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर (Birds Shelter Home) बनाये जायेंगे।	राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाये जाने के लिए दिनांक 03.08.2023 को बजट आवंटन कर दिया गया है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
19	388.03.00	बीकानेर एवं अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर जन्तुआलय (Zoo) को पक्षी विहार, बीकानेर जन्तुआलय (Zoo) को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में 20 करोड़ रुपये व्यय कर विकसित किया जायेगा।	पुष्कर बायोलॉजिकल पार्क अजमेर के लिए राशि 8.30 करोड़ तथा मरूधरा बायोलॉजिकल पार्क के लिए राशि 7.70 करोड़ कुल 16.00 करोड़ तथा बर्ड पार्क जयपुर एवं बीकानेर के लिए 2–2 करोड के स्वीकृति के प्रस्ताव दिनांक 29.03.2023 को राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। वित्त विभाग से दिनांक 18.09.2023 को वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं RSRDC के पी.डी. खाते में कुल राशि 20.00 करोड हस्तांतरण की जा चुकी है। कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत
20	388.03.01	वन्य जीवों को समय पर रेस्क्यू करने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, बेहतर निरीक्षण, वन सुरक्षा एवं वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।	वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारादिनांक 01.10.2023 को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। वाहन उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।	प्रगतिरत
21	388.04.00	गोडवाड देसूरी–पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जायेगा।	वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग द्वारा दिनांक 07.07.2023 को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं। दिनांक 07.07.2023 को राशि रू. 100.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है। गोडवाड देसूरी–पाली को लेपर्ड कन्जर्वेशन घोषित करने के लिए सहमति प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है।	प्रगतिरत
22	388.04.01	संरक्षित वन क्षेत्र वाडा खेड़ा–सिरोही में विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।	वित्त विभाग/प्रशासनिक विभाग से दिनांक 07.07.2023 को स्वीकृति प्राप्त कर राशि रू. 100.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
23	388.05.00	नर्सरियों में सुधार एवं नवीन नर्सरियों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये	बजट आवंटन अनुसार कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत

वर्ष 2022–23 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

1	98.0.0	राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाये जाने हेतु आगामी वर्ष में 50 हजार हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है।	राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने तथा हरियाली बढ़ाये जाने हेतु वर्ष 2022–23 में 56000 हैक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण कराया जा चुका है।	पूर्ण
2	99.0.0	विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)–जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में 30 करोड़ रूपये की लागत से Botanical Gardens स्थापित किये जायेंगे।	विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)–जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में Botanical Gardens का कार्य प्रगति पर। वर्ष 2022–23 में राशि 4.13 करोड़ व्यय कर कार्य कराये गये है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 4.85 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
3	101.0.0	आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme शुरू की जायेगी।	आमजन, संस्था, कार्पोरेट, वन्यजीव प्रेमी इत्यादि द्वारा जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने के लिए Captive Animal Sponsorship Scheme शुरू किये जाने के क्रम में योजना प्रारंभ कर दी गई है। राजस्थान एक्स–सीटू कन्जर्वेशन ऑथोरिटी (RESCA) के गठन किये जाने के क्रम में संस्था का पंजीकरण दिनांक 06.05.2022 को राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अंतर्गत हो गया है। समस्त क्षेत्र निदेशकों/मुख्य वन संरक्षकगणों को जैविक उद्यानों एवं जन्तुआलयों में वास कर रहे वन्यजीवों को गोद लेने हेतु आमजन एवं विभिन्न संस्थाओं को प्रेषित करने बाबत निर्देश जारी किये जा चुके हैं।	पूर्ण
4	102.0.0	राज्य के सभी जैविक उद्यानों (Zoological Park-Zoo) में चरणबद्ध रूप से आधुनिक वन्यजीव रोग निदान व रेस्क्यू सेंटर विकसित किये जायेंगे। प्रथम चरण में नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर तथा माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु 10 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है।	नाहरगढ़ व माचिया हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। नाहरगढ जैविक उद्यान, जयपुर हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण तथा माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग को कार्यकारी एजेन्सी बनाया गया है। CZA से नाहरगढ़ हेतु अनुमति अपेक्षित है। माचिया हेतु अब तक कुल 2.50करोड़ रू. का बजट आवंटन कर राशि PWD को हस्तान्तरण की चुकी है। उप वन संरक्षक (वन्यजीव) चिडियाघर, जयपुर को अब तक कुल राशि रू. 5 करोड़ का बजट आवंटन किया जा चुका है जो JDA को हस्तांतरित की जा चुकी है।	प्रगतिरत

5	266.0.0	राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2–2 करोड़ रूपये की लागत से प्रत्येक जिले में वन क्षेत्रों तथा समीप के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए एक–एक इको–टूरिज्म लव–कुश वाटिका विकसित करने की घोषणा करता हूँ। इसमें आनासागर झील–अजमेर; चूहड़ सिद्ध घाटी–अलवर; सवाई माता–बांसवाड़ा; शाहबाद–बारां; जूनापत्रसार–बाड़मेर; मांडेरा रूंध–भरतपुर; भड़क, छत्रीखेड़ा–भीलवाड़ा; जोडबीड–बीकानेर; भीमलत–बूंदी; मोहर मगरी–चित्तौड़गढ़; श्याम पांडिया, तारानगर–चुरू; गोल (मेन)–दौसा; दमोह वाटरफॉल–धौलपुर; रतनपुर, बिछीवाड़ा–डूंगरपुर; धन्नासार बरानी–हनुमानगढ़; नईनाथ बांसखोह–जयपुर; कनोई–जैसलमेर; सुंधा माता–जालौर; बड़बेला तालाब–झालावाड़; मनसा माता–झुंझुनूं; माचिया–जोधपुर; कैलादेवी नेचर कैम्प–करौली; आवली रोजड़ी–कोटा; गोगेलाव–नागौर; खोबागुड़ा, देसूरी–पाली; गोतमेश्वर, लालगढ़–प्रतापगढ़; रूप नगर, झीलवाड़ा–राजसमंद; विजयगढ़, बौंली–सवाई माधोपुर; हर्ष पर्वत–सीकर; राजल दाबेला–सिरोही; 3 एमएसडी डाबला–श्रीगंगानगर; बीसलपुर–टोंक एवं माछला मगरा–उदयपुर सम्मिलित किये जायेंगे।	राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक–एक इको–टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित किये जाने हेतु सभी 33 जिलों में कार्य प्रगति पर हैं।	प्रगतिरत
6	342.0.0	सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु डीपीआर बनायी जायेगी।	सीकर के नानी बीड़ क्षेत्र को ईको पार्क व पक्षी विहार के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में ईको ट्रेल, झोंपा निर्माण, साइनेज, बर्ड हाईड्स, वृक्षारोपण, बेंच, वॉच टॉवर मरम्मत एवं विलायती बबूल उन्मूलन के कार्यो पर 100.00 लाख रू. के वित्तीय आवंटन के विरूद्ध 99.633 लाख रू. व्यय किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि 200.00 लाख रू. के वित्तीय आवंटन के विरूद्ध क्षेत्र की साफ सफाई, पौधों की प्रुनिंग कार्य, वृक्षारोपण ,भ्रमण पथ, वॉच टॉवर की मरम्मत , झोंपा निर्माण, दीवार निर्माण, चेनलिंक फेन्सिंग एवं ग्रील फेन्सिंग, सिटिंग बेंचेज, वाटर हॉल, मैन गेट निर्माण, पार्किंग स्थल, बर्ड हाईडस, बन्ड निर्माण, एनीकट पर ब्रिज निर्माण, झुले लगाना इत्यादि कार्य करवाये जाकर रू. 132.90 लाख व्यय किये जा चुके है तथा अन्य कार्य प्रगतिरत है ।	प्रगतिरत

वर्ष 2021–22 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति
1	60.05.0	आगामी 2 वर्षों में वन विभाग में 1700 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	सहायक वन संरक्षक के 127 पदों के नियुक्ति आदेश के विरूद्ध 122 पदों पर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I के 115 पदों के नियुक्ति आदेश के विरूद्ध106 पदों पर नियुक्ति दी गई थी। जिसमें से 105 ने पद ग्रहण किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा–2020 के विज्ञापित 148 पदों के विरूद्ध राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की 121 पदों पर नियुक्ति की अभिस्तावना अनुसार 111 वनपाल के पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2020 के विज्ञापित 2646 पदों के विरूद्ध राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की 1701 पदों पर नियुक्ति की अभिस्तावना अनुसार नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रगतिरत
2	201. 00.0	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर विश्व में पक्षियों की शरणस्थली के रूप में विख्यात है। यह यूनेस्को हेरिटेज एवं रामसर recognisedसाइट है। इसके महत्व को देखते हुए इसे Wetland Birds Habitat Conservation Centre के रूप में विकसित किया जायेगा।	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान Wetland Birds Conservation Centreके रूप में विकसित करने हेतु उप वन संरक्षक, वन्यजीव भरतपुर द्वारा पत्र क्रमांक 832 दिनांक 15.03.2021 संशोधित प्रस्ताव राशि 1.72 करोड रूपये का प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित वेटलैण्ड बर्ड हैबीटेट एवं कन्जरवेशन सेन्टर के लिये WWF-Indiaको नोलेज पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है जिसके MOU का अनुमोदन राज्य सरकार के प. क्रमांक 3(5)वन/2021 दिनांक 24.12.2021 द्वारा किया गया है जो कि हस्ताक्षरित हो चुका है। Wetland Birds Conservation Centerविकसित करने हेतु राज्य सरकार के प. क्रमांक प 3(5)वन/2021, दिनांक 10. 12.2021 द्वारा भारतीय प्रौधोगिकी संस्थान, हैदराबाद को कार्यादेश दिये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. माननीय वन मंत्री के अनुमोदन तथा RSRDC को कार्यकारी एजेन्सी बनाये जाने और राशि रूपये 863.28 लाख (DPR राशि 792.00 तथा 71.28 राशि RSRDC Overhead Charges) की स्वीकृति हेतु को पत्रावली दिनांक 03.07. 2023 राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर अन्तिम कार्यवाही संपन्न की जावेगी। जैव विविधता के संरक्षण एवं पक्षियों हेतु जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखने के लिए चम्बल नदी से जल लाने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा DPR बनाई जाकर इसे स्वीकृत करा लिया गया है।	प्रगतिरत
3	202.0.0	तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जायेगा।	तालछापर अभ्यारण्य, चूरू में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिए गए हैं।	पूर्ण

4	203.0.0	चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य के खण्डार –सवाईमाधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास कार्य करवाये जायेंगे।	चम्बल घड़ियाल अभयारण्य के खण्डार–सवाईमाधोपुर खण्ड में पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतुपालीघाट स्थल पर पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे बोट जैटी, पीने की पानी की सुविधा, वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर का निर्माण, नदी तट का सौन्दर्यकरण और बैठने की सुविधा, टेन्ट की सुविधा, 3 नाव क्रय करना, व्यू पोईंट, ज्यूलफ्लोरा उन्मूलन, वृक्षारोपण एवं वॉच टॉवर, रिसेप्शन प्लेटफार्म निर्माण कर राशि रू. 415.37 लाख के विकास कार्य करवाये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि 25.60 लाख का आवंटन बकाया दायित्वों के भुगतान हेतु किया गया है।	प्रगतिरत
5	204.0.0	जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से वॉकिंग ट्रेक, योगापार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित करने की घोषणा।	जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर के कर्पूर चन्द कुलिश स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ रुपये की लागत से 'पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित करने के क्रम में मौके पर 1700 मी. दीवार निर्माण, 1100 मी. चेन लिंक फैंसिंग एवं 8 हैक्टेयर क्षेत्र में 2400 पौधें लगाने का कार्य किया जा चुका है। बाकी के कार्य हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.2023 को निविदा जारी कर दी गयी है। दिनांक 26.05.2023 को निविदा खोली जाकर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पक्की दीवार निर्माण, ईको ट्रेल एवं गार्ड चौकी का कार्य प्रगतिरत है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु फैंसिंग कार्य एवं पौधारोपण हेतु खड्डे खुदाई का कार्य करवा दिया गया है। वर्तमान में लगभग 10 हैक्टेयर क्षेत्र में ज्यूलीफ्लोरा उन्मूलन का कार्य कर वृक्षारोपण कार्य करवाया जा चुका है तथा शेष क्षेत्र में उन्मूलन कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत
6	205.0.0	राजस्थान औषधीय पौधों की विविधता तथा गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसको बढ़ावा देने के लिए 'घर–घर औषधि योजना' शुरू की जायेगी। जिसके अंतर्गत औषधीय पौधों की पौधशालायें विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा इत्यादि पौधे नर्सरी से उपलब्ध कराये जायेंगे।	उक्त योजना तहत वर्ष 2021–22 में 64.85 लाख परिवारों को 5.18 करोड़ पौधें एवं वर्ष 2022–23 में 15.88 लाख परिवारों को 1.27 करोड़ पौधों का वितरण किया जा चुका है। घर–घर औषधि योजना के दायरे को परिवर्तित करते हुए वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए Tree Outside Forest in Rajasthan (TOFR) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023–24 में 5 करोड़ पौधें शहरी निकायों, पंचायती राज संस्थाओं एवं आम नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे है।	पूर्ण
7	343.0.0	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाया जायेगा।	फतेहपुर–सीकर में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाये जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि रू. 150.00 लाख के वित्तीय आंवटन के विरूद्ध 370 मीटर दीवार, विलायती बबूल आदि झाड़ियों का उन्मूलन, 1 नाड़ी, 3500 पौधों का वृक्षारोपण, ट्रेक, सोलर पम्प सेट, बेंच एवं 2 झोंपे आदि का निर्माण पर 149.86 लाख रू. का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि 200.00 लाख रू. के विरूद्ध क्षेत्र में दीवार निर्माण, पौधों की पुर्निंग, वृक्षारोपण, भ्रमण पथ, नाड़ी निर्माण, टयूबवेल, वॉटर पोण्ड, झोंपे निर्माण, गार्डन विकसित करने इत्यादि कार्यों पर राशि 144.47 लाख रू. व्यय किये जा चुके है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।	प्रगतिरत
8	358.0.0	राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण तथा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए आगामी 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।	राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु राज्य योजना के तहत वर्ष 2021–22 में राशि 156 करोड़ रू. व्यय कर वृक्षारोपण एवं अग्रिम कार्य कराया गया है।	पूर्ण

वर्ष 2020–21 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>घोषणा क्रमांक</th><th>घोषणा का विवरण</th><th>अद्यतन प्रगति</th><th>वर्तमान स्थिति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>175.01.0</td><td>राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जनभागीदारी से सघन वृक्षारोपण जैसे कार्य करवाये जायेंगे।</td><td>राज्य में निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य कराए गए हैं:–
<table><tr><th>वित्तीय वर्ष</th><th>वृक्षारोपण (है0 में)</th></tr><tr><td>2020–21</td><td>20964</td></tr><tr><td>2021–22</td><td>32443</td></tr><tr><td>2022–23</td><td>56410</td></tr><tr><td>2023–24</td><td>77323</td></tr></table></td><td>पूर्ण</td></tr>
<tr><td>2</td><td>176.0.0</td><td>गुरूनानक देव जी की 550 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में 5 जिलों हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से एक विद्यमान उद्यान/नये उद्यान को गुरूनानक जयन्ती पार्क के रूप में विकसित किया जायेगा। इस पर कुल 1 करोड 25 लाख रूपये का व्यय होगा।</td><td>550 वीं गुरूनानक जयन्ती पर राज्य के पांच सिख बहुल्य जिले यथा हनुमानगढ, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बून्दी मे वृक्ष वाटिका की स्थापना की जा चुकी है।</td><td>पूर्ण</td></tr>
<tr><td>3</td><td>177.0.0</td><td>राज्य में वनों की उत्पादकता बढाने और इमारती लकडी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु 'राजस्थान राज्य वन विकास निगम' गठित किया जायेगा।</td><td>Companies Act 2013 की धारा– 8 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के पंजीयन दिनांक 16.12.2020 उपरांत, गठन हेतु कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को दिनांक 20.01.2021 को सर्क्युलेशन के माध्यम से स्वीकृत करते हुए, अनुमोदन किया जा चुका है। माह जनवरी, 2023 से निगम पूर्णतया कार्यशील हो गया है।</td><td>पूर्ण</td></tr>
<tr><td>4</td><td>255.0.0</td><td>मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को Leopard Conservation Area के रूप में विकसित किया जायेगा।</td><td>मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व को LeopardConservation Area के रूप में विकसित करने हेतु 4304 रमी पक्की दीवार, 500 है0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य, 18 वाटर हॉल का निर्माण, 5 तलाई निर्माण, 15 किमी नेचर ट्रेल , 1 गजलर , ड्रोन द्वारा सिडींग, 2 वाटर बॉडी , 2 वन रक्षक चौकी निर्माण, 1 नाका निर्माण एवं 1 वॉच टावर का कार्य कर राशि रू. 242 लाख के विकास कार्य कराए गये हैं।</td><td>पूर्ण</td></tr>
<tr><td>5</td><td>322.0.0</td><td>सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य को विकसित किया जायेगा।</td><td>सवाईमाधोपुर जिले में चंबल घड़ियाल अभयारण्य विकसित किये जाने हेतु घड़ियाल संभावित क्षेत्रों में 6 फीट दीवार निर्माण कार्य, वन क्षेत्रों का पिलर द्वारा सीमाकन, क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु वाचर लगाने, इन सीटू हैचरी निर्माण पर राशि 1.57 करोड रू. के विकास कार्य कराए गए हैं।</td><td>पूर्ण</td></tr>
</table>

वर्ष 2019–20 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

क्र. सं.	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति
1	48.0.0	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की सहभागिता से एक नया प्रोजेक्ट तैयार कर Japan International Co-operation Agency (JICA) को प्रस्तुत किया जायेगा।	राज्य में वानिकी एवं जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 17 जिलों में राशि रू. 1803 करोड़ के कार्य कराने हेतु परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार के माध्यम से JICA को दिनांक 07.04.2021 को प्रेषित की जा चुकी है।	पूर्ण
2	134.09.0	प्रदेश में इस वर्ष वन विभाग द्वारा लगभग 1474 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	सहायक वन संरक्षक के 127 पदों के नियुक्ति आदेश के विरूद्ध 122 पदों पर एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड–I के 115 पदों के नियुक्ति आदेश के विरूद्ध 106 पदों पर नियुक्ति दी गई थी। जिसमें से 105 ने पद ग्रहण किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा–2020 के विज्ञापित 148 पदों के विरूद्ध राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की 121 पदों पर नियुक्ति की अभिस्तावना अनुसार 111 वनपाल के पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2020 के विज्ञापित 2646 पदों के विरूद्ध राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर की 1701 पदों पर नियुक्ति की अभिस्तावना अनुसार नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रगतिरत
3	146.0.0	रणथम्भौर नेशनल पार्क देश–विदेश के वन्यजीव प्रेमियों में काफी लोकप्रिय है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर राजस्थान को पहचान मिली है। टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम विशेष प्रयास करेंगे।	रणथम्भौर नेशनल पार्क में टाईगर के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए पार्क की परिधि पर सुरक्षा हेतु 184 किमी सुरक्षा रोड, 224 किमी दीवार, 6 चौकियों का निर्माण एवं 187 बॉर्डर होमगार्ड/होमगार्डो का नियोजन। जानवरों को पानी उपलब्ध कराने हेतु 52 सोलर पंप एवं 95 किमी पाइप लाइन का निर्माण। आगामी 10 वर्षों की बाघ संरक्षण योजना स्वीकृत। हॉफ/फुल डे सफारी संचालन बंद।	पूर्ण
4	147.0.0	गोडावण प्रदेश का राज्य पक्षी है। दुनिया में इस प्रजाति की संख्या अब 200 से भी कम रह गयी है, जिसमें से अधिकतर राजस्थान में ही हैं। अतः गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु योजना बनायी जायेगी। साथ ही, इनकी artificial hatching हेतु भी प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं।	Critically Endangered राज्य पक्षी गोडावण के प्रभावी संरक्षण हेतु सम एवं रामदेवरा (जैसलमेर) में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं। वर्तमान में 20 चूजों का पालन एवं संरक्षण इन केन्द्रों में किया जा रहा है।	पूर्ण
5	300.0.0	रणथम्भौर के निकट बून्दी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित करने के लिए परीक्षण करवाया जायेगा।	रामगढ़ विषधारी को टाईगर रिजर्व के रूप में दिनांक 16.05.2022 को अधिसूचित किया जा चुका है।	पूर्ण

परिशिष्ठ–1

Rajasthan State Forest Land Area as on 31-03-2023 (Area in Sq. Kms.)

S.N.	District	Reserved Forest Area	Protected Forest Area	Unclassed Forest Area	Total Forest Area
1	Ajmer	194.99	424.10	1.76	620.86
2	Alwar	1012.65	641.18	132.69	1786.52
3	Banswara	0.00	1006.33	0.66	1007.00
4	Baran	0.00	2234.18	16.38	2250.56
5	Barmer	20.30	569.47	36.38	626.14
6	Bharatpur	0.00	430.03	12.77	442.80
7	Bhilwara	437.80	280.21	61.05	779.06
8	Bikaner	0.00	790.05	460.71	1250.75
9	Bundi	867.28	682.11	14.18	1563.57
10	Chittorgarh	1200.84	587.41	0.77	1789.02
11	Churu	7.20	48.58	24.14	79.91
12	Dausa	134.87	149.72	0.04	284.62
13	Dholpur	7.92	597.72	44.03	649.67
14	Dungarpur	257.08	435.86	0.36	693.30
15	Hanumangarh	0.00	113.37	126.09	239.46
16	Jaipur	673.24	263.51	5.46	942.21
17	Jaisalmer	0.00	241.40	366.31	607.70
18	Jalore	126.13	302.32	93.73	522.19
19	Jhalawar	314.72	946.60	25.39	1286.72
20	Jhunjhunun	6.02	399.33	0.00	405.36
21	Jodhpur	4.68	187.32	54.78	246.78
22	Karauli	62.99	1693.13	54.64	1810.76
23	Kota	837.63	458.82	75.07	1371.52
24	Nagaur	0.80	206.28	35.32	242.40
25	Pali	816.56	144.82	2.26	963.64
26	Pratapgarh	702.66	963.65	0.62	1666.92
27	Rajsamand	277.41	119.39	4.86	401.66
28	Sawai Madhopur	834.84	118.16	24.28	977.28
29	Sikar	9.92	622.43	9.22	641.57
30	Sirohi	614.04	985.43	42.66	1642.12
31	Sriganganagar	0.00	238.42	395.02	633.44
32	Tonk	101.42	229.19	2.97	333.58
33	Udaipur	2654.06	1494.65	13.21	4161.92
Total		**12178.03**	**18605.18**	**2137.79**	**32921.00**

RAJASTHAN PROTECTED AREA ESZ NOTIFICATIONS STATUS AS ON 03-01-2024

S.No.	Name of Proctected Area	Status
A.Final Notification Issued (15)		
1	Sitamata WLS Chittorgarh, Pratapgarh	Final Notification vide S.O. 1191(E) [17.04.2017]
2	Jamwaramgarh,WLS,Jaipur	Final Notification S.O. 6212(E) [18.12.2018]
3	Bandh Baretha, WLS, Bharatpur	S.O. 6319(E) [26.12.2018] & S.O. 1929 (E) (18.5.2021) बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में परिवर्तन के कारण उक्त अभ्यारण्य के ESZ में संशोधन हेतु ड्राफ्ट अधिसूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1043 दिनांक 07.04.2022 से राज्य सरकार को प्रेषित की गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।
4	Keoladeo National Park,Bharatpur	Final Notification S.O. 2608(E) [19.07.2019] & S.O. 814(E) [21.02.2020]
5	Bassi WLS, Chittorgarh,	Final Notification S.O. 1717(E) [08.04.2021/30.04.2021]
6	Jaisamand WLS, Udaipur	Final Notification S.O. 2631(E) [06.08.2020]
7	Kesarbagh WLS, Dholpur	Final Notification S.O. 2641(E) [28.08.2020]
8	Mukundra Hills Tiger Reserve, Darra WLS, Jawahar Sagar WLS & part of National Gharial Sanctuary included in the Tiger Reserve Kota, Bundi, Chittaurgarh, Jhalawar	Final Notification S.O. 4268(E) [25.11.2020]
9	Mt. Abu WLS, Sirohi	Final Notification S.O. 1545(E) [25.06.2009] & Final Notification S.O. 4047(E) [11.11.2020]
10	Nahargarh WLS, Jaipur	Final Notification S.O. 1220(E) [08.03.2019]
11	Ramsagar WLS, Dhaulpur	Final Notification S.O. 3632(E) [15.10.2020]
12	Sajjangarh WLS, Udaipur	Final Notification vide S.O.1191(E) [17.04.2017]
13	TodgarhRaoli WLS, Ajmer, Rajsamand	Final Notification S.O. 1173(E) [13.04.2017]
14	Van Vihar WLS Dhaulpur	Final Notification S.O. 938(E) [23.03.2017]
15	Bhainsrodgarh WLS Chittaurgarh	Final Notification S.O.3683(E) [10.09.2021]
B. Final notifications Pending at GOI (02)		
1	Talchapper WLS,Churu	भारत सरकार की अधिसूचना क्रमाक 1912 दिनांक 02.05.2023 के द्वारा प्रारूप अधिसूचना जारी की जा चुकी है । इस कार्यालय के पत्रांक 2082 दिनांक 18.12.2023 से अन्तिम अधिसूचना जारी करवाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने के लिये राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके है ।
2	Phulwari KI Nal, WLS Udaipur.	इस कार्यालय के पत्रांक 493 दिनांक 13.04.2023 के द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाते हुये प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। भारत सरकार ने ई–मेल दिनांक 19.6.2023 के द्वारा गुजरात राज्य के गांवों का हटाकर संशोधित प्रस्ताव चाहे हैं। इस कार्यालय के पत्रांक 1210 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है।

C. Proposal draft notification issued (01)		
1	Sariska Tiger Reserve WLS, Sariska "A" WLS and part of Jamwaramgarh Sanctury includes Sariska National Park (Proposed) Alwar,Jaipur	Draft notification 332. S.O. 4766(E) [02.11.2023] भारत सरकार की अधिसूचना क्रमाक 4578 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा प्रारूप अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।
D. Proposal draft notification not issued (06)		
1	Shergarh WLS Baran	भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19.05.2023 के द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचनाऐं सम्मिलित करते हुये नई चैक लिस्ट के अनुसार संशोधित प्रस्ताव चाहे गये थे। जिसके क्रम में संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 897 दिनांक 06.06.2023 द्वारा भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गये थे।पुनः भारत सरकार के पत्रांक 10/46/2023 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव चाहे जाने से इस कार्यालय के पत्रांक 2036 दिनांक 05.12.2023 से प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके है ।
2	Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve, Bundi	इस कार्यालय द्वारा एकल पत्रावली के माध्यम से प्रकरण दिनांक 31.05.2023 को राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है। राज्य सरकार ने अपने पत्रांकः 1(71)Forest/RVTR/2002PT दिनांक 16.07.2023 के द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जा चुके थे । पुनः भारत सरकार के ई–मेल दिनांक 27.10.2023 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव चाहे जाने से इस कार्यालय के पत्रांक 2034 दिनांक 05.12.2023 से प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके है ।
3	Kumbhalgarh WLS Rajsamand, Pali, Udaipur	इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.06.2023 द्वारा संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये गये है। राज्य सरकार ने अपने पत्रांक : 1(71)Forest/Kumbhalgarh/2002PT दिनांक 28.06.2023 के द्वारा भारत सरकार को भिजवाये जा चुके थे । पुनः भारत सरकार के ई–मेल दिनांक 27.10.2023 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव चाहे जाने से इस कार्यालय के पत्रांक 2032 दिनांक 05.12.2023 से प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके है ।
4	Desert National Park sanctuary, Jaisalmer	भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19.05.2023 के द्वारा कुछ अतिरिक्त सूचनाऐं सम्मिलित करते हुये नई चैक लिस्ट के अनुसार आक्षेपों की पूर्ति कर प्रस्ताव चाहे गये थे। इस कार्यालय के पत्रांक 904 दिनांक 07.06.2023 के द्वारा आक्षेपों की पूर्ति उपरान्त प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये गय थे। राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 1(71) फोरेस्ट/ डीएनपी/ 2002 पीटी दिनांक 03.07.2023 द्वारा भारत सरकार को भिजवाये जा चुके है । पुनः भारत सरकार के पत्रांक WL-10/60/2023 दिनांक 26.11.2023 के द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थन,देहरादून की टिप्पणी के सन्दर्भ मे इस कार्यालय के सुझाव चाहे जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक 2024 दिनांक 4.12.2023 से प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किये जा चुके है ।

5	National Gharial sanctuary, Sawai Madhopur	भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 19.05.2023 के द्वारा कुछ सूचनाऐं सम्मिलित करते हुये संशोधित प्रस्ताव चाहे गये है । इस कार्यालय के पत्रांक 1400 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भिजवाये गये थे। भारत सरकार के ई–मेल दिनांक 30.10.2023 के द्वारा ESZ की गाईड लाईन दिनांक 09. 02.2011 के क्रम मे अभयाण्य की सीमा पर मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से विचार–विमर्श के अनुसार विवरण चाहे जाने से इस कार्यालय के पत्रांक 2020 दिनांक 4.12.2023 से टिप्पणी भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं।
6	Ranthambhore Tiger Reserve includes Ranthambhore National Park , Sawai Madhopur WLS, Sawai Mansingh WLS & Keladevi WLS 1700.22 sq.km Sawai Madhopur, Karauli, Bundi, Tonk	भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.05.2023 एवं 15.05.2023 से ESZ के प्रस्ताव में कुछ आक्षेप लगाये गये थे । जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1157 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके है।भारत सरकार के पत्रांक 10–51/2014WL/(part) दिनांक 11.08.2023 के द्वारा ESZ की गाईड लाईन दिनांक 09.02.2011 के क्रम मे टाईगर रिजर्व की सीमा पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार से विचार–विमर्श के अनुसार विवरण चाहे जाने से इस कार्यालय के पत्रांक 1321 दिनांक 14.08.2023 से टिप्पणी भारत सरकार को भिजवाये जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं।

LIST OF PROTECTED AREAS IN RAJASTHAN AS ON DEC. 2023

S.no	Protected Area Name	District	Area (Sq. Km.)
A	**National Park**		
1	Keoladeo National Park	Bharatpur	28.73
2	Mukundra Hills National Park	Kota, Chittorgarh	200.43
3	Ranthambhore National Park	Sawai Madhopur	289.11
B	**Wildlife Sanctuaries**		
1	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	171.19
2	Bassi Sanctuary	Chittorgarh	138.50
3	Bhensrodgarh Sanctuary	Chittorgarh	273.54
4	Darrah Sanctuary	Kota, Jhalawar	233.46
5	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00
6	Jaisamand Sanctuary	Udaipur	52.34
7	Jamwa Ramgarh Sanctuary	Jaipur	300.00
8	Jawaharsagar Sanctuary	Kota, Bundi, Chittorgarh	210.62
9	Keladevi Sanctuary	Karauli, Sawai Madhopur	676.82
10	Kesarbagh Sanctuary	Dholpur	14.76
11	Kumbhalgarh Sanctuary	Rajsamand, Udaipur, Pali	610.53
12	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	103.97
13	Nahargarh Sanctuary	Jaipur	52.40
14	National Ghariyal Sanctuary	Kota, Bundi, Sawai Madhopur, Karauli, Dholpur	564.03
15	Phulwari ki Naal Sanctuary	Udaipur	511.41
16	Ramgarh Vishdhari Sanctuary	Bundi	303.05
17	Ramsagar Sanctuary	Dholpur	34.40
18	Sajjangarh Sanctuary	Udaipur	5.19
19	Sariska Sanctuary	Alwar	544.22
20	Sawai Madhopur Sanctuary	Sawai Madhopur	288.83

21	Sawai Mansingh Sanctuary	Sawai Madhopur	121.60
22	Shergarh Sanctuary	Baran	81.67
23	Sitamata Sanctuary	Udaipur, Chittorgarh	422.94
24	Talchappar Sanctuary	Churu	7.19
25	Todgarh Raoli Sanctuary	Rajsamand, Ajmer, Pali	495.27
26	Van Vihar Sanctuary	Dholpur	25.60
C	**Conservation Reserves**		
1	Bansial-Khetri Bagore Conservation Reserve	Jhunjhunu	39.66
2	Bansial-Khetri Conservation Reserve	Jhunjhunu	70.18
3	Beed Jhunjunu Conservation Reserve	Junjhunu	10.47
4	Bisalpur Conservation Reserve	Tonk	48.31
5	Gogelav Conservation Reserve	Nagaur	3.58
6	Gudha Vishnoiyan Conservation Reserve	Jodhpur	2.32
7	Jawai Bandh Leapard Conservation Reserve II	Pali	61.98
8	Jawaibandh Leopard Conservation Reserve	Pali	19.79
9	Jodbeed Gadhwala Bikaner Conservation Reserve	Bikaner	56.47
10	Mansa Mata Conservation Reserve	Jhunjhunu	102.31
11	Rotu Conservation Reserve	Nagaur	0.73
12	Shahbad Conservation Reserve	Baran	189.40
13	Shakambari Conservation Reserve	Sikar, Junjhunu	131.00
14	Sundhamata Conservation Reserve	Jalore, Sirohi	117.49

15	Ummedganj Pakshi Vihar Conservation Reserve	Kota	2.72
16	Rankhar Conservation Reserve	Jalore	72.88
17	Shahbad Taleti Conservation Reserve	Baran	178.84
18	Beed Grass Fuliya Khurd Conservation Reserve	Bhilwara	0.86
19	Baghdara Crocodile Conservation Reserve	Udaipur	3.69
20	Vadakheda Conservation Reserve	Shiroi	43.31
21	Jhalana-Amagarh Conservation Reserve	Jaipur	35.07
22	Ramgarh Conservation Reserve	Baran	38.09
23	Kharmor Conservation Reserve	Ajmer	9.31
24	Hamirgarh Conservation Reserve	Bhilwara	5.66
25	Sorsan Ist Conservation Reserve	Baran	16.11
26	Sorsan IInd Conservation Reserve	Baran	4.27
27	Sorsan IIIrd Conservation Reserve	Baran	0.76
28	Kurnja Conservation Reserve	Jodhpur	2.92
29	Banjhamli Conservation Reserve	Baran	146.21
30	Baleshwar Conservation Reserve	Neem Ka Thana	221.69
31	Beed Muhana Conservation Reserve-A	Jaipur Rural	2.07
32	Beed Muhana Conservation Reserve-B	Jaipur Rural	0.10
33	Ganga Bhairav Ghati Conservation Reserve	Ajmer	39.51
34	Mahaseer Conservation Reserve	Udaipur	2.06
35	Beed Fatehpur Conservation Reserve	Sikar	30.03
36	Amrakh Mahadev Leopard Conservation Reserve	Udaipur	71.47

D	**Tiger Reserves**		
1	Ranthambhore Tiger Reserve	Sawai Madhopur, Karauli, Bundi, Tonk	1530.23
2	Sariska Tiger Reserve	Alwar, Jaipur	1213.34
3	Mukundara Hills Tiger Reserve	Kota, Bundi, Jhalawar, Chittorgarh	1135.79
4	Ramgarh Vishdhari Tiger Reserve	Bundi, Kota, Bhilwara	1496.49
5	Dholpur-Karauli Tiger Reserve	Dholpur, Karauli	599.64
E	**Under Process**		
1	Desert National Park Sanctuary	Jaisalmer, Barmer	3162.00
2	Sariska National Park	Alwar	405.93
3	Kumbhalgarh National Park	Pali,Udaipur & Rajsamand	462.05
4	Band Baretha Sanctuary	Bharatpur	197.86
5	Sariska 'A' Sanctuary	Alwar	3.01
6	Dholpur Sanctuary	Dholpur	204.26
7	Mount Abu Sanctuary	Sirohi	222.13
8	Gajner Sanctuary	Bikaner	26.32

Note: - The area of several Protected Areas overlaps with each other hence the net area is Around 14000 Sq. KM.

परिशिष्ठ–4

राज्य योजना में वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023) तक उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति (लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22					वर्ष 2022–23					वर्ष 2023–24 (दिसम्बर, 2023 तक)			
		आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय (SNA A/C)	आय–व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार मे प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर, 2023 तक)	केन्द सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय (SNA A/C)
1	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	98.13	92.56		55.81		123.61	100.57		70.16		580.71		16.70	
2	परिग्राषित वनों का पुनरारोपण	10176.83	11464.19		10937.53		16392.19	16407.82		16186.39		24321.22		14595.48	
3	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थतिकी पर्यटन	264.76	458.81		265.16		820.68	1268.86		735.16		2015.75		469.35	
4	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	407.03	300.34	127.21	210.21	9.10	347.75	341.56	33.47	55.78	159.74	373.93	50.73	0.00	16.15
5	कृषि वानिकी	3760.01	3538.24		3225.96		3700.01	4753.66		4427.27		6610.65		1618.53	
6	बाघ परियोजना रणथम्भौर	5691.10	5879.63	841.05	4489.94	1237.42	7047.11	6495.46	240.39	3776.32	617.18	9827.90	248.23	1825.65	600.40
7	बाघ परियोजना सरिस्का														
8	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	2623.53	3775.83	1007.66	2515.14	1140.27	4379.96	3835.53	86.79	1387.91	460.75	3997.99	0.00	202.79	0.00
9	गोरधन ड्रेन	170.01	210.01		210.00		210.02	210.01		210.00		210.01		171.65	
10	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास														
11	चिडियाघरों का सुधार	165.01	165.01		154.76		181.51	181.01		179.50		176.01		112.91	
12	संचार एवं भवन	125.01	135.01		124.79		160.01	200.01		193.39		3500.00		52.78	
13	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02	0.02		0.00		0.02	0.02		0.00		0.02	0.00	0.00	0.00
14	भाखडा नहर वृक्षारोपण	522.18	554.26		541.82		520.21	520.21		516.88		0.01		0.00	
15	गंगनहर वृक्षारोपण	153.51	153.51		153.44		128.08	129.94		126.42		0.01		0.00	
16	कैम्पा कोष	0.01	0.01		0.00		0.01	0.01		0.00		0.01		0.00	
17	पर्यावरण वानिकी	275.00	500.00		460.85		837.00	1095.87		1043.30		5489.00		1588.83	
18	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना -II	1060.01	1100.00		1058.72		660.00	750.00		347.00		300.00		300.00	
19	राजीव गांधी बायोस्फीयर रिर्जव	0.01	0.01		0.00		0.01	0.00		0.00		0.00		0.00	
20	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	400.00	400.00		399.93		1000.00	1000.00		1000.00		400.00		0.00	
21	घना पक्षी विहार का विकास														
22	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	60.00	70.00		46.06		70.00	59.70		57.18		59.70		36.91	
23	साझा वन प्रबंध का सुदृढिकरण	20.00	20.00		12.18		25.00	13.00		12.99		13.00		4.46	
24	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	7780.58	9309.59		8637.55		2924.63	3109.66		2911.52		847.24		13409.13	
25	जलवायु परिवर्तन एवं मरूस्थल नियंत्रण	6508.35	7439.55		6718.26		11709.37	11747.24		11634.43		17650.53		8622.33	
26	जैविक उद्यान कायलाना	0.03	0.02		0.00		0.02	0.00		0.00		0.00			

27	पक्षी राहत केन्द्र	5.52	37.05		35.34		6.07	6.07		1.61		206.68		38.12	
28	राज्य वन विकास अभिकरण	0.05	115.30	0.00	0.00	67.67	24.23	24.23	0.00	0.00	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00
29	अवैध खनन की रोकथाम	10.01	10.01		8.98		15.01	10.01		10.11		10.01		2.40	
30	जैविक उद्यान, बीकानेर	350.03	350.03		349.13		500.03	500.03		500.00		2550.03		2000.00	
31	वन घन योजना	0.02	0.02		0.00		0.02	0.00		0.00		0.00			
32	मुकुन्दरा नेशनल पार्क														
33	टाईगर सफारी आमली	0.02	0.02		0.00		0.02	0.00		0.00		0.00			
34	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण														
35	नाबार्ड पोषित जल सगरण परियोजना														
36	परम्परागत जल संसाधनों का रखरखाव	0.01	0.01				0.01	0.01				0.01		0.00	
37	कृषि वानिकी (पंचायती राज)														
38	आकल वुड फोसिल पार्क	0.01	0.01				0.01	0.01				500.00		0.00	
39	प्रोजेक्ट लेपर्ड	200.00	200.00		198.23		220.00	220.00		219.69		1542.00		632.39	
40	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	220.00	220.00		213.99		242.00	215.00		212.32		715.00		344.91	
41	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	15.35	15.35		10.93		13.64	13.64		13.64		2712.40		275.68	
42	प्रोजेक्ट एलीफेन्ट (हाथी)	40.00	74.00	15.18	37.00	22.20	81.40	71.84	6.19	10.32	21.92	76.72	12.00	20.00	0.00
43	ग्रीन इंडिया मिशन	0.02	0.02		0.00		0.02	0.02		0.00		0.02	0.00	0.00	0.00
44	इंदिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	1061.00	1117.10		1075.98		1117.10	1117.10		1093.41		0.01		0.00	
45	कैम्पा	30728.43	20317.52		18236.12		24000.08	23087.57		20905.58		29690.07		13616.55	
46	जूलीफ्लोरा का उन्मूलन ओर स्थानीय प्रजाति के पेडों का पौधारोपण	300.00	300.00		292.75		350.00	350.00		348.79		350.00		231.00	
47	**पंचायत राज संस्थाओं में स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थापना व्यय**	1778.00	1200		707.33		1000.00	820.00		753.61		820.00		723.26	
48	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना (RFBDP)	0.00	100.02		19.92		0.03	30.02		13.09		1000.22		8308.99	
49	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.03		0		0.03	0.03		0.00		500.00		500.00	
50	परिस्थितिकी पर्यटन लवकुश वाटिका						3000.00	3000.00		2946.27		3500.00		2028.89	
51	बोटैनिकल गार्डन						0.06	485.05		412.77		485.05		289.92	
52	प्रकृति अनुभव केन्द्र						1000.00	0.03		0.00		0.03		0.00	
53	वन्यजीव बचाव केन्द्र						0.06	660.02		345.00		702.03		257.00	
54	सांभर झील प्रबंधन परियोजना						0.09	0.09		0.00		0.09		0.00	
55	चारागाह विकास											500.00		0.00	
	योग	74969.59	69623.07	1991.10	61403.78	2476.66	82807.09	82830.90	366.84	72657.81	1259.59	122246.18	310.96	72296.61	616.55

परिशिष्ठ–5

वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2022–23 तक कुल प्राप्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान की तुलना में माह दिसम्बर 2023 तक कुल प्राप्तियों (लाखों में) का वर्षवार विवरण

क्र. सं.	राजस्व मद 0406	प्राप्तियां 2020–21	प्राप्तियां 2021–22	प्राप्तिया 2022–23	बजट अनुमान 2023–24	माह दिसम्बर 2023 तक कुल प्राप्तियां
1	101–01 इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	205.84	266.28	414.63	440.00	498.85
2	101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	1428.14	609.85	3225.76	2500.00	940.83
3	101–03–बांस में प्राप्तियां	386.41	322.22	307.08	500.00	133.43
4	101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	308.78	173.1	205.49	230.00	145.38
5	101–06–01तेंदू पत्ता व्यापार योजनातेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	751.62	4003.82	4654.48	5800.00	1867.26
6	101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	30.03	31.96	39.14	50.00	17.32
7	800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1842.28	1845.15	1985.82	2501.00	1451
8	800–02 शिकार अनुज्ञा	0	1.53	0.34	1.00	0
9	800–03–व्ययगत निक्षेप	0	0	0	0.00	0
10	800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	6.79	3.68	3.19	6.00	18.86
11	800–05–अन्य विविध प्राप्तियां	408.01	1363.8	684.05	1000.00	410.4
12	800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिगृहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	547.34	745.82	1174.64	1200.00	727.25
13	050–01–अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	15.65	8.59	2.47	5.00	0
14	050–02–अनुपयोगी सामानों की निलामी से प्राप्तयां	4.26	43.62	5.22	5.10	10.81
15	02–111–01– चिड़ियाधर से प्राप्तियां	137.33	267.9	380.52	853.00	289.5
16	02–800–01– इको डवलपमेन्ट से आय	215.7	424.74	600.25	800.00	627.01
17	02–800–02 रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	238.83	472.75	1045.31	1200.00	1084.47
18	02–800–03–सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	33.35	62	73.92	80.00	68.77
19	02–800–04– रणथम्भोर बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट	516.77	953.84	1727.22	2100.00	1616.03
20	02–800–05–सरिस्का बाघ परियोजना में ईको डवलपमेन्ट से आय	66.07	130.77	159.57	165.00	150.92
21	06–अन्य अभ्यारण्यों में प्रवेश शुल्क से आय	177.77	370.84	544.46	550.00	456.4
22	050–01–अनुपयोगी वाहनो के निस्तारण से प्राप्तियां	8.19	2.57	11.61	10.00	3.25
23	050–02–अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	20.01	8.69	0.32	6.00	0.16
24	02–900–01 राजस्व वापसी	0	-225.99	-16.69	-1.00	0
25	01–900–01 राजस्व वापसी	0	0.95	0	-1.10	0
	महायोग	**7349.33**	**11888.48**	**17228.80**	**20000.00**	**10517.90**
	वन विकास निगम से संबंधित राशि	-		**3440.00**		**1573.11**
	शुद्ध राशि			**16560.00**		**8944.79**

परिशिष्ठ–6

राज्य योजना में वर्ष 2021–22, 2022–23 तथा 2023–24 (माह दिसम्बर, 2023) तक वृक्षारोपण की प्रगति

क्र.सं	योजना/मद	ईकाई	वर्ष 2021–22	वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24 (दिसम्बर, 2023)	
			उपलब्धियां	उपलब्धियां	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां (माह दिसम्बर, 2023 तक)
A	वानिकी					
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	**लाखों में**	**44.95**	**496.14**	**505.00**	**72.50**
ii	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	**है.**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**
iii	भाखडा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	**है.**	**379.10**	**393.89**	**0.00**	**0.00**
iv	परिभ्राषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	**है.**	**3000.00**	**20000**	**24450.00**	**24450.00**
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	**है.**	**2900.00**	**10000**	**15500.00**	**15450.00**
B	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	**है.**	**6175.00**	**14300**	**21250.00**	**21250.00**
C	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फैज –।। वृक्षारोपण	**है.**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D	इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे पुनः वृक्षारोपण	**है.**	**514.95**	**604.91**	**0.00**	**0.00**
E	राज्य वन विकास अभिकरण **(SFDA)**	**है.**	**550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F	कैम्पा (वृक्षारोपण)	**है.**	**18323.52**	**10711.79**	**15573.40**	**15573.40**

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19, 2019–20
2020–21, 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 (दिसम्बर,2023) वृक्षारोपण सम्बन्धित जिलेवार उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर में)						रोपित पौधे एवं बीजारोपण अंकुरित पौधे (संख्या लाखो में)					
		उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23	उपलब्धि 2023–24 (दिसम्बर,2023)	उपलब्धि 2018–19	उपलब्धि 2019–20	उपलब्धि 2020–21	उपलब्धि 2021–22	उपलब्धि 2022–23	उपलब्धि 2023–24 (दिसम्बर,2023)
1	अजमेर	910	1153	1211.704	1197.07	2095.00	4599.11	5.92	6.91	8.536	7.56	10.58	21.328
2	अलवर	1279	920	1592	1952.95	2450.00	3600.00	11.78	9.19	8.15	12.67	11.76	7.55
3	बांसवाड़ा	1030	1500	782.36	1248.98	1717.00	1500.00	6.31	7.52	4.137	6.41	9.37	6.9
4	बारां	2111	222	590.48	950.00	1950.00	2075.86	15.41	4.52	7.49	8.61	17.51	10.44
5	बाड़मेर	857	485	370.27	560.00	625.00	8346.00	8.23	4.64	2.56	3.64	3.75	25.15
6	भरतपुर	165	200	729.32	726.97	1128.00	1910.00	0.82	1.86	5.51	4.93	7.85	8.82
7	भीलवाड़ा	500	1020	1278	1375.00	1950.00	1670.00	1.83	2.25	4.627	7.74	7.62	3.44
8	बीकानेर	739	571	1524.36	439.55	1822.21	3865.95	5.02	3.95	9.034	3.03	12.14	20.871
9	बून्दी	969	220	544.52	652.14	1530.00	3161.66	4.52	1.30	3.14	2.94	6.48	13.09
10	चित्तौड़गढ़	2243	1358	1730.68	2083.48	1820.00	2929.93	14.34	3.92	9.83	8.17	13.23	15.14
11	चूरू	824	1024	1042	1246.00	391.00	870.00	3.79	4.35	4.596	5.93	1.68	1.332
12	दौसा	345	400	568	1394.74	1375.00	900.00	1.62	1.10	3.17	11.79	5.50	4.87
13	धौलपुर	580	864	1042	2467.00	1499.00	4024.00	4.43	5.50	7.74	14.51	9.31	15.48
14	डूंगरपुर	1871	1412	710.198	866.87	1260.00	1543.68	10.81	9.19	6.221	7.67	10.83	12.368
15	गंगानगर	704	610	631.93	664.69	1329.32	4162.10	4.99	6.10	6.602	4.44	8.56	26.8
16	हनुमानगढ़	752	608	992.13	1835.94	1578.35	3170.85	6.07	4.48	4.115	11.68	11.75	15.862
17	जयपुर	780	1321	1211.28	1850.00	2800.00	2369.13	3.26	10.66	7.873	8.45	12.55	14.25
18	जालौर	840	912	1355.38	1100.80	1523.80	7759.00	5.27	7.49	9.4	7.38	5.32	17.018
19	जैसलमेर	754	1728	1350.36	1769.43	2960.00	5021.69	4.40	10.59	10.91	10.76	17.70	29.3
20	झालावाड़	1010	734	753.55	781.21	1436.50	3078.12	5.30	8.60	9.13	5.44	11.25	13.71
21	झुन्झुनूं	1082	1188	1837	1870.02	1510.00	970.00	6.49	7.13	12.076	12.53	12.85	7.836
22	जोधपुर	651	632	1021.46	2725.50	1587.17	6955.41	3.02	3.44	2.35	5.10	4.33	16.552
23	करौली	1110	308	923.42	1060.00	709.00	3541.70	5.28	1.87	5.06	7.40	2.90	12.7
24	कोटा	2121	500	735	1250.00	2136.00	2521.66	11.35	5.47	5.56	8.40	9.56	10.8
25	नागौर	335	237	989.12	1490.00	2644.00	2620.00	1.15	1.46	5.311	8.27	11.78	14.31
26	पाली	1357	783	776	1280.00	770.71	5230.00	5.89	4.14	4.14	10.35	12.67	6.19
27	प्रतापगढ़	2438	1127	650	1700.00	2727.86	3508.95	11.72	8.37	3.25	8.35	12.70	19.329
28	राजसमन्द	859	1150	495	445.00	550.00	1230.00	4.08	1.48	4.033	1.85	3.58	5.68
29	सवाई माधोपुर	536	540	793.64	1460.00	1520.00	1925.97	1.77	2.58	3.98	7.05	7.29	10.8
30	सीकर	1351	1487	1434.107	1941.88	2420.00	2150.00	7.15	8.61	9.855	12.51	16.01	15.1143
31	सिरोही	368	350	587.05	326.34	825.00	3763.28	1.13	1.44	3.38	2.26	7.18	8.011
32	टोंक	260	212	1070.76	1192.00	2354.00	2147.87	4.25	1.95	7.66	9.25	9.66	7.04509
33	उदयपुर	3067	2732	2188.24	3756.34	8253.00	6676.18	16.17	17.59	15.807	22.31	51.27	42.327
	कुल	**34798**	**28510**	**33511.32**	**45659.90**	**61246.92**	**109798.10**	**203.56**	**179.64**	**215.23**	**269.38**	**356.51**	**460.41**

विभिन्न न्यायालयों में विचारधीन न्यायिक प्रकरणों का विवरण

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	विचाराधीन प्रकरणों की संख्या (दिनांक 31.12.2023 की स्थिति अनुसार)
1	सर्वोच्च न्यायालय	27
2	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)	15
3	उच्च न्यायालय जोधपुर	661
4	उच्च न्यायालय पीठ जयपुर	1086
5	सिविल सेवा अपील अधिकरण	178
6	अधीनस्थ न्यायालय	1742
7	अधिकरण न्यायालय	7
	योग	**3716**

नियंत्रक महालेखा परीक्षक प्रतिवेदन व जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों का विवरण

क्रम संख्या	01.04.2021 को बकाया		निस्तारण 2021–22		01.04.2022 को बकाया		निस्तारण 2022–23		01.04.2023 को बकाया		01.04.2023 से 31.12.2023 तक प्राप्त		31.12.2023 को बकाया	
	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
सी.ए.जी.	5	14	3	9	4	15	3	12	2	15	1	10	–	–
पी.ए.सी.	7	40	6	23	1	17	1	17	1	7	–	–	–	–
ड्राफ्ट पैरा	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
तथ्यात्मक विवरण	–	1	–	1	–	2	–	2	–	1	–	–	–	–

महालेखाकार प्रतिवेदनों एवं आक्षेपों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	01.04.2020 को बकाया		निस्तारण 2020–21		01.04.2021 को बकाया		निस्तारण 2021–22		01.04.2022 को बकाया		निस्तारण 2022–23		31.12.2023 को बकाया	
महालेखाकार के आक्षेप	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा	प्रति	पैरा
	349	1674	32	329	347	1498	0	0	410	1753	70	401	382	1798

15 वीं राजस्थान विधानसभा संबंधित वन विभाग से सत्रवार पूछे गये प्रश्नों के प्रत्युत्तर प्रेषित किये जाने के क्रम में प्रगति विवरण (दिनांक 15.01.2024 तक)

विधान सभा/ सत्र संख्या	प्राप्त प्रश्नों/प्रस्तावों/आश्वासनों की संख्या	विधान सभा को प्रेषित जवाब की संख्या	राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित जवाब की संख्या	विभाग स्तर पर प्रक्रियाधीन जवाब की संख्या
(अ) तारांकित/अतारांकित एवं अंतःसत्र में पूछे गये प्रश्न				
सत्र–1	30	30	0	0
सत्र–2	131	131	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	132	132	0	0
सत्र–5	30	30	0	0
सत्र–6	154	154	0	0
सत्र–7	128	127	0	1
सत्र–8	123	111	1	11
योग	**728**	**715**	**1**	**12**
(ब) विधानसभा प्रक्रिया एवं संचालन नियम 131/295 /97 अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव				
सत्र–1	3	3	0	0
सत्र–2	16	16	0	0
सत्र–3	0	0	0	0
सत्र–4	28	28	0	0
सत्र–5	3	3	0	0
सत्र–6	21	21	0	0
सत्र–7	38	37	0	1
सत्र–8	24	19	2	3
योग	**133**	**127**	**2**	**4**
(स) आश्वासन की कियान्विति				
सत्र–2 (2019)	6	6	0	0
सत्र–4 (2020)	6	6	0	0
सत्र–6 (2021)	11	11	0	0
सत्र–6 (2022)	9	9	0	0
सत्र–7 (2022)	10	10	0	0
सत्र–8 (2023)	12	4	0	8
योग	**54**	**46**	**0**	**8**

नोटः 14 वीं राजस्थान विधानसभा (सत्र–1 से सत्र–11 तक) में वन विभाग से संबंधित प्राप्त समस्त 767 प्रश्नों के प्रत्युत्तर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किये जा चुके हैं।

हरित राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित